

वार्षिक लेखा

2022 - 2023



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

वार्षिक लेखा

2022 – 2023



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

विषय-सूची

क्र. सं.	लेखों का नाम	पृष्ठ संख्या.	
		से	तक
1.	एनआईआरडीपीआर लेखा	1	33
2.	हितकारी निधि लेखा	34	42
3.	भविष्य निधि लेखा	43	48
4.	एनआईआरडीपीआर चिकित्सा संचित निधि लेखा	49	54
5.	लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	55	60
6.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के लेखों पर भारत के सीएजी की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	61	67
7.	पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर	68	80

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
प्रारंभिक बैंक शेष	27578,86,585	8984,38,096			
अनु.1 पूंजीगत लेखा			अनु.1 पूंजीगत लेखा		
पूंजीगत अनुदान	0	0	पूंजीगत अनुदान	15,944	16,88,16,451
कॉर्पस निधि लेखा	3940,37,193	4010,72,806	कॉर्पस निधि	0	3,64,169
अनु.3 चिन्हित निधि	0	0	अनु.3 चिन्हित निधि		
भवन निधि	8,80,023	28,31,344	भवन निधि	0	3,27,66,158
विकास निधि	7,165	53,98,595	विकास निधि	9,96,00,000	0
एफसीआरए - दिल्ली	1,03,432	1,10,098	पूंजीगत अनुदान - योजना	0	1,33,81,101
पीएमआरडीएफ - दिल्ली	3,66,347	65,79,358	सीईडीएफआई	1,62,416	2,11,478
सीईडीएफआई	40,925	65,18,208	एसआरएस चेयर	31,71,238	18,66,347
एसआरएस चेयर	31,95,801	80,86,924			
एमओआरडी से प्राप्त सहायता अनुदान			एमओआरडी से प्राप्त सहायता अनुदान		
वेतन अनुदान	7583,63,000	8150,00,000	वेतन अनुदान	17,79,23,312	0
सामान्य अनुदान	3875,20,000	2398,00,000	सामान्य अनुदान	20,99,62,287	0
अनु.7 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			अनु.7 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान		
परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	5944,18,182	2768,74,147	परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	16,43,78,392	45,10,74,280
परामर्शी परियोजनाएं - एनईआरसी	210,06,360	58,35,620	परामर्शी परियोजनाएं - एनईआरसी	1,65,66,561	1,07,95,207
परामर्श देयताएं	58,427	131,19,300	परामर्श देयताएं	0	1,20,96,694
देयताएं और प्रावधान	390,52,752	1369,02,760	देयताएं और प्रावधान	2,26,99,757	10,25,54,725
सहायता अनुदान खाते पर ब्याज	33,10,459	57,43,313			
पारगमन लेखा	53,83,660	980,22,520	पारगमन लेखा	49,19,980	10,60,53,591
अंतरण लेखा	1529,60,496	14585,78,989	अंतरण लेखा	1,272,61,739	1,14,94,35,231
देयताएं एवं प्रावधान - एनईआरसी	100,00,000	22,164	देयताएं एवं प्रावधान - एनईआरसी	0	60,001
देयताएं एवं प्रावधान - दिल्ली	158,51,581	179,85,409	देयताएं एवं प्रावधान - दिल्ली	1,49,42,235	1,78,34,817
विविध लेनदार	190,40,150	0			
अनु.8 अचल परिसंपत्ति			अनु.8 अचल परिसंपत्ति		
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	0	0	भवन-सामान्य कार्यालय/गुवाहाटी, एनईआरसी	92,13,792	0

जारी...

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
कार्यालय उपकरण	0	0	भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	5,57,299	15,02,683
एवी उपकरण	0	0	आरटीपी परिसंपत्ति	0	5,10,631
			योजना पूंजी - डब्ल्यूआईपी- सोलार	0	44,65,053
पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती	0	0	पी0019 पी-अन्य प्रभार अनावर्ती	0	51,672
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर	12,08,592	4,82,049
			कार्यालय उपकरण	40,15,170	8,76,227
			सौर और नवीकरणीय ऊर्जा	5,52,505	19,800
			कम्प्यूटर	23,39,965	9,41,805
			एवी उपकरण	6,80,542	1,06,571
			संयंत्र और मशीनरी	23,886	1,97,578
			वाहन	6,80,200	
अनु.9 निवेश			अनु.9 निवेश		
सावधि जमा परामर्शी में निवेश	0	1,14,11,480	सावधि जमा परामर्शी में निवेश	0	0
सावधि जमाओं के सामान्य खाते में निवेश	1,29,83,59,505	1,12,90,86,490	सावधि जमाओं के सामान्य खाते में निवेश	1,52,50,00,000	9,72,958
निवेश - चिह्नित निधि से	64,39,38,121	1,27,92,54,219	निवेश - चिह्नित निधि से	1,50,71,54,488	1,38,22,29,655
अनु.11 वर्तमान परिसंपत्ति			अनु.11 वर्तमान परिसंपत्ति		
जमा (परिसंपत्ति)	0	0	जमा (परिसंपत्ति)		
ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	4,47,778	5,99,000	ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	12,33,083	54,599
परामर्शी परिसंपत्ति	0	4,01,396	परामर्शी परिसंपत्ति	0	2,07,510
विविध देनदार	40,88,592	0			
वर्तमान परिसंपत्ति एवं अग्रिम	50,41,800	0	वर्तमान परिसंपत्ति एवं अग्रिम	71,66,112	5,66,805
सामान्य लेखा एवं परियोजना पारगमन लेखा	5,04,90,547	38,15,617	सामान्य लेखा एवं परियोजना पारगमन लेखा	3,74,26,000	3,45,47,713
अंतरण लेखा	7,50,00,000	1,48,94,62,712	अंतरण लेखा	47,57,153	1,48,94,62,712
ऋण एवं अग्रिम - एनईआरसी	2,20,21,072	3,49,18,393	ऋण एवं अग्रिम - एनईआरसी	4,19,56,442	292,93,269
ऋण एवं अग्रिम - दिल्ली	20,59,927	6,32,709	ऋण एवं अग्रिम - दिल्ली	5,77,526	4,89,230
एमओआरडी से प्राप्य निधि (जनकपुरी किराया)	1,43,71,500	0	विविध देनदार	4,500	0
			विविध लेनदार	1,93,86,96,255	0
प्रत्यक्ष व्यय			प्रत्यक्ष व्यय		
वेतन	6,73,307	12,14,220	वेतन	41,68,94,827	39,56,18,968

जारी...

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
चिकित्सा व्यय	1,57,746	2,54,934	चिकित्सा व्यय	98,01,814	70,51,569
पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	5,92,985	3,01,822	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	21,58,90,303	21,24,42,483
स्थापना व्यय			स्थापना व्यय		
यात्रा भत्ता	4,977	38,323	पूर्व अवधि व्यय	0	0
अन्य स्थापना व्यय	20,32,120	21,49,644	यात्रा भत्ता	59,95,487	46,56,051
रखरखाव व्यय	0	4,24,323	अन्य स्थापना व्यय	13,46,65,193	6,94,53,353
			रखरखाव व्यय	25,59,978	3,33,49,600
क्रियाकलाप			क्रियाकलाप		
प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	5,78,601	14,48,258	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	3,12,02,560	4,36,25,687
			मानदेय	0	90,000
अप्रत्यक्ष आय			अप्रत्यक्ष आय		
प्रायोजित परियोजना से उपयोगकर्ता प्रभार /	1,68,79,107	5,40,59,236	प्रायोजित परियोजना से उपयोगकर्ता प्रभार /	0	0
सीपीजीएस पाठ्यक्रमों से शुल्क	2,18,94,155	2,12,96,759	सीपीजीएस पाठ्यक्रमों से शुल्क	1,200	69,000
रॉयल्टी / सदस्यता से आय	13,050	0			
ब्याज आय	5,77,44,505	10,07,56,178	ब्याज आय	0	2,912
अन्य आय	27,26,568	0			
लाइसेन्स शुल्क	7,19,096	35,98,718	लाइसेन्स शुल्क	0	1,600
अन्य विविध आय	2,47,54,948	64,92,505	अन्य विविध आय	5,56,500	9
			अंत बैक शेष	66,56,57,312	2,75,78,86,586
कुल	7,40,80,72,545	8,53,85,36,587	कुल	7,40,80,72,545	8,53,85,36,587

जि. नरेन्द्र कुमार

(जी. नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

ए. एस. चक्रवर्ती

(ए. एस. चक्रवर्ती)
वित्तीय सलाहकार प्रभारी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र

विवरण		अनु. संदर्भ	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
			रु.	रु.
I	पूंजी एवं देयताएं			
	संचित/ पूंजी निधि	1	5,82,29,45,592	5,07,02,35,735
	आरक्षित एवं अधिशेष	2	1,01,18,89,260	99,57,75,187
	निर्धारित निधियां	3	42,61,09,580	51,00,53,285
	सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
	असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
	आस्थगित ऋण देयताएँ	6	-	-
	चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	5,07,94,15,178	54399,01,206
कुल योग			12,34,03,59,610	12,01,59,65,413
II	परिसंपत्ति			
	अचल परिसंपत्ति	8	78,83,63,056	7797,44,451
	चिन्हित /विन्यास निधि से निवेश	9	5,09,85,44,778	38480,26,327
	निवेश - अन्य	10	1,83,97,35,827	8176,55,138
	चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	11	4,61,37,15,950	6,57,05,39,497
	विविध व्यय - उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते/समायोजित नहीं किया गया है		-	-
कुल योग			12,34,03,59,610	12,01,59,65,413
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		24		
आकस्मिक देनदारियाँ और लेखों पर नोट्स		25		
ध्यान दें: वार्षिक लेखा केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरण के अनुसार हैं				

शशि भूषण
(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

जी नरेन्द्र कुमार
(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा

विवरण	अनु.	31-मार्च-2023 रु.	31-मार्च-2022 रु.
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी	13	77,24,43,149	1,13,59,50,820
शुल्क/सदस्यता	14	2,18,92,955	2,13,88,828
निवेश से आय (निधि में हस्तांतरित चिन्हित/ विन्यास निधि से निवेश पर आय)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	13,050	21,150
सामान्य प्राप्तियाँ			
अर्जित ब्याज	17	4,61,88,451	375,38,209
अन्य आय	18	8,58,98,659	2,58,97,994
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति पर	19	-1,05,877	-24,58,614
उपयोगकर्ता शुल्क/प्रायोजित परियोजना प्राप्तियाँ	14-A	23,04,24,675	16,49,44,616
कुल (ए)		1,15,67,55,062	1,38,32,83,003
व्यय			
स्थापना व्यय	20		
वेतन		40,29,07,545	39,62,83,948
पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ		20,81,04,320	19,96,90,107
चिकित्सा व्यय		94,22,260	79,33,143
बीमांकिक अंतर		-	35,27,41,961
अन्य स्थापना व्यय		11,57,69,528	5,69,22,220
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21		
यात्रा व्यय		58,01,658	45,92,902
प्रशिक्षण एवं अनुसंधान		2,87,89,553	4,24,98,242
मानदेय			
रखरखाव कार्य		24,16,041	4,12,15,508
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यहास (वर्ष के अंत में निवल कुल)	8	3,23,35,525	3,13,95,053
कुल (बी)		80,55,46,430	1,13,32,73,084
व्यय पर आय का आधिक्य शेष (ए-बी)		35,12,08,632	25,00,09,919
जोड़ें: पूर्व अवधि आय		10,28,995	66,090
घटाएं: पूर्व अवधि व्यय		1,55,362	2,19,122
विशेष रिजर्व में हस्तांतरण (अनुसूची 3 संचित निधि)		35,20,82,265	24,98,56,887
जनरल रिजर्व से/में हस्तांतरण			
शेष राशि अधिशेष/(घाटा) होने पर कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया गया		35,20,82,265	24,98,56,887
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ और खातों पर टिप्पणियाँ	25		
ध्यान दें: वार्षिक लेखा केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरण के अनुसार हैं			

शशि भूषण
(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

जी नरेन्द्र कुमार
(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान 31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां					
अनु.सं.	विवरण	31-मार्च-2023		31-मार्च-2022	
अनु.1	पूंजी निधि				
	पूंजी निधि - सामान्य				
	वर्ष की शुरुआत में शेष	85,78,10,740	-	1,00,93,59,965	-
	जोड़ें: संचित/ पूंजी निधि में योगदान	-5,82,60,894		-15,15,49,225	
	जोड़ें/(घटाएं): शुद्ध आय का शेष/(व्यय) आय एवं व्यय खाते से हस्तांतरित	-			
	वर्ष के अंत में शेष		79,95,49,846		85,78,10,740
	संचित निधि				
	15.01.01.02 संचित निधि				
	क) वर्ष के प्रारंभ में शेष	3,77,11,58,426		3,16,40,86,372	
	ख) वर्ष की शुरुआत में शेष (अनुदान वसूली का घाटा - एमओआरडी से प्राप्य)	44,12,66,569		44,12,66,569	
	ग) जोड़ें: कॉर्पस/पूंजीगत निधि में योगदान	45,88,88,486		35,72,15,167	
	जोड़ें/(घटाएं): शुद्ध आय का शेष/(व्यय) आय एवं व्यय खाते से हस्तांतरित	35,20,82,265		24,98,56,887	
	संचित निधि		4,58,21,29,177		3,77,11,58,426
	संचित निधि (अनुदान वसूली का घाटा - एमओआरडी से प्राप्य)		44,12,66,569		44,12,66,569
	संचित निधि		5,02,33,95,746		4,21,24,24,995
	वर्ष के अंत में शेष - पूंजी और कॉर्पस		5,82,29,45,592		5,07,02,35,735
अनु.2	आरक्षित और अधिशेष				
	पूंजी आरक्षित - (सहायता अनुदान)	-	-	-	-
	पिछले लेखे के अनुसार				
	वर्ष के दौरान जोड़				
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	मूल्यहास आरक्षित				
	पिछले लेखे के अनुसार	47,46,08,766		37,07,13,028	
	वर्ष के दौरान जोड़	1,61,14,073		10,38,95,738	
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ			-	
			49,07,22,839		47,46,08,766
	मूल्यहास आरक्षित - एमओआरडी से प्राप्य				
	पिछले लेखे के अनुसार	52,11,66,421		56,41,61,689	
	वर्ष के दौरान जोड़	-		-	
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ			4,29,95,268	
			52,11,66,421		52,11,66,421
	पूंजी आरक्षित - (सहायता अनुदान)	-	-	-	-
	पिछले लेखे के अनुसार				
	वर्ष के दौरान जोड़				
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	भारत सरकार से प्राप्त उपहार	-	-	-	-
	पिछले लेखे के अनुसार				
	वर्ष के दौरान जोड़				
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	कुल		1,01,18,89,260		99,57,75,187

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान 31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां				
अनु. सं.	विवरण	समूह संदर्भ	31-मार्च-2023 रु.	31-मार्च-2022 रु.
अनु.4	सुरक्षित ऋण और उधार		-	-
	1) केंद्र सरकार		-	-
	2) राज्य सरकार		-	-
	3) वित्तीय संस्थाएँ			
	क) सावधि ऋण		-	-
	ख) अर्जित ब्याज और देय		-	-
	4) बैंक			
	क) सावधि ऋण		-	-
	- अर्जित ब्याज और देय		-	-
	ख) अन्य ऋण		-	-
	- अर्जित ब्याज और देय		-	-
	5) अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ		-	-
	6) डिबेंचर्स और बांड		-	-
	7) अन्य		-	-
	कुल		-	-
अनु.5	असुरक्षित ऋण और उधार		-	-
	1) केंद्र सरकार		-	-
	2) राज्य सरकार		-	-
	3) वित्तीय संस्थाएँ		-	-
	4) बैंक			
	क) सावधि ऋण		-	-
	ख) अन्य ऋण		-	-
	5) अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ		-	-
	6) डिबेंचर्स और बांड		-	-
	7) सावधि जमा		-	-
	8) अन्य		-	-
	कुल		-	-
अनु.6	आस्थगित ऋण देयताएं			
	क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित रखी गई स्वीकृतियां		-	-
	ख) अन्य		-	-
	कुल		-	-
अनु. 7	वर्तमान देयताएं और प्रावधान			
	क) चालू देयताएँ			
	1) स्वीकृतियां		-	-
	2) विविध लेनदार			
	क) सामान के लिये			
	ख) अन्य	एल11	44,59,358.00	-
	3) प्राप्त अग्रिम	ए7	49,33,977.00	2,37,545.00
	4) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं			
	क) सुरक्षित ऋण/उधार			
	ख) असुरक्षित ऋण/उधार			

जारी...

अनु. सं.	विवरण	समूह संदर्भ	31-मार्च-2023 रु.	31-मार्च-2022 रु.
सांविधिक देयताएँ	क) अतिदेय			
	ख) अन्य		-	-
	6) अन्य चालू देयताएँ			
	परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	एल3	1,10,68,32,142	1,26,75,84,844
	परामर्शी परियोजनाएँ	एल4	3,98,80,430	3,29,73,342
	परामर्शी देयताएँ	एल5	1,93,01,733	1,92,43,305
	देयताएँ और प्रावधान	एल6	31,48,21,958	31,54,10,644
	पारगमन लेखा	एल7	43,29,283	82,91,278
	अंतरण लेखा	एल8	4,57,66,589	30,71,52,161
	परामर्शी अंतरण लेखा	एल8	10,25,446	10,25,440
	सहायता अनुदान का ब्याज और अव्ययित शेष - एमओआरडी	एल9	48,26,19,784	51,00,08,776
	परामर्शी परिसंपत्तियाँ	ए10	1,64,800	1,64,800
	परियोजना पारगमन लेखा	ए13	5,98,33,404	170
	एमओआरडी से प्राप्य		59,83,953	
	कुल (क)		2,08,99,52,857	2,46,20,92,305
	ख) प्रावधान			
	1) कराधान के लिए			
	2) उपदान		22,58,78,085	22,58,78,085
	3) सेवानिवृत्ति/पेंशन		2,56,78,00,000	2,56,78,00,000
	4) संचित अवकाश नकदीकरण		18,41,30,816	18,41,30,816
	5) व्यापार वारंटी/दावा			
	6) अन्य			
	क) एवीएफ-निवेश पर ब्याज		116,53,419	-
	कुल (ख)		2,98,94,62,320	2,97,78,08,901
	कुल (क+ख)		5,07,94,15,177	5,43,99,01,206
अनु.8	अचल परिसंपत्ति और मूल्यहास (परिशिष्ट)	अनु.8	78,83,63,056	77,97,44,451
अनु.9	चिह्नित निधि से निवेश			
	1) सरकारी प्रतिभूतियों में			
	क) सामान्य निवेश	ए	79,56,41,437	41,00,00,000
	ख) संचित निवेश	ए4	3,84,40,66,327	3,29,36,26,327
	2) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		-	-
	3) शेयर		-	-
	4) डिबेंचर और बांड		-	-
	5) सहायक और संयुक्त उद्यम		-	-
	6) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)			
	सावधि जमा में निवेश	ए4	18,26,37,014	-
	कॉर्पस निवेश - सावधि जमा में	ए4	27,62,00,000	14,44,00,000
	कुल		5,09,85,44,778	3,84,80,26,327
अनु.10	निवेश - अन्य			
	1) सरकारी प्रतिभूतियों में	ए4	38,96,40,000	16,73,96,497
	2) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		-	-
	3) शेयर		-	-
	4) डिबेंचर और बांड		-	-
	5) सहायक और संयुक्त उद्यम		-	-
	6) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	ए4	1,45,00,95,827	65,02,58,641
	कुल		1,83,97,35,827	81,76,55,138

जारी...

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
 31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां
 अनुसूची 8: अचल आस्तिग (आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति)

क्र.सं.	विवरण	मूल्यहास दर	सकल ब्लॉक			वर्ष के अंत में लागत	मूल्यहास			निवल ब्लॉक		
			वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	बट्टे खाते में डाला हुआ मूल्य		वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के लिए घटाना	कुल	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				> 180 दिवस	<180 दिवस							
1	भूमि	0%	10,76,74,169		-	10,76,74,169	-	-	-	10,76,74,169	1,07,67,4,169	1,07,67,4,169
2	भूमि पर विकास	0%	5,98,266		-	5,98,266	-	-	-	5,98,266	5,98,266	5,98,266
3	भवन- कार्यालय और जीएच	10%	25,40,28,638	13,82,113	3,01,732	25,57,12,483	16,83,845	22,81,16,108	27,44,551	23,08,60,658	2,48,51,825	2,59,12,530
4	भवन- आवासीय	5%	50,63,354	-	2,55,567	53,18,921	2,55,567	5,75,766	2,30,769	8,06,534	45,12,387	44,87,588
5	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	5,72,83,939	8,06,975	8,49,809	5,89,40,723	16,56,784	38,60,20,95	19,91,372	4,05,93,467	1,83,47,256	1,86,81,845
6	कार्यालय उपकरण	15%	5,95,21,689	33,52,639	3,60,070	6,32,34,398	37,12,709	55,68,5,116	11,05,387	5,67,90,503	64,43,895	38,36,573
7	कंप्यूटर	40%	11,31,02,420	5,19,218	16,49,621	11,52,71,259	21,68,839	11,03,53,231	16,37,287	11,19,90,518	32,80,741	27,49,189
8	वाहन	15%	22,35,950	6,80,200	-	29,16,150	6,80,200	8,05,286	3,16,630	11,21,915	17,94,235	14,30,664
9	दृश्य श्रव्य उपकरण	15%	6,46,91,263	2,91,892	6,43,746	6,56,26,901	9,35,638	5,12,11,457	21,14,036	5,33,25,493	1,23,01,408	1,34,79,806
10	सयंत्र एवं मशीनरी	15%	1,45,21,840	1,108	-	1,45,22,948	1,108	94,93,264	7,54,453	1,02,47,717	42,75,231	50,28,576
11	सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा	40%	2,67,800	1,06,000	-	3,73,800	1,06,000	1,84,496	75,722	2,60,218	1,13,582	83,304
12	स्वास्थ्य क्लब	15%	18,65,194		-	18,65,194	-	13,71,604	74,038	14,45,643	4,19,551	4,93,590
13	पुस्तकालय पुस्तकें	40%	2,89,95,846		-	2,89,95,846	-	2,84,24,968	2,28,351	2,86,53,319	3,42,527	5,70,878
14	सीपीजीएस परिसंपत्ति	15%	23,14,805		-	23,14,805	-	23,09,516	-	23,09,516	-	-
15	आरटीपी परिसंपत्ति		6,53,84,506		-	6,53,84,506	-	5,75,22,559	4,62,956	5,79,85,515	73,98,991	78,61,947
16	एनईआरसी परिसंपत्ति		1,99,79,232		-	3,04,30,339	1,04,51,107	1,42,71,742	13,51,589	1,56,23,331	1,48,07,008	57,07,490
17	दिल्ली परिसंपत्ति		16,03,38,080	1,86,11,441	2,44,387	17,91,93,908	1,88,55,828	14,67,41,287	34,21,089	15,01,62,376	2,90,31,532	1,35,96,793
18	भवन	10%	23,01,48,986		-	23,01,48,986	-	16,58,72,577	64,27,641	17,23,00,218	5,78,48,768	6,42,76,409
19	सयंत्र एवं मशीनरी	15%	1,74,49,073		-	1,74,49,073	-	1,66,89,884	1,13,878	1,68,03,762	6,45,311	7,59,189
20	योजना पूंजीगत परिसंपत्तियां		9,77,59,697	4,46,505	-	9,82,06,202	4,46,505	4,33,48,073	92,85,776	5,26,33,849	455,72,353	5,44,11,624
	कुल		1,30,32,24,746	261,98,091	1,47,56,039	1,34,41,78,876	4,09,54,130	97,15,79,029	323,35,525	1,00,39,14,553	34,02,59,035	33,16,40,432
21	योजना पूंजी कार्य प्रगति पर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग		1,30,32,24,746	2,61,98,091	1,47,56,039	1,34,41,78,876	4,09,54,130	97,15,79,029	323,35,525	1,00,39,14,553	34,02,59,035	33,16,40,432
24	मूल्यहास आरक्षित	0%	4481,04,021		-	44,81,04,021	-	-	-	-	44,81,04,021	44,81,04,019
	कुल योग		1,75,13,28,767	2,61,98,091	1,47,56,039	1,79,22,82,897	4,09,54,130	97,15,79,029	323,35,525	1,00,39,14,553	78,83,63,056	77,97,44,451

नोट: भूमि के विवरण के लिए कृपया लेखों पर टिप्पणी देखें

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान 31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां				
अनु. सं.	विवरण	समूह	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
		संदर्भ	रु.	रु.
अनु. 11	वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम			
	क) वर्तमान संपत्ति			
	1) सूची			
	क) भण्डार एवं पुर्जे			
	ख) फुटकर औजार			
	ग) भंडार माल			
	i) तैयार माल	ए5	23,17,090	24,22,967
	ii) कार्य प्रगति पर है		-	-
	iii) कच्चा माल		-	-
	2) विविध देनदार			
	क) छह माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण		-	-
	ख) अन्य	ए7	-	-
	3) उपलब्ध नकद शेष		-	-
	4) बैंक शेष			
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ			
	- चालू लेखों पर	ए8	66,56,57,315	2,75,78,86,590
	- जमा लेखों पर (मार्जिन राशि शामिल)		-	-
	- बचत लेखों पर		-	-
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ			
	- चालू लेखों पर		-	-
	- जमा लेखों पर (मार्जिन राशि शामिल)		-	-
	- बचत लेखों पर		-	-
	5) डाकघर बचत लेखा		-	-
	कुल (क)		66,79,74,405	2,76,03,09,557
	ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ			
	1) ऋण			
	क) कर्मचारी	ए6	10,80,013	7,43,813
	ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य		-	-
	ग) अन्य			
	2) नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ			
	क) पूंजी खाते पर	ए6	9,64,307	237,11,610
	ख) पूर्वभुगतान	ए6	3,84,99,167	1,02,22,155
	ब) अन्य			
	i) कर्मचारी	ए6	75,18,529	62,09,181
	ii) अन्य	ए6 एवं L11	3,63,15,822	5,86,16,183

जारी...

अनु. सं.	विवरण	समूह	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
		संदर्भ	रु.	रु.
	क) निर्धारित/ विन्यास निधि से निवेश पर	ए5	7,76,95,060	50,20,637
	ख) निवेश पर - अन्य	ए5	5,97,56,937	2,77,23,737
	ग) ऋण और अग्रिम पर	ए6	29,930	29,930
	घ) अन्य			
	4) प्राप्य दावे	ए6 एवं ए10	3,60,41,52,405	3,60,65,51,827
	5) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			
	क) टीडीएस प्राप्य	ए5	48,98,121	14,30,970
	ख) उपलब्ध टिकटें/फ्रैंकिंग	ए5	84,178	1,506
	ग) परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान	एल3	5,46,04,146	4,00,33,051
	घ) परामर्श परियोजनाएँ	एल4	1,18,69,214	91,85,215
	ड.) देयताएं और प्रावधान	एल6	12,88,968	3,94,706
	च) पारगमन लेखा	एल7	16,08,134	11,04,595
	छ) अंतरण लेखा	एल8	4,18,65,942	1,92,50,824
	ज) विविध लेनदार	एल11	30,84,983	
	झ) परामर्शी परिसंपत्तियाँ	ए10	4,25,689	4,01,106
	कुल (ख)		3,94,57,41,545	3,81,02,29,940
	कुल (क+ ख)		4,61,37,15,950	6,57,05,39,497

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान			
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियां			
अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
		रु.	रु.
अनु. 12	बिक्री/सेवाओं से आय	-	-
	1) बिक्री से आय		
	क) तैयार माल की बिक्री	-	-
	ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
	ग) कबाड़ की बिक्री	-	-
	2) सेवाओं से आय		
	क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क		-
	ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएँ	-	-
	ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
	घ) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति)	-	-
	ड.) अन्य	-	-
	कुल	-	-
अनु. 13	अनुदान/सब्सिडी (एमओआरडी से)		
	1) केंद्र सरकार		
	10.02 वेतन अनुदान		
	10.02.01.01.01 भारत सरकार से अनुदान - योजना वेतन	58,04,39,688	95,66,49,169
	10.03 सामान्य अनुदान		
	10.03.01.01.01 भारत सरकार से प्राप्त अनुदान-योजना सामान्य	20,92,72,704	17,93,01,651
	2) राज्य सरकार	-	-
	3) सरकारी एजेंसियां	-	-
	4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय	-	-
	5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
	6) अन्य	-	-
		78,97,12,392	1,13,59,50,820
अनु. 14ए	प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्तियाँ		
	संस्थागत/सम्मेलन कक्ष शुल्क/संकाय लागत/अन्य	-3	16,49,44,616
		-3	16,49,44,616
अनु. 14	शुल्क/सदस्यता (सीपीजीएस पाठ्यक्रम से)		
	1) प्रवेश शुल्क		
	2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता		
	14.01.00.00.18 पीजीडीआरडीएम बैंक लेनदेन	2,13,43,060	2,02,12,855
	14.01.00.00.01 पत्रिका की सदस्यता	1,27,944	1,61,070
	14.01.00.00.19 डीईसी दूरस्थ मोड बैंक लेनदेन	4,21,951	10,14,903
	3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
	4) परामर्श शुल्क	-	-
	5) अन्य	-	-
	कुल	2,18,92,955	2,13,88,828

जारी...

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
		रु.	रु.
	1) ब्याज		
	क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
	ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-
	2) लाभांश		
	क) शेयरों पर	-	-
	ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
	3) किराया	-	-
	4) अन्य	-	-
अनु. 16	रॉयल्टी/सदस्यता से आय		
	1) रॉयल्टी से आय		
	2) प्रकाशन से आय		
	एनआईआरडी प्रकाशनों की बिक्री	13,050	21,150
	3) अन्य	-	-
		13,050	21,150
अनु. 17	अर्जित ब्याज		
	1) सावधि जमा पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	14.01.00.00.12 लघु एवं दीर्घावधि जमा पर ब्याज	4,32,19,671	67,07,972
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	एपीएसईबी के पास जमा पर ब्याज	-	1,27,219
	2) बचत लेखों पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	14.01.01.00.04 एसबी खाते पर ब्याज	-	-
	14.01.00.00.13 एसबी खाते पर ब्याज	9,98,281	3,04,26,683
	14.04.00.00.06 एसबी खाते पर ब्याज - एनईआरसी	6,84,890	-
	14.05.00.00.02 एसबी खाते पर ब्याज - दिल्ली	2,56,898	-
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) डाकघर बचत लेखों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	3) ऋण पर		
	क) कर्मचारी/स्टाफ		
	14.05.00.00.01 कर्मचारी ऋण पर ब्याज - दिल्ली	3,41,098	12,000
	ख) अन्य		
	14.01.01.00.01 ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	6,87,613	2,52,522
	ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज - एनईआरसी	-	11,813
	4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
		4,61,88,451	3,75,38,209
अनु. 18	अन्य आय		
	1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
	क) स्वामित्व वाली संपत्ति		
	ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ		
	2) निर्यात लाभ की प्राप्ति		

जारी...

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
		रु.	रु.
	14.01.00.00.03 स्टाफ बस शुल्क (एर्रागड्डा)	4,16,409	2,97,189
	14.01.00.00.03 स्टाफ बस उपयोगकर्ता शुल्क (सिकंदराबाद)	7,43,371	5,56,188
	14.01.00.00.04 एनआईआरडीपीआर वाहनों का किराया	1,164	2,043
	14.01.00.00.09 आरटीपी प्राप्तियाँ	14,81,168	10,59,043
	14.01.00.00.20 खेल परिसर की वसूली	40,665	-
	एन0006 आरटीपी उत्पादन गतिविधियों की प्राप्तियाँ	2,67,300	-
	14.04.00.01.01 छात्रावास प्राप्तियाँ एनईआरसी	10,01,406	-
	4) विविध आय		
	आयकर रिफंड	-	16,65,290
	14.01.00.00.05 निविदा प्रपत्रों की बिक्री	14,093	7,024
	14.01.00.00.10 कबाड़ की बिक्री	6,266	2,94,279
	14.01.00.00.25 गैराज शुल्क	13,810	
	14.01.02.00.08 - कूड़ा संग्रहण शुल्क (प्राप्ति)	61,957	72,393
	14.02 लाइसेंस शुल्क		
	14.02.00.00.01-नियमित कर्मचारी एलआईसी शुल्क	19,07,577	3,03,957
	14.02.00.00.02 - परियोजना स्टाफ और सीपीजीएस मानक एलआईसी शुल्क	18,90,044	21,36,184
	14.02.00.00.03 - ठेकेदार, विक्रेता और एसबीआई एलआईसी शुल्क	9,45,165	6,10,282
	जनकपुरी बिल्लिंग पर लाइसेंस शुल्क-नई दिल्ली	1,43,71,500	1,43,71,500
	14.03 विविध प्राप्तियाँ		
	14.01.00.00.07 आरटीआई प्राप्तियाँ	396	7,944
	14.01.00.00.26 - आवेदन शुल्क - प्राप्तियाँ	3,74,716	-
	14.03.00.00.02 - विविध प्राप्तियाँ	1,68,16,191	74,43,998
	एन0006 एन- विविध प्राप्तियाँ	16,06,017	57,318
	एन0006 ऑफिस स्पेस रखरखाव के लिए परियोजना से प्राप्तियाँ	43,29,202	-
	14.04 गुवाहाटी प्राप्तियाँ		
	14.04.00.00.03 कार्यक्रम स्थल से प्राप्तियाँ - एनईआरसी	89,98,279	1,18,383
	14.04.00.00.04 लाइसेंस शुल्क - एनईआरसी	4,08,900	5,37,236
	14.04.00.00.05 विविध प्राप्तियाँ - एनईआरसी	18,37,990	2,92,295
	14.05 दिल्ली की प्राप्तियाँ		
	14.05.00.00.03 - ग्रेच्युटी - अन्य निवेश	9,048	2,90,276
	14.05.00.00.04- वेतन भुगतान - अन्य निवेश	13,535	6,80,639
	14.05.00.00.05 विविध प्राप्तियाँ दिल्ली	79,827	33,115
	वर्ष-2022-2023 के लिए मूल्यहास - आस्थगित राजस्व- (सीएबी के लिए एस-12/ सामान्य प्रारूप के अनुसार)	3,23,35,525	
	7 सीपीसी बकाया -30% आईजीआर से पूरा किया गया	-40,72,861	-49,38,582
		8,58,98,659	2,58,97,994
अनु. 19	तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) एवं कार्य प्रगति पर		
	क) अंतःशेष	23,17,090	24,22,967
	- तैयार माल		
	- कार्य प्रगति पर		
	ख) घटाए : प्रारंभिक स्टॉक	24,22,967.00	48,81,581.00
	- तैयार माल		
	- कार्य प्रगति पर		
	निवल वृद्धि / (कमी) (क-ख)	-1,05,877	-24,58,614

जारी...

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
		रु.	रु.
	क) वेतन और मजदूरी		
	01 संस्थान का वेतन		
	01.01. हैदराबाद	28,80,27,925	27,14,34,684
	01.02. एनईआरसी- गुवाहाटी	4,24,88,055	4,36,89,893
	01.03. दिल्ली	4,64,22,634	6,77,89,147
	ख) भत्ते और बोनस		
	ग) भविष्य निधि के लिए अंशदान		
	i) हैदराबाद	1,98,32,715	1,33,70,224
	ii) एनईआरसी- गुवाहाटी		
	iii) दिल्ली	4,44,402	
	घ) अन्य निधि के लिए योगदान		
	ड.) कर्मचारी कल्याण व्यय		
	03 चिकित्सा		
	03.01. हैदराबाद	76,95,359	53,63,765
	03.02. एनईआरसी- गुवाहाटी	12,04,250	16,55,591
	03.03. दिल्ली	5,22,651	9,13,787
	च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ पर व्यय		
	i) हैदराबाद	17,87,54,823	16,80,55,710
	ii) एनईआरसी- गुवाहाटी	1,56,31,693	1,66,97,719
	iii) दिल्ली	1,37,17,804	1,49,36,678
	छ) अन्य		
	i) वेतन और पेंशन अंशदान छोड़ें	56,91,814	
	ii) बीमांकिक अंतर		
	क) ग्रेच्युटी		-1,73,29,702
	ख) छुट्टी नकदीकरण		-1,25,24,805
	ग) पेंशन		38,25,96,468
	07. अन्य स्थापना व्यय		
	07.01. हैदराबाद	9,36,14,645	418,12,460
	07.02. एनईआरसी- गुवाहाटी	74,57,201	45,22,230
	07.03. दिल्ली	146,97,682	1,05,87,530
		73,62,03,653	1,01,35,71,379
अनु.21	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि।		
	क) मरम्मत और रखरखाव		
	08. रखरखाव खर्च		
	08.01. हैदराबाद	24,16,041	246,98,323
	08.02. एनईआरसी- गुवाहाटी	-	87,57,667
	08.03. दिल्ली	-	77,59,518
	ख) यात्रा एवं वाहन व्यय		
	04 यात्रा व्यय		
	04.01. हैदराबाद	49,17,744	35,78,075
	04.02. एनईआरसी- गुवाहाटी	8,28,851	6,20,019
	04.03. दिल्ली	55,063	3,94,808

जारी...

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
		रु.	रु.
	05 प्रशिक्षण एवं अनुसंधान		
	05.01. से 05.09 हैदराबाद	2,43,42,742	3,05,39,866
	05.10. एनईआरसी- गुवाहाटी	30,51,463	8,59,776
	05.11. दिल्ली	12,78,603	1,10,98,600
	'05.12 संकाय विकास योजना	1,16,745	
	कुल	3,70,07,252	8,83,06,652
अनु.22	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	-	-
	क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान		
	ख) संस्थानों/संगठनों को दिया गया सब्सिडी		
अनु. 23	ब्याज		
	क) निश्चित ऋण पर		
	ख) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)		
	ख) अन्य		
अनु.8	मूल्यहास		
	पूंजीगत परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	3,23,35,525	3,13,95,053
	कुल	3,23,35,525	3,13,95,053

31 मार्च 2023 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
अनुसूची	(एल3) परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान		
	सीगार्ड परियोजनाएं		
1	15.01.03.01.07 एस1612 मेडागास्कर में सीगार्ड की स्थापना	24,80,646	24,15,429
2	15.01.03.01.11 गुणवत्ता पर सीसी सड़कों का थर्ड पार्टी मूल्यांकन	66,86,319	65,25,731
3	15.01.03.01.12 आन्ध्र प्रदेश में स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी जनरल और तुलना	-95,057	-
4	15.01.03.01.13 टिहरी गढ़वाल के लिए एपीआईबी परियोजना उत्तराखंड	77,60,938	98,16,521
5	15.01.03.01.14 ग्रामीण सड़क परियोजना पीएमजीएसवाई में भू-संस्चना	87,58,746	-81,68,346
6	15.01.03.01.17 ग्रामीण सड़क एसएफए और पीएमजीएसवाई II से	44,10,746	42,94,787
7	15.01.03.01.31 डाका में सिडपि आईसीटी केन्द्र की स्थापना	50,39,352	49,06,867
8	15.01.03.01.40 - पीएमकेएसवाई पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	2,13,267	2,07,660
9	15.01.03.01.44 मनरेगा में भू-कार्यान्वयन	219,72,135	216,19,949
10	15.01.03.01.45 ईपीआरआईएस- इसरो परियोजना	8,64,550	8,41,821
11	15.01.03.03.67 राष्ट्रीय भू-स्थानिक व्यवसायिक योजना वित्तीय सहायता	-44,502	-44,502
12	15.01.03.03.87 एपीपी आधारभूत संरचना पी एवं एम मनरेगा स्थानिक का	-1,31,633	-1,31,633
13	सी1721 स्थानीय प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्यांकन एवं परिवर्तन का पता लगाना	1,49,838	1,45,899
	कुल नकारात्मक को चालू आस्तियों के रूप में माना जाएगा	-2,71,192	-83,44,481
	कुल सकारात्मकताओं को चालू देनदारियों के रूप में माना जाएगा	5,83,36,537	5,07,74,664
	उप कुल	5,80,65,345	4,24,30,183
	डीडीयू जीकेवाई परियोजनाएं		
14	15.01.03.02.01 सावधि जमा पर डीडीयूजीकेवाई ब्याज	1,53,62,162	1,33,98,345
15	15.01.03.02.02 एसजीएसवाई बीपीएल यूथ होशंगाबाद-एमपी-	50	50
16	15.01.03.02.03 एनआरओ-डीडीयूजीकेवाई	-1,04,02,753	-61,43,885
17	15.01.03.02.04 - कोर शिक्षा एवं टेक्नोलॉजी लिमिटेड	15,87,244	15,45,516
18	15.01.03.02.07 - राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (झारखंड)	6,983	6,983
19	15.01.03.03.66 आईसीसी प्रभाग के लिए सलाहकार की नियुक्ति	-1,64,325	2,00,246
20	एस0221 आरसेटी के तहत आरसेटी के लिए ईआरपी का विकास	35,37,706	18,03,519
21	एस2163 टाउन स्कूल शिक्षा पहल	-	-
22	एस2309 प्रीमियर शील्ड प्राइवेट लिमिटेड (एसजीएसवाई-II एसपी)	1,13,78,937	-
23	एस2336 ईगल हंटर सोल्यूशंस	47,021	47,021
24	एस2341 चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,	-	-
25	एस2369 मास इन्फोटेक सोसायटी (एसजीएसवाई)	-	-
26	एस2382-इंडिया कैन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड (असम-एस)	2,22,96,724	23,19,251
27	एस2421-आईकेवाईए ह्यूमन कैपिटल सॉल्यूशंस लिमिटेड	-7,735	-
28	एस2521-एनआईआईटी युवज्योति लिमिटेड-असम	-3,123	-3,123
	कुल नकारात्मक को चालू परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा	-1,05,77,936	-61,47,008
	कुल सकारात्मकताओं को चालू देनदारियों के रूप में माना जाएगा	5,42,16,827	1,93,20,931
	उप कुल	4,36,38,891	1,31,73,923

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
	सामान्य		
29	एस1603 अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में जल संसाधनों का एमजीएमटी	-18,123	
30	15.01.01.03.03.01 सामरिक संचार के लिए यूनिसेफ संस्थागत तंत्र	-	
31	15.01.01.03.03.02 -सासंद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	1,98,664	120,30,399
32	सी0121 पोषण, बाल संरक्षण, वॉश और स्वास्थ्य कार्य योजनाएँ	30,66,246	-12,001
33	सी0122 मोबाइल एप्लिकेशन भुवन पीएमजेवीके फ़ो जियो-टैग	2,89,633	-
34	सी0221 14 वेबसाइटों में तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा आयोजित करना	-930	-930
35	सी0222 आरजीएनआईआईडी	8,71,485	-
36	सी0321 आपातकालीन प्रतिक्रिया को गाँव के परिप्रेक्ष्य में एकीकृत करना	14,53,983	32,24,846
37	सी0322 आरसेटी जलागम प्रभाव अध्ययन	4,32,209	-
38	सी0421 कौशलपूर्ण आजीविका एवं वित्तीय समावेशन	3,52,265	-
39	पी0033 पी-एक्शन अनुसंधान परियोजना	1,20,846	1,19,509
40	एस0521 इंडिया@75 आज़ादी का अमृत महोत्सव	-50,327	-50,327
41	एस0621 एनएसएपी की योजनाओं के लिए प्रायोगिक आधार पर लेखापरीक्षा	4,37,580	5,55,885
42	एस0721 आरएस एवं जीआईएस अनुप्रयोग पर कार्यशाला	-18,988	-1,40,736
43	एस0821 कीट प्रबंधन पाठ्यक्रम	11,82,933	7,47,457
44	एस0921 (जेजेएम) के क्षमता निर्माण के लिए प्रमुख संसाधन केंद्र (केआरसी)	2,48,453	8,70,000
45	एस0922 भू-मनरेगा गतिविधियाँ चरण- II	1,19,11,585	
46	एस1021 जीआईएस और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी	-1,71,280	5,03,315
47	एस1121 (जीपीडीपी) की स्थिति, प्रक्रियाएँ, तैयारी में समस्याएँ	17,69,789	9,23,472
48	एस1221 सिंचाई प्रणाली में जीआईएस अनुप्रयोग	21,485	2,37,568
49	एस1222 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0	44,95,241	
50	एस1321 आरडी की सर्वोत्तम पद्धतियों का परिचयात्मक दौरा	7,50,990	7,31,246
51	एस1421 योजना I-एमईएसए का उप-घटक सामाजिक लेखापरीक्षा	-21,20,020	1,35,27,200
52	एस1422 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण अध्ययन दौरा	-3,22,070	
53	एस1522 नई पीढ़ी की जलागम परियोजनाओं के लिए डीपीआर	2,61,866	
54	एस1608 ई-एनेबलमी द्वारा पीआरआई के माध्यम से भारत में परिवर्तन	2,04,11,335	87,26,484
55	एस1622 वाईएसआर पेंशन कानूना का आकलन	7,19,418	
56	एस1810-आंतरिक लेखापरीक्षा- सीआईएआरडी	10,12,082	11,72,341
57	एस2233 एनआरओ-डीडीयूजीवेवाई एमओआरडी	-7,42,566	
58	एस2722 पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों का परिचयात्मक दौरा	-6,62,679	
59	एस3022 जम्मू - कश्मीर के पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों का परिचयात्मक दौरा	3,59,445	
60	15.01.03.03.03 एमएसई द्वारा सिडबी ईज तक पहुंच माध्यम से पीएसआईजी पीआर	3,639	3,543
61	15.01.03.03.04 यूबीए विलेज आईआईटी दिल्ली के लिए प्रॉपरटी राइटिंग	4,29,614	10,143
62	15.01.03.03.05 ई प्रमाणन कार्यक्रम सिंजेंटा फाउंडेशन	5,48,980	5,34,547
63	15.01.03.03.14 रणनीतिपरक संचार आ.प्र, टीएस, कर्नाटक यूनिसेफ	-1,51,854	-1,51,854
64	15.01.03.03.20 एनएमडीसी सीएसआर कार्यक्रम	-19,16,455	-19,16,455
65	15.01.03.03.22 राष्ट्रीय पोषण - सीएचआरडी	17,03,752	16,58,961
66	15.01.03.03.24 संस्थान द्वारा अपनाए गए यूबीए योजना वीसी	6,68,754	1,54,954
67	15.01.03.03.26 - जीएमआरवी फाउंडेशन की सीएसआर पहल का तृतीय पक्ष मूल्यांकन	1,22,810	1,19,581

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
68	15.01.03.03.28 सैनितरी नैपकिन टीएस (बीडीएल) पर सीएसआर जागरूकता	1,55,811	20,96,751
69	15.01.03.03.30-एसएचजी बीसी पथ परियोजना	-21,629	2,67,306
70	15.01.03.03.32 एपी-नाबार्ड में एफपीओ/पीओपीआई के लिए आरएसए	69,11,828	36,43,175
71	15.01.03.03.34 एनआईआरडीपीआर में सीआरसी-सीजीएस की स्थापना	-51,804	-51,804
72	15.01.03.03.35 जीपीडीपी ग्वालियर के माध्यम से बाल हितैषी जीपी पर राष्ट्रीय सम्मेलन	1,15,791	1,12,747
73	15.01.03.03.36 कुपोषण को तोड़ना, खाद्य सुरक्षा -सीएसएस	8,76,960	8,53,905
74	15.01.03.03.37 सतत विकास जीपीडीपी 10 संकुल एपी के लिए एआर	5,56,484	49,11,370
75	15.01.03.03.38 प्रयोगशाला उत्पादकता - सीडब्ल्यूई - रीडिंग विश्वविद्यालय	17,21,480	16,76,222
76	15.01.03.03.44 पंचायत उद्यम सुइट (पीईएस) आवेदन	9,76,273	9,50,607
77	15.01.03.03.46 पंचत सर्विस डिलिवरी पर जीपीडीपी प्रभाव	1,40,964	-6,15,558
78	15.01.03.03.48 भारत पंचायत आईपीकेपी का संचालन	1,00,63,256	97,03,676
79	15.01.03.03.50 झारखंड में निर्वाचित महिला पीआरआई का प्रशिक्षण	41,87,231	40,83,469
80	15.01.03.03.54 एकीकृत कार्य योजना ओडिशा सरकार	-19,900	-
81	15.01.03.03.56 आरटीपी परियोजनाएं	-1,74,46,201	-1,11,94,693
82	15.01.03.03.57 आईपीआरपी और लेखा परीक्षकों के लिए एसटीपी (एनआरएलएम)	9,48,459	9,23,524
83	15.01.03.03.58 एनआरएलएम - सीजीएसआरएलएम	11,83,685	11,52,566
84	15.01.03.03.59 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सीबी एवं टी	-49,646	-49,645
85	15.01.03.03.61 पीआर सांख्यिकी पर एचबी का प्रकाशन	16,18,907	15,76,346
86	15.01.03.03.62 निदेशक महिला बाल कल्याण विभाग	2,07,270	2,01,821
87	15.01.03.03.69 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 एपी केएन	1,64,778	1,60,446
88	15.01.03.03.70 आन्ध्र प्रदेश में मनरेगा अनुसंधान अध्ययन	6,81,626	6,63,706
89	15.01.03.03.71 झारखंड जेएसएलपीएस के लिए प्रेरण और विसर्जन	27,76,935	27,03,929
90	15.01.03.03.76 समय एवं कार्य - पीआर कार्यकर्ताओं के लिए अध्ययन	-1,030	-
91	15.01.03.03.77- जैव-विविधता शासन पर तीसरा टीओटी	-	-
92	15.01.03.03.78 राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश- मनरेगा के लिए सीयूएम अध्ययन दौरा	11,61,398	12,97,372
93	15.01.03.03.81 5राज्यों में एनएसएपी के तहत अनुसूचितों के लिए पायलट सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन	-46,981	-46,981
94	15.01.03.03.82 सतत विकास में जल संसाधन प्रबंधन	-19,08,700	-19,08,700
95	15.01.03.03.83 त्रिपुरा के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए परिचयात्मक दौरा	10,13,687	9,87,037
96	15.01.03.03.84 जीपीडीपी की तैयारी में पीआर का सीबी एवं प्रबंधन	5,61,295	5,80,060
97	15.01.03.03.90- ओडीएफ सततता स्वच्छ भारत मिशन	9,60,662	9,35,406
98	15.01.03.03.92 पीवीटीजी स्टाफ 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,18,221	1,15,113
99	15.01.03.03.93 एसएलएसीसी में सीबी सर्टिफिकेट कोर्स	-	-
100	सी0420 एसटीपी कौशल आजीविका और वित्तीय समावेशन-सीआईसीटीएबी	48,077	46,813
101	सी0520 कृषि एफपीओ में समावेशी विकास - सीआईसीटीएबी	2,42,633	3,97,480
102	सी0522 जागरूकता निर्माण और स्वच्छता नैपकीन की आपूर्ति	69,36,867	-
103	सी0620 आंध्र प्रदेश में नाबार्ड के किसान उत्पादक संगठनों का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	4,60,297	4,48,196

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
104	एस0321 मीडिया एवं प्रचार-प्रसार तथा 'कार्यात्मक अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन' का मूल्यांकन	-6,57,185	-6,57,185
105	एस0421 पंचायत लद्दाख की क्षमताएं बढ़ाने वाला एसटीपी	45,18,246	57,83,980
106	एस0720 एवी लैब और एवी स्टूडियो	9,46,778	9,21,887
107	एस0820 - सीपीजीएस - लचीले जलवायु परिवर्तन में नवाचार	1,16,152	1,13,098
108	एस0822- आयु अध्ययन	6,79,952	-
109	एस0920 एमपी और मॉड्यूल में पेसा का कार्यान्वयन	-63,025	-62,225
110	एस1020 एनआईआरडीपीआर में सीआईआरडीपी केंद्र की स्थापना	10,54,729	10,27,000
111	एस-1022 एमकेएसपी पर शोध अध्ययन	8,85,170	-
112	एस1120 प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु पर अंतर्राष्ट्रीय ई-प्रशिक्षण कार्यक्रम	49,316	48,019
113	एस1220 जम्मू-कश्मीर के डीडीसी सदस्यों के लिए एसटीपी मार्च 2021 सीपीआर	-29,890	-29,890
114	एस1220 जम्मू-कश्मीर, केंद्रशासित प्रदेश के लिए जम्मू में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	-7,615	-7,615
115	एस1322 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रेरक विचार	-2,33,241	-
116	एस1605 उन्नत भारत पर सीएचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम	-69,423	-
117	एस1825 परामर्श-सह-मार्गदर्शन केंद्र-वैशाली-कपार्ट	5,86,828	12,61,195
118	एस1832 नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं रोकथाम पर कार्यशाला	18,683	18,192
119	एस1833 उत्तराखंड के ईआर का प्रशिक्षण परिचयात्मक दौरा	47,35,989	50,97,441
120	एस1901 परिचयात्मक दौरा- केरल के पीआरआई - डीएलजी -केआईएलए	2,13,661	2,08,044
121	एस1902 एसएलएसीसी-एलटीएसए से ग्रामीण आजीविका प्रभाग-एमओआरडी	-	-
122	एस1904 यूपीएसएससी-सीएफआईई के कार्यक्रम पर प्रभाव अध्ययन	5,06,823	4,93,499
123	एस1906 एपीआरआईजीपी दस्तावेजीकरण-एपीआरआई-डब्ल्यूडी एवं सीडब्ल्यू - सीएचआरडी	83,492	81,297
124	एस1907 लेह के नवनिर्वाचित सरपंचों के लिए एक्सपोजर एवं सीबी	-18,14,456	-2,16,815
125	एस1908 कर्नाटक के मैसूर जिला परिषद निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम जीपीडीपी	4,21,882	4,10,791
126	एस1909 आरजीएसए के तहत एमओपीआर में एनपीएमयू की स्थापना	1,94,574	15,68,986
127	एस1911 नवनिर्वाचित स्टाफ पीएसआरएलएम-एनआरएलएम का परिचयात्मक दौरा	8,60,162	8,37,548
128	एस1913 झारखंड के 133 ग्राम पंचायतों में एआर सतत विकास जीपीडीपी	41,43,695	40,34,757
129	एस1914 ठोस एवं तरल अपशिष्ट का ओडीएफ सतत प्रबंधन -एमपी	5,77,719	5,62,531
130	एस1915इम्प्रेस - महाराष्ट्र और तेलंगाना में एनएसए का प्रदर्शन	5,56,762	6,24,776
131	एस1916 यूबीए-एमएचआरडी-सीपीएमई पर मूल्यांकन	38,60,689	38,53,709
132	एस1917 सीजीएसआरएलएम-एनआरएलएम के एसटीपी से एसपीएम डीपीएम बीपीएम वाईपी	25,69,254	25,01,708
133	एस1920 जिम्बाब्वे के ईडी के लिए एसटीपी - रूरल टेक मार्च 2020	-25,636	-
134	एस1921 उत्तराखंड के जिला परिषद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण सह विस्तार	3,62,224	3,52,701
135	एस1922 एसटीपी पीआरआई - त्रिशूर - केआईएलए - फरवरी 2020	3,33,006	3,24,251
136	एस1923 लद्दाख के बीडीसी अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण सह परिचयात्मक दौरा	3,25,270	3,16,719
137	एस2122 डाक कर्मचारियों का प्रशिक्षण - नरेगा (सीईपीए)	4,21,009	-
138	एस2022 मत्स्य पालन विभाग को मछली बीज गणना मशीन की आपूर्ति	7,54,750	-
139	एस2239-सिर्डाप प्रशिक्षण कार्यक्रम-2013-14	-	-66,73,177
140	एस2239-सिर्डाप प्रशिक्षण कार्यक्रम- 2022-23	-1,23,834	-
141	एस2428-केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए)	5,11,211	3,81,71,019
142	एस2516 220 आईएवाई की प्रशिक्षण और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,17,31,256	1,13,97,070

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
143	एस2523 लक्ष्य	4,35,068	4,23,630
144	एस2541 रूरबन मिशन (एसपीएमआरएम)	10,91,121	-8,37,334
145	एस2589 दोहन में जल संसाधन का प्रबंधन	-2,51,864	-
146	एस2822 12 महीने की अवधि के लिए अनुप्रयोग अनुकूलन, तकनीकी सहायता, अनुप्रयोग रखरखाव और प्रशिक्षण	-22,350	-
147	एस2822 प्राप्तियाँ	9,00,777	-
148	एस2922 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत जलागम विकास घटकों के विभिन्न पहलू	1,50,760	-
149	एस3122 एमओआरडी की वेबसाइटों पर लेखापरीक्षा करना	9,18,680	-
150	एस3222 पंजीयन विभाग के अधिकारियों का अधिगम सह प्रदर्शन दौरा	-3,99,226	-
151	एस3422 राजस्व अधिकारियों के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और उपयोग	-15,92,831	-
152	एस3522 गरीबी-शुल्क और उन्नत आजीविका ग्राम पंचायतें	-38,866	-
153	एस3622 बीआरडीओ का प्रशिक्षण-सह-परिचयात्मक दौरा	-8,19,857	-
154	एस3722 जन योजना अभियान-2022 पर झारखंड की राज्य संसाधन टीम	4,54,810	-
155	एस3822 वॉश पोर्टफोलियो (पीएसबी) का आकलन	6,01,256	-
156	एस3922 डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के लिए ई-शासन का अनुप्रयोग	1,15,941	-
157	एस4022 मनरेगा परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पर अध्ययन	-35,90,919	-
158	एस4322 सेवा स्तर बेंचमार्क पर एक पुस्तिका	-250	-
159	एस4422 जलागम विकास में क्यूजीआईएस ऐप	3,32,612	-
160	एस4522 संघवाद को मजबूत करने पर एसटीपी - सिडर्ट, जय	2,21,493	-
161	एस4722 क्षमता निर्माण ओडीएफ प्लस पर एक्सपोजर सह प्रशिक्षण	2,575	-
162	एस4822 स्वच्छ भारत मिशन - जी चरण - II	-9,192	-
163	एस4922 स्वास्थ्य पर पीआरआई पदाधिकारी और एनआरएलएम अधिकारी	-16,53,906	-
164	एस5022 एनआईआरडी में क्षमता निर्माण ग्राहक मालदीव	-6,60,169	-
165	एस5122 05-07 सितम्बर, 2022 तक वर्मी कम्पोस्ट एवं जैव उर्वरकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	96,337	-
166	एस5222 पीआरआई जम्मू और कश्मीर का परिचयात्मक दौरा	25,26,591	-
167	एस5322 योजनाओं और कार्यक्रमों में अनुसंधान केंद्र (सीआरआईएसपी)	2,896	-
168	एस5422 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एनआरएम और जलवायु परिवर्तन एएआरडीओ जनवरी 2023	-5,21,670	-
170	एस5622 नीम पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व	2,51,174	-
171	एस5722 प्राकृतिक खेती पर आईटीडीए मन्नौर	-2,77,531	-
172	एस6122 जलागम और स्प्रिंगशेड प्रबंधन पीएमकेएसवाई	316,57,237	-
173	एस+बी966222-परियोजना उन्नति का मध्यावधि मूल्यांकन अध्ययन	20,18,094	-
174	15.01.03.03.41 यूएनडीपी पुरानी परियोजना	-9,17,637	-9,17,637
175	15.01.03.03.45 - यूएनडीपी-13	36,41,064	36,41,064
176	निष्क्रिय निर्धारित निधि	18,08,36,120	17,32,60,884
177	पी0006(ए)- अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-2013-2014 (समाप्त)	-	340,62,871
178	पी0006(ए)- अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-2022-23	29,53,050	-
179	पी0006 पी-प्रायोजित अनुसंधान परियोजना - एनईआरसी	6,70,230	6,70,230
180	पी0006 पी-प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम - (भुगतान)	-	624,05,136
181	पी0006 पी-प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम - (भुगतान) - एनईआरसी	96,30,128	96,30,128
182	सरस- आईआईटीएफ 2021 - नई दिल्ली	-95,240	18,57,862
	कुल नकारात्मक को चालू परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा	-3,95,96,996	-2,55,41,562
	कुल सकारात्मकताओं को चालू देनदारियों के रूप में माना जाएगा	38,01,63,253	45,23,02,517
	उप कुल	34,05,66,257	42,67,60,955

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
	परियोजना बैंक लेखा		
1	डीडीयू जीकेवाई	4,61,18,265	4,39,10,688
2	एमजीएनआरईजीए	53,49,71,564	60,72,93,139
3	एमकेएसपी	97,88,018	95,28,115
4	एनआरएलएम आरसी	1,59,54,540	57,29,190
5	पीएफएमएस3617 एस0520 250 मॉडल जीपी संकुल	-41,58,022	7,17,49,380
6	पीएफएमएस3825	10,057	10,055
7	पीएफएमएस796	3,83,144	10,615
8	पीएफएमएस9179	11,762	10,615
9	आरसेटी-एनआईआरडीपीआर	68,49,410	69,16,170
10	यूएन महिला	28,765	28,765
	कुल नकारात्मक को चालू परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा	-41,58,022	-
	कुल सकारात्मकताओं को चालू देनदारियों के रूप में माना जाएगा	61,41,15,525	74,51,86,732
	उप कुल	60,99,57,503	74,51,86,732
	कुल योग	1,05,22,27,996	1,22,75,51,793
	(एल4) परामर्शी परियोजनाएँ		
	एनआईआरडीपीआर - आरसी		
1	एटीएमए-सिक्किम-आरसी	1,52,427	1,52,427
2	असम में बेसलाइन सर्वेक्षण पीएमएजीवाई	-1,62,196	-1,62,196
3	क्षमता निर्माण एचएच ओपी IX क्षेत्र एनईआई आरजीएसए - आरसी	14,11,788	14,11,788
4	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण - एनईसी_एनआरएलएम-आरसी	18,93,387	18,93,387
5	क्षमता निर्माण आरजीएसए एसआईआरडी- असम - आरसी	-6,26,696	-6,26,696
6	सी-गार्ड आधारभूत संरचना विकास (एनईसी)-आरसी	-12,04,822	25,46,862
7	असम-आरसी द्वारा चीन मलेशिया प्रदर्शन दौरा	-16,65,212	-16,65,212
8	परामर्शी-कृषि योजना-अरुणाचल-आरसी	18,86,250	-
9	परामर्शी-असम-एसआरएलएम-होम स्टे प्रशिक्षण- आरसी	3,80,252	-
10	परामर्शी जागरूकता क्षमता निर्माण ईआरएससीए त्रिपुरा -आरसी	-1,51,056	-1,51,056
11	परामर्शी - घाटी विकास प्रशिक्षण - मेघालय	18,23,710	18,23,710
12	परामर्शी-बीएलएस-पीएमएजीवाई-असम-आरसी	16,81,567	16,81,566
13	परामर्शी-कैम्पा परियोजना-आरसी	-5,91,775	-
14	परामर्शी - ईपीआरआईएस परियोजना - इसरो - आरसी	-15,806	-15,806
15	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी बी-II और III नागालैंड का विकास -आरसी	5,31,504	5,31,504
16	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी / पीएमकेएसवाडू नागालैंड का विकास - आरसी	-1,68,249	-1,68,249
17	परामर्शी - आईडब्ल्यूएमपी का विकास - त्रिपुरा बी-1 -आरसी	92,203	92,203
18	परामर्शी - पीईआर-अंडमान-निकोबार द्वीप के असम का परिचयात्मक दौरा- आरसी	81,786	81,786
19	परामर्शी - दक्षिण कोरिया और जापान का परिचयात्मक दौरा- आरसी	6,70,597	6,70,597
20	परामर्शी- खाद्य प्रसंस्करण-एमएसआरएलएस-मेघालय-आरसी	40,953	40,953
21	परामर्शी - जीआईएस संसाधन मानचित्रण - आरसी	5,10,475	5,10,475
22	परामर्शी - हेस्को परियोजना- आरसी	6,666	6,666
23	परामर्शी-आईसीसीओए एफपीओ प्रशिक्षण-आरसी	57,500	-
24	परामर्शी-कोल इंडिया लिमिटेड के सीएसआर परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन	4,20,266	4,20,266
25	परामर्शी- निरामोय परियोजना- आरसी	5,88,851	5,88,851
26	परामर्शी एनआरएलएम आरसी एनईआरसी बैंक लेनदेन - आरसी	-29,58,201	-21,16,801

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
27	परामर्शी - एनआरएलएम आरसी एनईआरसी परियोजना	86,80,552	37,70,483
28	परामर्शी - पारिश्रमिक 10% सभी परियोजनाएँ - आरसी	-6,88,680	-6,88,680
29	परामर्शी - आरआरसी - एमजीएनआरईजीएस असम - आरसी	59,117	59,117
30	परामर्शी - मेघालय के लिए ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे - आरसी	-12,72,082	-12,72,082
31	परामर्शी-अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए एसएपी और एसएपी	31,27,584	31,27,584
32	परामर्शी-असम के करघों के अंतर्गत एसएचजी	1,00,000	1,00,000
33	परामर्शी-असम के करघों के अंतर्गत एसएचजी -आरसी	-25,348	-25,348
34	परामर्शी - एसएलएनए - त्रिपुरा - आरसी	1,03,480	1,03,480
35	परामर्शी- ईएफआई के लिए पारंपरिक एवं एनएचवी की भूमिका पर अध्ययन	-4,54,031	-4,54,030
36	परामर्शी - अध्ययन - एमजीएनआरईजीएस - पी एवं आरडी असम- आरसी	1,42,724	1,42,724
37	परामर्शी-समय एवं गति अध्ययन नागालैंड	6,58,810	9,18,958
38	परामर्शी - समय एवं गति अध्ययन- टीएमएस अरुणाचल-आरसी	24,63,457	
39	परामर्शी-जेंडर बजटिंग के तहत प्रशिक्षण भारत सरकार	6,12,180	6,12,180
40	परामर्शी - जल संसाधन विभाग मेघालय - आरसी	-33,438	-33,438
41	डीडीयू जीकेवाई-आरसी	-63,384	-63,384
42	बीआरजीएफ-मेघालय का मूल्यांकन अध्ययन-आरसी	37,487	37,487
43	एसआईआरडी राजस्थान द्वारा परिचयात्मक दौरा	73,934	73,934
44	मछली एवं अंजीर किसान (मेघालय) -आरसी	25,77,107	25,77,107
45	जीआईएस-मैप-आईडब्ल्यूएमपी-असम-आरसी	1,09,239	1,09,239
46	आईडब्ल्यूएमपी - विकास पीएमकेएसवाई - बी-1- त्रिपुरा - आरसी	2,80,000	2,80,000
47	आईडब्ल्यूएमपी-कोकराझार-आरसी	93,787	93,787
48	आईडब्ल्यूएमपी-प्रशिक्षण एसएलएनए असम-आरसी	11,22,817	11,22,817
49	आईडब्ल्यूडब्ल्यूपी- विकास परियोजना नागालैंड-आरसी	7,49,990	7,49,990
50	सौर तापन प्रणाली के लिए एमएनआरई -आरसी	3,99,969	3,99,969
51	एनईसी-क्षमता निर्माण एनआरएलएम तीसरा चरण-आरसी	-16,20,075	-16,20,075
52	एनईसी-एमएपी-आरसी	-1,21,048	-1,21,048
53	एनईसी - स्थानांतरण झूम-कृषि भू-स्थानिक तकनीक -आरसी	1,28,073	1,11,504
54	एनएफडीबी-बील मछली प्रशिक्षण -आरसी	1,14,783	1,14,783
55	कथोरा-नलहारी में एनएफडीबी-मछलीपालन विकास -आरसी	31,171	31,171
56	वर्षा जल संचयन प्रणाली-आरसी	-1,115	-1,114
57	दक्षिण कोरिया और जापान के लिए एसएमई और परिचयात्मक दौरे पर एसटीपी - असम सरकार - आरसी	12,71,697	12,71,697
58	मेघालय के लिए जल संसाधन पर एसटीपी - आरसी	1,69,655	1,69,655
59	टीएसआई-बीआरजीएफ-मेघालय-आरसी	6,39,036	6,39,036
60	ग्राम अभिग्रहण-हतिउथा-आरसी	15,656	15,656
61	व्यावसायिक प्रशिक्षण डब्ल्यूजीएच -मेघालय-आरसी	23,92,943	23,92,943
62	वेस्ट गारो हिल्स-मेघालय प्रशिक्षण एवं परिचयात्मक दौरा -आरसी	14,95,000	14,95,000
63	15.01.02.02.15 अतिथि वक्ताओं को मानदेय	-46,000	-
	कुल नकारात्मक को चालू परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा	-1,18,69,214	-91,85,215
	कुल सकारात्मकताओं को चालू देनदारियों के रूप में माना जाएगा	3,98,80,430	3,29,73,342
	कुल योग	2,80,11,216	2,37,88,127

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
अनुसूची	(एल5) परामर्शी देयताएं		
1	विविध प्राप्तियां - एनईआरसी	3,80,088	3,80,088
2	25% निवेश पर ब्याज - हितकारी निधि	13,20,320	13,05,713
3	75% निवेश पर ब्याज - विकास निधि	39,17,139	39,17,139
4	सी0269 सामान्य और परामर्श के बीच अंतरण	1,22,64,674	1,22,64,674
5	सी0272 कर्मचारियों को परामर्शी मानदेय	10,92,855	10,92,855
6	सी0282 आय कर	3,900	3,900
7	सी0448-एसबी खाते पर ब्याज	43,821	-
8	15.02.02.04.03 सुरक्षा जमा - आरसी	2,78,936	2,78,936
	कुल	1,93,01,733	1,92,43,305
अनुसूची	(एल6) देयताएं और प्रावधान		
	एचहो-हैदराबाद		
1	15.01.02.04.03 - आयकर (परामर्श) - 94जे-0.5%	3,128	-
2	15.01.02.04.03 - आयकर (परामर्श) - 94जे-10%	-7,30,131	3,55,983
3	15.01.02.04.03- आयकर ठेकेदार - 94सी - 2%	1,09,860	3,71,053
4	15.01.02.04.04 - टीडीएस वेतन 92बी	-4,99,146	-3,94,706
5	15.01.02.04.03 टीडीएस किराया - 94आई - 10%	-	15,000
6	15.01.02.04.05 - बिक्री कर/वैट	1,54,109	1,54,109
7	15.01.02.04.06 - सिगनेरेज	8,512	
8	15.01.02.04.07 डीडीयू जीवेवाई से निगरानी शुल्क	90,23,570	19,31,41,323
9	15.01.02.04.08 - अवर्गीकृत आरटीजीएस प्राप्तियां	3,77,00,525	4,75,63,131
10	15.01.02.04.10 - जीएसटी प्रेषण	25,284	25,284
11	15.01.02.04.11 जीएसटी के तहत टीडीएस	1,40,608	1,29,280
12	15.01.02.04.12 श्रम उपकर	59,846	-
13	15.01.02.04.14 - बकाया देयताएं	2,25,97,322	2,22,78,553
14	जीएसटी देय खाता	1,00,557	
15	परियोजनाओं की रोक की गई राशि	1,76,30,048	1,47,51,556
16	प्रतिपूर्ति व्यय देय	24,82,572	2,07,822
17	एस0010 एस-सुरक्षा जमा	29,53,712	1,14,67,196
18	एस0011 एस-बयाना राशि जमा	8,43,363	34,54,722
19	एस0022 एस -स्टाफ कार्टर किराया जमा	2,40,944	-
20	एस0423 कैरियर पोर्टल आवेदन शुल्क से सीआईसीटी राजस्व	3,74,715	
21	देय शैक्षणिक प्रतिनियुक्ति वेतन (ए)	1,37,864	-
22	देय शैक्षणिक नियमित वेतन (ए)	51,44,698	
23	देय गैर शैक्षणिक प्रतिनियुक्ति वेतन (ए)	6,33,915	
24	देय गैर शैक्षणिक प्रतिनियुक्ति वेतन (बी)	1,27,134	
25	देय गैर शैक्षणिक नियमित वेतन (ए)	24,01,517	
26	देय गैर शैक्षणिक नियमित वेतन (बी)	21,09,797	
27	देय गैर शैक्षणिक नियमित वेतन (सी)	39,21,205	
28	देय गैर शैक्षणिक नियमित वेतन (आरसी)	19,33,972	
29	देय परियोजना कर्मचारियों का वेतन	319	
30	पेंशन देय	1,02,56,412	
31	सीपीएफ दिल्ली/सीजीसी का प्रेषण	7,76,176	

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
32	एनपीएस/एलआईपी दिल्ली/सीजीसी का प्रेषण	1,03,962	
33	एनआईआरडीपीआर पीएफ खाता	-59,691	
34	एस2119 आर-सेटी (आरटीपी)	55,81,059	64,83,184
35	एस2233 - डीडीयू जीकेवाई निवेश (दीर्घकालिक)	17,31,40,000	-
36	एनआईआरडीपीआर द्वारा रोकी गई विक्रेता राशि	7,25,331	
37	पीएफ खाते में स्थानांतरण योग्य	-	54,01,616
38	रोक के रखा हुआ विक्रेता जीएसटी	4,50,176	
39	रोकी गई योजना कैपिटल सोलर - प्रीमियर एनर्जीज़ लिमिटेड	4,46,505	4,46,505
40	एनईआरसी - गुवाहाटी		
41	15.02.02.04.01 - सुरक्षा जमा - एनईआरसी	8,62,411	8,62,411
42	15.02.02.04.02 - बयाना राशि जमा - एनईआरसी	4,85,679	4,85,679
43	15.02.02.04.04 एनईआरसी सामान्य लेखा और एनईआरसी परामर्शी लेखा के बीच अंतरण	1,00,00,000	-
44	एनआईआरडी - दिल्ली		
45	15.03.02.01.01 ठेकेदार से जमा	57,000	57,000
46	15.03.02.01.02 बासी चेक	-	1,46,370
47	15.03.02.01.04 अन्य प्रावधान (वेतन एवं प्रशासन)	-	74,36,065
48	15.03.02.01.05-दिल्ली शाखा उचंत	10,78,151	1,76,802
	कुल नकारात्मक को चालू परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा	-12,88,968	-3,94,706
	कुल सकारात्मकताओं को चालू देनदारियों के रूप में माना जाएगा	31,48,21,958	31,54,10,644
	कुल योग	31,35,32,990	31,50,15,938
	(एल7) पारगमन लेखा		
1	15.01.02.05.01 - आयकर (वेतन)	28,34,101	22,94,358
2	15.01.02.05.02 - एलआईसी	1,58,466	1,77,115
3	15.01.02.05.04 उचंत - जीआईएस	-1,63,394	-83,224
4	15.01.02.05.05 - हितकारी निधि वेतन	-	3,10,528
5	15.01.02.05.06 - व्यावसाय कर	15,002	73,250
6	15.01.02.05.09 -एसआरसी	14,654	1,891
7	15.01.02.05.12 वेतन - कोर्ट अटैचमेंट के तहत	-	-
8	15.01.02.05.16 - उचंत - डाक जीवन बीमा योजना	6,905	7,614
9	15.01.02.05.17- उचंत - बैंक ऋण (एनआईआरडी)	10,37,295	10,97,565
10	15.01.02.05.19 - उचंत - बीवीबी स्कूल की फीस	-9,550	-9,550
11	15.01.02.05.20 - उचंत - केबल टीवी कनेक्शन		7,300
12	15.01.02.05.22 - उचंत - एनआईआरडी, एनईआरसी, गुवाहाटी	500	100
13	15.01.02.05.35 एजी (ए एवं ई) पश्चिम बंगाल	-	-
14	15.01.02.05.43 स्वास्थ्य संचित निधि	-	-10,01,589
15	15.01.02.05.49 सीएओ, कपार्ट, नई दिल्ली	1,500	1,110
16	15.01.02.05.50 - उचंत - महालेखाकार हैदराबाद	-	60,770
17	15.01.02.05.53 यूएस प्रशासन मिज़ोरम सरकार	4,680	4,680
18	15.01.02.05.56 एजी ओडिशा एओ(सी)	-	25,710
19	15.01.02.05.57 सीबीडीटी मुंबई एओ(ए)	-	25,710
20	15.01.02.05.59 एसवी पशुचिकित्सक विश्वविद्यालय तिरुपति-वाईवी रमन	-10,232	-10,232
21	15.01.02.05.60 झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय - किरण जालेम	-	-
22	15.01.02.05.61 - पीएओ एमओआरडी - एफ ए	20,120	20,120

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
23	15.01.02.05.62 एसआईआरडी भुवनेश्वर	25,000	25,000
24	15.01.02.05.63 जीपीएफ सदस्यता वसूली	-	17,30,570
25	15.01.02.05.64 सीपीएफ सदस्यता वसूली	-	2,58,910
26	15.01.02.05.65 जीपीएफ और सीपीएफ अग्रिम वसूली	-	46,845
27	15.01.02.05.66 एनपीएस सदस्यता वसूली	-	7,82,962
28	15.01.02.05.70 -डी.डी.ओ.जी.ए.डी	14,620	14,620
29	15.01.02.05.71 उप पीएओ डब्ल्यूआरडी - जी उमा देवी	10,707	-
30	15.01.02.05.72 पीएओ मुख्यालय डीओटी नई दिल्ली - एम शंकर राम	15,060	-
31	15.01.02.05.76- प्रबंधक-आरआईएनएल-डीएफ-वसूली	24,303	-
32	15.01.02.05.67 जीएसटी सामान्य प्रेषण	-14,24,958	5,99,136
33	15.01.02.05.68 जीएसटी डीडीयूजीकेवाई प्रेषण	-	-
34	15.01.02.05.69 पुरानी चेक	1,46,370	7,25,414
	कुल नकारात्मक को चालू परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा	-16,08,134	-11,04,595
	कुल सकारात्मकताओं को चालू देनदारियों के रूप में माना जाएगा	43,29,283	82,91,278
	कुल योग	27,21,149	71,86,683
अनुसूची	(एल8) अंतरण लेखा		
1	15.01.02.06.01 - मुख्य कार्यालय एवं गुवाहाटी के बीच अंतरण		
2	15.01.02.06.02 -सामान्य और परामर्शी के बीच अंतरण	-10,00,000	-10,00,000
3	15.01.02.06.04 सामान्य लेका और पीएफ निधि के बीच अंतरण	-	-
4	15.01.02.06.05 -सामान्य और हितकारी निधि के बीच अंतरण	-7,80,131	-
5	15.01.02.06.06 सामान्य और जीपीएफ लेखा के बीच अंतरण	-3,24,74,054	-1,42,37,856
6	15.01.02.06.21 - भवन निधि को अंतरण	400	400
7	15.01.02.06.29 डीडीयूजीकेवाई 531 लेखा से एसबी 313 लेखा के बीच अंतरण	1,62,66,189	1,62,66,189
8	15.01.02.06.32 सामान्य और चिकित्सा संचय 831 के बीच अंतरण	-75,74,901	-36,66,980
9	15.01.02.06.35 टीए वसूली	-	-
10	एस2270 विभिन्न बैंक खातों के प्रति सामान्य लेखा के बीच अंतरण	-3,000	-3,000
11	सामान्य और संचित खाते के बीच अंतरण	-33,856	349,11,431
12	सामान्य मुख्यालय और एनईआरसी सामान्य के बीच अंतरण	-	-
13	सामान्य और आरसेटी लेखा के बीच अंतरण	-	-3,42,988
14	पीएफ से यूबीआई - सामान्य (एफडी उद्देश्य) के बीच अंतरण	2,95,00,000	25,59,74,141
	कुल नकारात्मक को चालू परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा	-4,18,65,942	-1,92,50,824
	कुल सकारात्मकताओं को चालू देनदारियों के रूप में माना जाएगा	4,57,66,589	30,71,52,161
	कुल योग	39,00,647	2879,01,337
अनुसूची	(एल8) परामर्शी अंतरण लेखा		
1	15.01.02.06.33 परामर्शी - सामान्य निधि को अंतरण	4,16,658	4,16,652
2	15.01.02.06.34 जेड0029-परामर्शी अंतरण लेखा	6,08,788	6,08,788
	कुल	10,25,446	10,25,440

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
अनुसूची	(एल9) सहायता अनुदान का ब्याज और अव्ययित शेष - एमओआरडी		
1	15.01.01.04.01 योजना अनुदान (पूँजीगत)	43,77,86,812	43,82,33,317
2	सामान्य अनुदान अव्ययित शेष	-	5,36,11,175
3	पी0024 जीआईए बैंक खाते पर ब्याज496	2,75,63,729	1,81,64,284
	कुल	46,53,50,541	51,00,08,776
	(एल11) विविध लेनदार		
1	एएओ टीएसएसपीडीसीएल, ईआरओ, गगनपहाड़	8,10,702	-
2	अभिषेक अनंत	3,400	-
3	अंजन कुमार भंजा	8,275	-
4	असरारुल हक	10,000	-
5	बी डी वी के मूर्ति	2,000	-
6	चंदेश्वर पांडे	2,00,000	-
7	सी.एच.राधिका रानी	20,000	-
8	सी कथिरेसन	6,000	-
9	दिल्ली केंद्र अनुदान देय	41,000	-
10	डी नाग राजू	1,350	-
11	जी वी के लोही दास	14,638	-
12	जगन चुंचु	15,000	-
13	जे पी बडोनी, जूनियर सहायक	7,823	-
14	जे वाणीश्री	20,000	-
15	करमजीत सिंह	9,680	-
16	के प्रभाकर	66,636	-
17	मैसर्स मारुति इंटरप्राइजेस	4,972	-
18	एम वेंकट रविबाबू	31,592	-
19	नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,26,036	-
20	एन वी माधुरी	25,000	-
21	एनआईआरडी जनरल को देय कार्यालय स्थान/किराया/रखरखाव	12,87,900	-
22	पी वी दयानंद	10,000	-
23	एस1608 देय टीए/मानदेय बिल	-17,977	-
24	सिमरन इन्फोटेक	4,85,285	-
25	एसआईआरडी, मणिपुर	1,93,500	-
26	एस किशोर कुमार	2,000	-
27	एस के सत्यप्रभा	84,395	-
28	एस रघु एडी	-440	-
29	श्री साई स्वयं सहायता समूह	29,400	-
30	-सुभाष चंद्र महतो	12,000	-
31	एस वी सुवर्चला	-122	-
32	टीवेव टेक्नोलॉजीस	-30,66,444	-
33	यू हेमन्त कुमार	20,000	-
34	उत्तराखंड सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता एजेंसी (यूएसएटीए)	8,68,400	-
35	वेलेंटीना जी	100	-
36	वी जी निथ्या	42,274	-
	कुल नकारात्मक को चालू परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा	-30,84,983	-
	कुल सकारात्मकताओं को चालू देनदारियों के रूप में माना जाएगा	44,59,358	-
	कुल योग	13,74,375	-

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
अनुसूची	(ए4) सावधि जमाओं में निवेश		
	सामान्य		
1	09.01.01.03.01 सावधि और अल्पावधि जमा	1,44,22,55,331	64,92,85,683
2	09.01.01.01.11 सामान्य निधि निवेश	-16,146	-
3	09.01.01.05.02 उच्च न्यायालय के पास सावधि जमा	-	9,72,958
	उप कुल	1,44,22,39,185	65,02,58,641
	चिह्नित निधि		
4	09.01.01.01.02 - सावधि जमा में बीएफ निवेश	16,00,00,000	-
5	09.01.01.01.08 डीडीयूजीकेवाई - सरकारी प्रतिभूतियां और एसडीएल	17,31,40,000	6,28,96,497
6	09.01.01.01.10 एसआरएससी - सरकारी प्रतिभूतियां और एसडीएल निवेश	10,45,00,000	10,45,00,000
7	09.01.01.01.11 एसआरएससी-एफडी	37,92,236	-
8	09.01.01.01.12 सीएफआईई-एफडी	40,64,406	-
9	09.01.01.01.13 सीएफआईई-सरकारी प्रतिभूतियां और एसडीएल निवेश	11,20,00,000	
10	09.01.01.01.14 मूल्यहास आरक्षित निवेश सरकारी प्रतिभूतियां और एसडीएल निवेश	47,46,00,000	41,00,00,000
11	09.01.01.01.15 मूल्यहास आरक्षित -एफडी	63,47,088	-
12	09.01.01.01.16 बीमांकिक मूल्यांकन-सरकारी प्रतिभूतियां और	32,10,41,437	-
13	09.01.01.01.17 बीमांकिक मूल्यांकन - शुल्क	1,62,89,926	-
	09.01.01.01.12 संचित निधि निवेश		
14	09.01.01.01.05 संचित सरकारी प्रतिभूतियां - निवेश	3,84,40,66,327	3,29,36,26,327
15	09.01.01.01.07 सावधि जमा और एसडी में संचित निवेश	27,62,00,000	14,44,00,000
16	संचित - निवेश पर अर्जित आय	62,73,700	30,55,334
	उप कुल	5,50,23,15,120	4,01,84,78,158
	कुल योग	6,94,45,54,305	4,66,87,36,799
	(ए5) वर्तमान परिसंपत्ति		
1	09.01.01.04 - वर्तमान परिसंपत्ति एवं अग्रिम		
2	09.01.01.04.03 अंतिम स्टॉक	23,17,090	24,22,967
3	09.01.01.04.04 अर्जित आय	3,71,54,568	2,71,34,170
4	09.01.01.04.05 पूर्वप्रदत्त व्यय	15,00,652	2,22,336
5	09.01.01.04.06 टी-स्टैम्प	82,672	-
6	09.01.01.04.10 आस्थगित राजस्व व्यय - ईऑफिस मंट	40,97,380	61,46,070
7	साइबरोआम सोफोस फ़ायरवॉल डेफ़ एक्सपो 22-23 23-24	4,13,000	8,26,000
8	परियोजनाओं और अन्य निधियों पर अर्जित ब्याज	1,68,06,312	-
9	बीमांकिक मूल्यांकन - उपार्जित ब्याज	39,32,390	-
10	भवन निधि - उपार्जित ब्याज	49,36,015	-
11	सीआरसीडीबी - उपार्जित ब्याज	12,46,432	-
12	डीडीयूजीकेवाई - उपार्जित ब्याज	18,63,667	5,89,567
13	एसआरएससी - उपार्जित ब्याज	11,62,966	17,37,531
14	मूल्यहास आरक्षित - उपार्जित ब्याज	51,72,389	-
15	टीडीएस प्राप्य 2020-21	8,78,453	8,78,453
16	टीडीएस प्राप्य 2021-22	5,52,517	5,52,517
17	टीडीएस प्राप्य - 2022 - 2023	34,67,151	-
18	09.01.01.01.06 कॉर्पस सरकारी प्रतिभूतियां - अर्जित ब्याज	5,89,03,558	2,27,772
	कुल योग	14,44,87,212	4,07,37,383

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
अनुसूची	(ए6) ऋण और अग्रिम		
	हैदराबाद		
	अन्य अग्रिम		
1	डीसेंट ट्रावेल्स को अग्रिम	9,43,757	-
2	एसआईआरडी को अग्रिम	24,56,338	-
3	प्रिज्म हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को अग्रिम	49,41,547	-
	कर्मचारी अग्रिम		
4	किशोर कुमार एस	-15	-
5	राजेश कुमार सिन्हा	-33,062	-
6	रवीन्द्र एस गवली	-10,305	-
7	डीडीयूजीकेवाई के कर्मचारियों को अग्रिम	15,000	-
8	अनुसंधान के लिए फील्ड एडवांस	43,000	-
9	अकादमिक कर्मचारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण अग्रिम	8,12,200	-
10	शैक्षणिक कर्मचारियों को एलटीसी अग्रिम	-10,348	-
11	गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को एलटीसी अग्रिम	1,05,705	-
12	शैक्षणिक स्टाफ को टीए अग्रिम	-1,85,910	-
13	डीडीयू-जीकेवाई स्टाफ के लिए टीए अग्रिम	12,20,726	-
14	गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को टीए अग्रिम	-3,56,200	-
15	परियोजना कर्मचारियों के लिए टीए अग्रिम	3,49,150	-
16	नियमित कर्मचारियों को टीए अग्रिम	10,000	-
17	09.01.01.06.01 कर्मचारियों को अग्रिम	34,97,785	39,34,899
18	09.01.01.06.02 मोटर वाहन अग्रिम (प्राप्ति)	-1,17,448	-1,17,448
19	09.01.01.06.03 पी-एचबीए (प्राप्तियाँ)	5,66,112	13,40,012
20	09.01.01.06.05 अस्थायी अग्रिम	-12,000	
21	09.01.01.06.06 अग्रदाय	2,09,570	2,10,570
22	09.01.01.06.07- उचंत - पर्सनल कंप्यूटर एडवांस	1,13,181	1,47,600
	कुल नकारात्मक को चालू परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा	-7,25,288	-1,17,448
	कुल सकारात्मकताओं को चालू देनदारियों के रूप में माना जाएगा	1,52,84,071	56,33,081
	कुल योग	1,45,58,783	55,15,633
	एनईआरसी-गुवाहाटी		
23	09.02.01.06 ऋण एवं अग्रिम		
24	09.02.01.06.01 मोटर वाहन अग्रिम (प्राप्तियाँ) - एनईआरसी	-425	-425
25	हितकारी निधि से विवाह ऋण - एनईआरसी	2,58,000	2,58,000
26	पी0003 पी-एचबीए (प्राप्तियाँ) - एनईआरसी	-56,070	-56,070
27	आरसी - विविध अग्रिम - एनईआरसी	-63,602	-63,602
28	आरसी - एनईआरसी - उचंत	2,98,50,645	99,15,275
29	एस0104 एस-पर्सनल कंप्यूटर एडवांस - एनईआरसी	3,06,880	3,06,880
	कुल नकारात्मक को चालू परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा	-1,20,097	-1,20,097
	कुल सकारात्मकताओं को चालू देनदारियों के रूप में माना जाएगा	3,04,15,525	1,04,80,155
	कुल योग	3,02,95,428	1,03,60,058

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
	दिल्ली		
30	09.03.01 वर्तमान परिसंपत्ति		
31	09.03.01.06.01 कर्मचारी ऋण	8,22,013	4,85,813
32	09.03.01.06.02 - दिल्ली - सीपीडब्ल्यूडी - जमा	9,64,307	2,37,11,610
33	09.03.01.06.03 - दिल्ली - जमा - अन्य	7,27,197	7,27,197
34	09.03.01.06.05 - दिल्ली - कर्मचारियों से प्राप्य	5,76,100	5,76,100
35	09.03.01.06.06 - दिल्ली - कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान पर अर्जित ब्याज	29,930	29,930
36	09.03.01.06.07 - डाक टिकट-फ्रैंकलिंग	1,506	1,506
37	दिल्ली केंद्र द्वारा किए गए भुगतान के लिए मोर्ड से प्राप्य	2,41,326	-
	कुल योग	33,62,379	2,55,32,156
	(ए7) विविध देनदार		
1	तकनीकी अनुप्रयोग और पहुंच के लिए उत्तर पूर्व केंद्र	-40,88,592	
	कुल	-40,88,592	
	(ए8) बैंक शेष		
	09.01.01.07 बैंक खाते-हैदराबाद		
1	09.01.01.07.01 एनआईआरडी जीपीएस-एक्सिस 921010026156285	50,14,951	-
2	09.01.01.07.01 एनआईआरडी जीपीएस-एसबीआई-62491365119	12,93,67,484	20,99,74,796
3	09.01.01.07.02 एनआईआरडी सामान्य बचत - 52040475313	14,79,65,127	22,50,26,190
4	09.01.01.07.03 बी एफ-एसबीआई- 125510100109584	-	4,50,074
5	09.01.01.07.04 बीएफ-एसबीआई-52040475211	42,35,999	29,05,902
6	09.01.01.07.06 सीएफ-एसबीआई - 62112588084	4,18,06,601	7,99,92,107
7	09.01.01.07.07 डीएफ-यूबीआई- 125510100109593	-	62,553
8	09.01.01.07.08 डीएफ-एसबीआई- 52040475255	5,16,952	3,46,911
9	09.01.01.07.09 एनआईआरडी सामान्य पीएफएमएस 3276 - एसबीआई 52040475062	3,20,83,672	2,19,80,306
10	09.01.01.07.10 सीएफआईई - एसबीआई - 62094863681	33,77,881	31,45,372
11	09.01.01.07.11 परामर्शी-यूबीआई-125510100109609	-	39,087
12	09.01.01.07.12 परामर्श एसबीआई - 52040475346	23,00,365	22,24,515
13	09.01.01.07.13 डीडीयूजीकेवाई एसबीआई - पीएफएमएस 821 - 62431332037	5,09,93,622	5,69,49,463
14	09.01.01.07.14 डीईसी-पीजीडीसीगार्ड एसबीआई 62350105231	-	1,064
15	09.01.01.07.15 डीईसी पीजीडीएसआरडी - एसबीआई - 62114579633	1,67,662	1,64,188
16	09.01.01.07.16 पीजीडीआरडीएम- एसबीआई - 62052905893	2,28,26,656	2,64,41,073
17	09.01.01.07.17 एमजीनरेगा - पीएफएमएस 9219 - 624766174622	1,21,773	83,264
18	09.01.01.07.18 एमकेएसपी एसबीआई 62185305487	97,89,018	95,29,115
19	09.01.01.07.19 एनआईआरडी सामान्य यूबीआई - 125510100109566	80,634	17097,72,877
20	09.01.01.07.20 कार्य अनुसंधान एसबीआई पीएफएमएस 796 - 38831856272	3,62,32,654	10,615
21	09.01.01.07.21 जीआईए एसबीआई पीएफएमएस 3825 - 38831858496	4,92,28,564	22,71,36,875
22	09.01.01.07.22 पीएमजीएसवाई एसबीआई पीएफएमएस 9179 - 38831859885	-	10,615
23	09.01.01.07.23 आरजीएसए एसबीआई पीएफएमएस 3617 - 38831861328	58,85,906	7,16,37,482
24	09.01.01.07.24 एनआरएलएम आरसी - एसबीआई- 62431461891	1,57,03,043	60,06,483
25	09.01.01.07.25 आरसेटी - यूबीआई -125510100109857	-	3,68,471
26	09.01.01.07.26 आरसेटी - एसबीआई - पीएफएमएस 9181 - 62094415164	68,48,761	65,47,699
27	09.01.01.07.27 एसआरएस चेयर- एसबीआई- 62221101177	40,14,858	21,23,948
28	09.01.01.07.28 यूएन महिला-एसबीआई - 62487461885	-	30,860
29	09.01.01.07.29 प्रायोजित पीआरओ 1 खाता- 39192410848	-	6,72,119
30	09.01.01.07.30 आरबीआई/पीएफएमएस टीएसए 10670501002	44,855	-
	उप कुल	56,86,07,038	2,66,36,34,024

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
	09.02.01.07 बैंक खाते-गुवाहाटी		
31	09.02.01.07.01 एनईआरसी परामर्श पीएनबी 19070100000382	344,37,208	286,16,207
32	09.02.01.07.02 एनईआरसी सामान्य पीएनबी - 1907012100000012	418,48,020	322,30,775
33	09.02.01.07.03 एनईआरसी एनआरएलएम आरसी पीएनबी - 4652000100041001		16,53,681
34	एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी गुवाहाटी 1907010100000373		-
	उप कुल	7,62,85,228	6,25,00,663
	09.03.01.07 बैंक - दिल्ली		
35	09.03.01.07.01 - डीईएल - ईपीएफ	983	29,264
36	09.03.01.07.01 - डीईएल - जीईएन	21,35,922	1,36,01,318
37	09.03.01.07.02 - एफसीआरए - आईओबी 27100	38,05,269	37,01,932
38	09.03.01.07.03 - पीएमआरडीएफ- सीबीआई- 3341604957	1,34,56,553	1,30,90,265
39	09.03.01.07.04 कपार्ट को सहायता	13,66,322	13,29,124
	उप कुल	2,07,65,049	3,17,51,903
	कुल योग	66,56,57,315	2,75,78,86,590
	(ए9) जमा		
1	09.01.01.05.01 एलडीओ नई दिल्ली के साथ जमा	18,94,586	18,94,586
2	09.01.01.05.01 टेलीफोन और अन्य जमाएँ	4,88,675	4,88,675
3	09.01.01.05.03 एपीएसईबी के पास जमा (आरआरएस 345)_	19,40,270	19,40,270
4	09.01.01.05.04 इंटरनेट वहन सेक विभाग एपीएसईबी (आरआरएस 538)	5,09,200	5,09,200
5	09.01.01.05.05 जी.एम. टेलीफोन के साथ जमा	3,74,496	3,74,496
6	09.01.01.05.06 सपना एंटरप्राइज के पास जमा राशि	7,200	7,200
7	09.01.01.05.07 टी1120-एपीडीडीसी के पास जमा	6,240	6,240
8	09.01.01.05.08 अन्य एजेंसियों के पास जमा	9,70,500	9,70,500
9	09.01.01.05.09 सीएच. एस पी, सीटीपी टेलीफोन कार्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद के साथ जमा	10,000	10,000
10	09.01.01.05.10 एपीसीपीडीसीएल (अरावली अतिथि गृह) के पास जमा	4,64,203	4,64,203
11	एनईआरसी छात्रावास नवीनीकरण के लिए सीपीडब्ल्यूडी जीएचवाई के पास जमा	21,78,939	21,78,939
	कुल	88,44,309	88,44,309
	(ए10) परामर्शी परिसंपत्ति		
1	09.01.01.08 - परामर्शी आस्तियां		
2	09.01.01.08.01 एडीवी-टीए/डीए-आरसी	3,00,221	3,00,221
3	09.01.01.08.02 हितकारी निधि से परामर्शी लेखा	29,168	4,585
4	09.01.01.08.05 ईएमडी -आरसी	96,300	96,300
5	09.01.01.08.06 विविध अग्रिम -आरसी	-1,64,800	-1,64,800
	कुल नकारात्मक को चालू परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा	-1,64,800	-1,64,800
	कुल सकारात्मकताओं को चालू देनदारियों के रूप में माना जाएगा	4,25,689	4,01,106
	कुल योग	2,60,889	2,36,306

जारी...

क्र.सं.	समूह विवरण	31 मार्च, 2023 (रु.)	31 मार्च, 2022 (रु.)
	(ए11) एमओआरडी से प्राप्य		
1	09.01.01.12 एमओआरडी से प्राप्य निधि		
2	09.01.01.12.02 संचित- एमओआरडी से प्राप्य	44,12,66,569	44,12,66,569
3	09.01.01.12.03 कर्मचारी हितकारी - बीमांकिक - एमओआरडी से प्राप्त	2,64,17,19,415	2,64,17,19,415
4	09.01.01.12.04 मूल्यहास आरक्षित - एमओआरडी से प्राप्य	52,11,66,421	52,11,66,421
5	09.01.01.12.05 एमओआरडी से प्राप्य अनुदान	-59,83,953	23,99,422
	कुल नकारात्मक को चालू आस्तियों के रूप में माना जाएगा	-59,83,953	-
	कुल सकारात्मकताओं को चालू देनदारियों के रूप में माना जाएगा	3,60,41,52,405	3,60,65,51,827
	कुल	3,59,81,68,452	3,60,65,51,827
	(ए12) अंतरण लेखा		
1	09.01.01.11 - अंतरण लेखा		
2	09.01.01.11.01 मुख्यालय और दिल्ली केन्द्र के बीच अंतरण	47,52,153	-
	कुल	47,52,153	-
	(ए13) परियोजना पारगमन लेखा		
1	09.01.01.09 सामान्य लेखा और परियोजना पारगमन लेखा		
2	09.01.01.09.02 सीएफआईई		1,58,478
3	09.01.01.09.04 एसआरएस चैयर- ग्रामीण मजदूर		18,87,547
4	09.01.01.09.06 एनआरएलएम संसाधन कक्ष	1,57,39,805	-170
5	एस2528- एसआरटी-टेक-मनरेगा का निर्माण	-5,98,33,404	-
6	पीएफएमएस3617 एस0520 250 मॉडल जीपी क्लस्टर		3,94,03,140
	चालू देयताओं के रूप में विचार किए जाने वाले नकारात्मकता का कुल	-5,98,33,404	-170
	वर्तमान संपत्तियों के रूप में मानी जाने वाली सकारात्मकता का कुल	1,57,39,805	4,14,49,165
	कुल	-4,40,93,599	4,14,48,995

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हितकारी निधि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा					
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछले वर्ष 21-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पिछले वर्ष 2021-22
I) प्रारंभिक शेष			I) व्यय		
क) नकद			क) स्थापना व्यय		
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	88,800	25,000
i) चालू खाता					
ii) जमा खाता					
iii) बचत खाता					
	4,32,096	7,52,154	II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के प्रति किए गए भुगतान (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ निधि का नाम		
II) प्राप्त अनुदान			III) किया गया निवेश और जमा		
क) भारत सरकार से			क) चिह्नित/ विन्यास निधि से		
ख) राज्य सरकार से			ख) स्वयं के निधि से (निवेश-अन्य)		
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)					
एनआईआरडी सामान्य लेखा से अंतरण	16,48,258	6,40,493	IV) अचल परिसंपत्तियों और प्रगति पर पूंजीगत कार्य पर व्यय		
III) निम्न से निवेशों पर आय			क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद		
क) चिह्नित/ विन्यास निधि			ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य पर व्यय		
ख) स्वयं का निधि	8,02,701	-			
IV) इन पर प्राप्त ब्याज			V) अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
क) बैंक जमा पर	5,639	12,649	क) भारत सरकार को		
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ख) राज्य सरकार को		
			ग) निधि के अन्य प्रदाताओं के लिए	-	-
V) अन्य आय (निर्दिष्ट करें)					
कर्मचारियों से सदस्यता - एनईआरसी	15,545	19,000	VI) वित्त शुल्क (ब्याज)		
कर्मचारियों से सदस्यता - दिल्ली केन्द्र	1,000	800	VII) अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें) ऋण और अग्रिम	16,50,000	12,50,000
VI) उधार ली गई राशि			VIII) अंतःशेष		
			क) नकद		
VII) कोई अन्य प्राप्तियां			ख) बैंक शेष		
विवाह ऋण की वसूली	1,70,067	2,82,000	i) चालू खाता		
			ii) जमा खाता		
			iii) बचत खाता		
कुल	30,75,306	17,07,096	कुल	30,75,306	17,07,096
				13,36,506	4,32,096
					17,07,096

शांति भूषण
 (शशि भूषण)
 वित्तीय सलाहकार

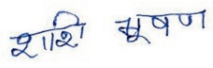
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
हितकारी निधि
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

विवरण	अनु.	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
		रु.	रु.
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय		-	-
अनुदान/सब्सिडी		-	-
शुल्क/सदस्यता	5	1,59,591	1,16,398
निवेश से आय (निधि में हस्तांतरित चिह्नित/ विन्यास निधि से निवेश पर आय)	6	10,61,442	23,97,879
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		-	-
अर्जित ब्याज	7	1,86,999	7,95,061
अन्य आय			
तैयार माल/ कार्य प्रगति के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)			
कुल (क)		14,08,032	33,09,338
व्यय			
स्थापना व्यय			
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	8	2,28,387	25,000
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय			
ब्याज			
मूल्यहास (वर्ष के अंत में निवल कुल)			
कुल (ख)		2,28,387	25,000
व्यय पर आय का आधिक्य शेष (क-ख)		11,79,645	32,84,338
विशेष रिज़र्व में अंतरण			
सामान्य रिज़र्व से/में अंतरण			
शेष राशि अधिशेष/(घाटा) होने पर कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया गया		11,79,645	32,84,338
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ			
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियाँ			

शशि भूषण

(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हितकारी निधि 31 मार्च 2023 को तुलन पत्र				
विवरण		अनु.संदर्भ	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
			रु.	रु.
I	पूंजी और देयताएं			
	संचित /पूंजी निधि	1	2,06,65,419	1,94,85,774
	आरक्षित एवं अधिशेष		-	-
	चिह्नित निधि			
	सुरक्षित ऋण और उधार			
	असुरक्षित ऋण और उधार			
	आस्थगित ऋण देयताएँ			
	वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	2	7,81,330	28,30,800
कुल योग			2,14,46,749	2,23,16,574
II	परिसंपत्ति			
	सावधि जमा			
	चिह्नित /विन्यास निधि से निवेश			
	निवेश - अन्य	3	1,50,00,000	1,68,56,683
	वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	4	64,46,749	54,59,891
	विविध व्यय		-	-
कुल योग			2,14,46,749	2,23,16,574
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां		25		
ध्यान दें: वार्षिक लेखा, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरण के अनुसार हैं				


 (शशि भूषण)
 वित्तीय सलाहकार


 (जी नरेन्द्र कुमार)
 महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हितकारी निधि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियां			
अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
		रु.	रु.
अनु. 5	शुल्क/सदस्यता (सीपीजीएस पाठ्यक्रम से)		
	1) प्रवेश शुल्क		
	2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता		
	दिल्ली केंद्र से सदस्यता	1,000	800
	कर्मचारियों से सदस्यता -एनईआरसी	15,545	19,000
	कर्मचारियों से सदस्यता -एनआईआरडी	1,43,046	-
	कर्मचारियों से सदस्यता -मुख्यालय	-	96,598
	3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
	4) परामर्शी शुल्क	-	-
	5) अन्य	-	-
	कुल	1,59,591	1,16,398
अनु. 6	निवेश से आय (चिह्नित /विन्यास निधि से)		
	1) ब्याज		
	क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	10,61,442	23,97,879
	ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-
	2) लाभांश		
	क) शेयरों पर	-	-
	ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
	3) किराया	-	-
	4) अन्य	-	-
		10,61,442	23,97,879
अनु. 7	अर्जित ब्याज		
	1) सावधि जमा पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	2) बचत खातों पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	5,639	12,649
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) डाकघर बचत खातों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	3) ऋण पर		
	क) कर्मचारी/स्टाफ		
	ख) अन्य	1,81,360	7,45,694
	ऋण एवं अग्रिम		36,718
	4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
		1,86,999	7,95,061

जारी...

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
		रु.	रु.
	क) वेतन और मजदूरी		
	ख) भत्ते और बोनस		
	ग) भविष्य निधि में योगदान		
	घ) अन्य निधि में योगदान		
	ड.) कर्मचारी कल्याण व्यय		
	मृत कर्मचारियों के परिवार को सहायता	25,000	25,000
	कर्मचारी कल्याण	1,43,387	
	कैंटीन के लिए अनुदान	60,000	
	च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर व्यय और सेवांत लाभ		
	छ) अन्य		
		2,28,387	25,000

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
हितकारी निधि
31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
अनु.1	पूंजी निधि - सामान्य		
	वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,94,85,774	1,62,01,436
	जोड़ें: संचित/ पूंजी निधि में योगदान	11,79,645	32,84,338
	जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित शुद्ध आय/ (व्यय) का शेष		
	वर्ष के अंत में शेष	2,06,65,419	1,94,85,774
अनु. 2	वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
	क) वर्तमान देयताएं		
	1) स्वीकृतियां		-
	2) विविध लेनदार		
	क) सामान के लिये		
	ख) अन्य		-
	3) प्राप्त अग्रिम		-
	4) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं		
	क) सुरक्षित ऋण/उधार		
	ख) असुरक्षित ऋण/उधार		
	5) वैधानिक देयताएं		
	क) अतिदेय		
	ख) अन्य		-
	6) अन्य वर्तमान देयताएं		
	ट्रांसफर बेट एनआईआरडी जनरल ए/सी और परोपकारी निधि ए/सी	7,81,330	-
	चिकित्सा संचित निधि लेखा को देय	-	28,30,800
	कुल (क)	7,81,330	28,30,800
	ख) प्रावधान		
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	7,81,330	28,30,800
अनु.3	चिह्नित निधि से निवेश		
	1) सरकारी प्रतिभूतियों में	1,50,00,000	-
	2) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		-
	3) शेयर		-
	4) डिबेंचर और बांड		-
	5) सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम		-
	6) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
	सावधि जमा में निवेश		1,68,56,683
	सावधि जमा में -संचित निवेश		-
	कुल	1,50,00,000	1,68,56,683
अनु.4	वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम		
	क) वर्तमान परिसंपत्ति		
	1) सूची		
	क) भण्डार एवं पुर्जे		
	ख) खुले उपकरण		
	ग) बिक्री के लिए माल		

जारी...

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
	i) तैयार माल		-
	ii) कार्य प्रगति पर		-
	iii) कच्चा माल		-
	2) विविध लेनदार		
	क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण		-
	ख) अन्य		-
	3) नकद शेष		-
	4) बैंक शेष		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खातों पर	-	-
	- जमा खातों पर (मार्जिन राशि शामिल)	-	-
	- बचत खातों पर	13,36,505	4,32,094
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खातों पर		-
	- जमा खातों पर (मार्जिन राशि शामिल)		-
	- बचत खातों पर		-
	5) डाकघर बचत खाते		-
	कुल (क)	13,36,505	4,32,094
	ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ		
	1) ऋण		
	क) कर्मचारी		
	ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य इकाइयाँ		-
	ग) अन्य	34,71,850	-
	2) नकद या वस्तु के रूप में या मूल्य प्राप्त करने के लिए अग्रिम एवं वसूली योग्य अन्य राशियाँ		
	क) पूंजी खाते पर		
	ख) पुनर्भुगतान		
	ग) अन्य		
	i) कर्मचारी		
	ii) अन्य		
	3) अर्जित आय		
	क) चिह्नित /विन्यास निधि से निवेश पर	-	-
	ख) निवेश पर - अन्य	1,61,458	3,73,582
	ग) ऋण और अग्रिम पर		
	घ) अन्य		
	4) प्राप्य दावे		-
	5) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		
	क) हितकारी निधि से प्राप्य	-	-
	ख) स्टाम्प/फ्रैंकिंग	-	-
	ग) एनआईआरडी सामान्य लेखा से प्राप्य		3,10,528
	घ) कर्मचारियों के लिए अग्रिम		30,37,974
	ड.) परामर्शी निवेश पर प्राप्य 25% ब्याज - एमओ-बी/एस	14,76,936	13,05,713
	कुल (ख)	51,10,244	50,27,797
	कुल (क+ख)	64,46,749	54,59,891

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान भविष्य निधि					
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा					
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछले वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पिछले वर्ष 2021-22
I) प्रारंभिक शेष			I) व्यय		
क) नकद			क) स्थापना व्यय		
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय		
i) चालू खाता			(i) एनएसडीएल सेवा शुल्क (एनपीएस)	-	22,293
ii) जमा खाता					
iii) बचत खाता	89,40,412	9,64,92,548	II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि का भुगतान		
			(निधि का नाम या प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दिखाया जाना चाहिए)		
II) प्राप्त अनुदान					
क) भारत सरकार से			III) किया गया निवेश और जमा		
ख) राज्य सरकार से			क) चिह्नित/ विन्यास निधि से		
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)			ख) स्वयं के निधि से (निवेश-अन्य)		
			भविष्य निधि से यूबीआई के मध्य अंतरण- सामान्य एफडी उद्देश्य	-	25,00,00,000
III) निम्न से निवेशों पर आय			IV) अचल परिसंपत्तियों और प्रगति पर पूंजीगत कार्य पर व्यय		
क) चिह्नित/ विन्यास निधि			क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद		
ख) स्वयं की निधि			ख) प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय		
सावधि एवं अल्पावधि जमा	-	17,37,80,042			
IV) इन पर प्राप्त ब्याज			V) अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
क) बैंक जमा पर			क) भारत सरकार से		
एसबी खाते पर ब्याज	3,17,996	10,90,045	ख) राज्य सरकार से		
निवेश पर ब्याज	90,43,039	139,11,931	ग) निधि के अन्य प्रदाताओं के लिए		
सावधि जमा पर ब्याज	16,13,463				
ख) ऋण, अग्रिम आदि					

जारी..

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछले वर्ष 2021-22	भुगतान	चालू वर्ष 2022-23	पिछले वर्ष 2021-22
			VI) वित्त शुल्क (ब्याज)		
			VII) कोई अन्य प्राप्तियाँ		
V) अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			नई पेंशन योजना (मुख्यालय)	98,47,023	93,98,797
			नई पेंशन योजना (एनईआरसी)	8,51,453	8,64,874
VI) उधार ली गई राशि			सामान्य खाता और भविष्य निधि खाते के बीच अंतरण	50,000	
			सीपीएफ	3,99,17,060	4,52,32,903
VII) कोई अन्य प्राप्तियाँ			जीपीएफ	4,07,74,260	3,56,87,569
सीपीएफ (एनईआरसी)		2,73,236	प्रबंधन योगदान	1,07,29,385	1,02,63,671
नई पेंशन योजना (मुख्यालय)	1,07,27,900	90,66,168			
नई पेंशन योजना (एनईआरसी)	21,28,636	11,38,131	VIII) अंत शेष		
अधिशेष	5,43,559		क) नकद		
सामान्य लेखा और भविष्य निधि लेखा के बीच अंतरण	2,07,87,545	1,50,00,000	ख) बैंक शेष		
सीपीएफ	163,16,657	1,26,05,002	i) चालू खाता		
जीपीएफ	2,19,79,682	2,79,48,786	ii) जमा खाता		
प्रबंधन योगदान	1,96,70,464	91,04,629	iii) बचत खाता	5,62,75,929	89,40,412
एनआईआरडीपीआर से प्राप्य	54,01,616				
भविष्य निधि से यबीआई - सामान्य के बीच अंतरण (एफडी उद्देश्य)	4,09,74,141				
कुल	15,84,45,110	36,04,10,518	कुल	15,84,45,110	36,04,10,519

शुद्धि सूचना

 (राशि भूषण)
 वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

भविष्य निधि

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

विवरण	अनु.	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
		रु.	रु.
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय			
अनुदान/सब्सिडी			
शुल्क/सदस्यता	5		
निवेश से आय (निधि में हस्तांतरित चिह्नित/ विन्यास निधि से निवेश पर आय)	6	1,51,47,989	63,47,546
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय			
अर्जित ब्याज	7	5,95,492	78,26,330
अन्य आय			
तैयार माल/ कार्य प्रगति के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)			
कुल (क)		1,57,43,481	1,41,73,876
व्यय			
स्थापना व्यय			
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	8	-	1,94,264
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय			
ब्याज	9	1,47,54,319	1,59,55,754
मूल्यहास (वर्ष के अंत में निवल कुल)			
कुल (ख)		1,47,54,319	1,61,50,018
व्यय पर आय का आधिक्य शेष (क-ख)		9,89,162	(19,76,142)
विशेष रिजर्व में अंतरण			
सामान्य रिजर्व से/में अंतरण		9,89,162	(19,76,142)
शेष राशि अधिशेष/(घाटा) होने पर कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया गया			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ			
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियाँ			

शशि भूषण

(शशि भूषण)

वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

भविष्य निधि

31 मार्च 2023 को तुलन पत्र

विवरण		अनु. संदर्भ	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
			रु.	रु.
पूंजी और देयताएं				
I	संचित /पूंजी निधि	1	7,07,45,260	3,53,39,935
	आरक्षित एवं अधिशेष			
	चिह्नित निधि			
	सुरक्षित ऋण और उधार			
	असुरक्षित ऋण और उधार			
	आस्थगित ऋण देयताएँ			
	वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	2	24,04,04,850	30,30,71,941
कुल योग			31,11,50,110	33,84,11,876
II	परिसंपत्ति			
	सावधि जमा			
	चिह्नित /विन्यास निधि से निवेश	3	25,17,91,024	6,62,91,024
	निवेश - अन्य			
	वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	4	6,03,48,249	27,21,20,852
	विविध व्यय		-	-
कुल योग			31,21,39,273	33,84,11,876
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां		25		
ध्यान दें: वार्षिक लेखा, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरण के अनुसार हैं				

शशि भूषण
(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

जी नरेन्द्र कुमार
(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान भविष्य निधि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियां			
अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
		रु.	रु.
अनु. 5	शुल्क/सदस्यता (सीपीजीएस पाठ्यक्रम से)		
	1) प्रवेश शुल्क		
	2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता		
	कर्मचारियों से सदस्यता	-	-
	पेंशनभोगियों से सदस्यता	-	-
	3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
	4) परामर्शी शुल्क	-	-
	5) अन्य	-	-
	कुल	-	-
अनु. 6	निवेश से आय (चिह्नित /अक्षय निधि से)		
	1) ब्याज		
	क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	1,51,47,989	63,47,546
	ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-
	2) लाभांश		
	क) शेयरों पर	-	-
	ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
	3) किराया	-	-
	4) अन्य	-	-
		1,51,47,989	63,47,546
अनु. 7	अर्जित ब्याज		
	1) सावधि जमा पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	2,77,496	
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	2) बचत खातों पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	3,17,996	78,26,330
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) डाकघर बचत खातों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	3) ऋण पर		
	क) कर्मचारी/स्टाफ		
	ख) अन्य		
	4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
		5,95,492	78,26,330
अनु. 8	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
	परिशोधन व्यय दिल्ली	-	89,724
	एनएसडीएल सेवा शुल्क (एनपीएस)	-	22,293
	पूर्व अवधि मद	-	82,247
		-	1,94,264
अनु. 9	ब्याज		
	जीपीएफ/सीपीएफ/एनपीएस पर ब्याज का भुगतान	1,47,54,319	1,59,55,754
		1,47,54,319	1,59,55,754

जारी...

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
अनु. 1	पूंजीगत निधि / संचित निधि		
	पूंजीगत निधि - सामान्य		
	वर्ष की शुरुआत में शेष	3,53,39,935	3,73,16,077
	जोड़ें: संचित/पूंजी निधि में योगदान	3,54,05,325	(19,76,142)
	जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष		-
	वर्ष के अंत में शेष	7,07,45,260	3,53,39,935
अनु. 2	वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
	क) वर्तमान देयताएं		
	1) स्वीकृतियां		-
	2) विविध लेनदार		
	क) सामान के लिए		
	ख) अन्य		-
	3) प्राप्त अग्रिम		-
	4) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं		
	क) सुरक्षित ऋण/उधार		
	ख) असुरक्षित ऋण/उधार		
	5) वैधानिक देयताएं		
	क) अतिदेय		
	ख) अन्य		-
	6) अन्य वर्तमान देयताएं		
	सीपीएफ	8,30,14,455	12,89,41,441
	जीपीएफ	8,10,52,097	10,55,63,302
	प्रबंधन योगदान	7,16,84,905	5,00,34,004
	सीपीएफ (एनईआरसी)	-	-
	नई पेंशन योजना (एमओ)	16,78,339	37,92,824
	नई पेंशन योजना (एनईआरसी)		-
	एस लेनदार	-	5,01,514
	सामान्य लेखा और भविष्य निधि के बीच अंतरण	29,75,054	1,42,38,856
	कुल (क)	24,04,04,850	30,30,71,941
	ख) प्रावधान		
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	24,04,04,850	30,30,71,941

जारी...

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
अनु.3	चिह्नित निधि से निवेश		
	1) सरकारी प्रतिभूतियों में	15,80,00,000	5,25,00,000
	2) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		-
	विशेष जमा योजना - दिल्ली	1,37,91,024	1,37,91,024
	3) शेयर		
	4) डिबेंचर और बांड		-
	5) सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम		-
	6) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
	सावधि जमा में निवेश	8,00,00,000	
	संचित निवेश - सावधि जमा में		-
	कुल	25,17,91,024	6,62,91,024
अनु. 4	वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम		
	क) वर्तमान परिसंपत्ति		
	1) सूची		
	क) भण्डार एवं पुर्जे		
	ख) ढीले उपकरण		
	ग) बिक्री के लिए माल		
	i) तैयार माल		-
	ii) कार्य प्रगति पर		-
	iii) कच्चा माल		-
	2) विविध देनदार		
	क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण		-
	ख) अन्य		-
	3) नकद शेष		-
	4) बैंक शेष		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खातों पर		-
	- जमा खातों पर (मार्जिन मनी शामिल)		-
	- बचत खातों पर		-
	ईओबी दिल्ली - 27111	7,58,226	
	एसबीएच एनआईआरडी - 75233	5,55,17,703	89,40,411
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खातों पर		-
	- जमा खातों पर (मार्जिन मनी शामिल)		-
	- बचत खातों पर		-
	5) डाकघर बचत खाते		-
	कुल (क)	5,62,75,929	89,40,411

जारी...

अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
	ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ		
	1) ऋण		
	क) कर्मचारी		
	ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य इकाइयाँ		-
	ग) अन्य		
	2) नकद या वस्तु के रूप में या मूल्य प्राप्त करने के लिए अग्रिम एवं वसूली योग्य अन्य राशियाँ		
	क) पूंजी खाते पर		
	ख) पुनर्भुगतान		
	ग) अन्य		
	i) कर्मचारी		
	ii) अन्य		
	3) अर्जित आय		
	क) चिह्नित /विन्यास निधि से निवेश पर		-
	ख) निवेश पर - अन्य		
	ग) ऋण और अग्रिम पर		
	घ) अन्य	36,03,603	13,35,967
	4) प्राप्य दावे		-
	5) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		
	क) हितकारी निधि से प्राप्य	-	-
	ख) दिल्ली सीपीएफ परिशोधन	4,68,717	4,68,717
	ग) एनआईआरडीपीआर से प्राप्य	-	54,01,616
	घ) भविष्य निधि से यूबीआई सामान्य के बीच अंतरण (एफडी उद्देश्य)	-	2559,74,141
	ड.) स्टाम्प/फ्रैंकिंग	-	-
	कुल (ख)	40,72,320	26,31,80,441
	कुल (क+ख)	6,03,48,249	27,21,20,852

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान चिकित्सा संचित निधि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा					पिछले वर्ष 2021-22	चालू वर्ष 2022-23	पिछले वर्ष 2021-22
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2022-23	पिछले वर्ष 2021-22	भुगतान				
I) प्रारंभिक शेष			I) व्यय				
क) नकद			क) स्थापना व्यय			12,37,256	30,58,731
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय				
i) चालू खाता		-					
ii) जमा खाता		-					
iii) बचत खाता	16,82,935	24,87,791	II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि का भुगतान (निधि का नाम या प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दिखाया जाना चाहिए)				
II) प्राप्त अनुदान			III) किया गया निवेश और जमा				
क) भारत सरकार से			क) चिह्नित/ वित्तिय निधि से				
ख) राज्य सरकार से			ख) स्वयं के निधि से (निवेश-अन्य)			-	
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)			IV) अचल परिसंपत्तियों और प्रगति पर पूंजीगत कार्य पर व्यय				
III) निम्न से निवेशों पर आय			क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद				
क) चिह्नित/ वित्तिय निधि	34,96,174		ख) प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय				
ख) स्वयं का निधि	-		V) अधिशेष धन/ऋण की वापसी				
IV) इन पर प्राप्त ब्याज			क) भारत सरकार से		68,560		
क) बैंक जमा पर	25,893		ख) राज्य सरकार से				
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ग) निधि के अन्य प्रदाताओं के लिए				
V) अन्य आय (निर्दिष्ट करें)							
पेंशनभोगियों से सदस्यता	1,56,802	10,01,589					
कर्मचारियों से सदस्यता	4,32,000	11,83,726					
एनआईआरडी सामान्य लेखा और चिकित्सा संचित निधि के बीच अंतरण							
चिकित्सा व्यय- सदस्य	1,152						
VI) उधार ली गई राशि			VI) वित्त शुल्क (ब्याज)				
			VII) अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)				
VII) कोई अन्य प्राप्ति							
सावधि जमा की परिपक्वता	26,60,244		VIII) अंतःशेष				
			क) नकद				
			ख) बैंक शेष				
			i) चालू खाता				
			ii) जमा खाता				
			iii) बचत खाता				
कुल	84,55,200	47,41,666	कुल			72,17,944	16,82,935
						84,55,200	47,41,666

रूग्ण चूषण
(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
चिकित्सा संचित निधि
31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

विवरण	अनु.	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
		रु.	रु.
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय		-	-
अनुदान/सब्सिडी		-	-
शुल्क/सदस्यता	5	15,51,422	21,85,315
निवेश से आय (निधि में अंतरित चिह्नित/ विन्यास निधि से निवेश पर आय)	6	41,91,929	9,36,709
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		-	-
अर्जित ब्याज	7	25,893	68,560
अन्य आय		-	-
तैयार माल/ कार्य प्रगति के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)		-	-
कुल (क)		57,69,244	31,90,584
व्यय			
स्थापना व्यय	8	32,49,196	30,79,358
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		-	-
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय		-	0
ब्याज		-	-
मूल्यहास (वर्ष के अंत में निवल कुल)			
कुल (ख)		32,49,196	30,79,358
व्यय पर आय का आधिक्य शेष (क-ख)		25,20,048	1,11,226
विशेष रिजर्व में अंतरण		-	-
सामान्य रिजर्व से/में अंतरण		-	-
शेष राशि अधिशेष/(घाटा) होने पर कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया गया		25,20,048	1,11,226

शशि भूषण
 (शशि भूषण)
 वित्तीय सलाहकार

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
चिकित्सा संचित निधि
31 मार्च 2023 को तुलन पत्र

विवरण		अनु. संदर्भ	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
			रु.	रु.
पूंजी और देयताएं				
I	संचित /पूंजी निधि	1	6,53,98,259	6,38,79,800
	आरक्षित एवं अधिशेष		-	-
	चिह्नित निधि		-	-
	सुरक्षित ऋण और उधार		-	-
	असुरक्षित ऋण और उधार		-	-
	आस्थगित ऋण देयताएँ		-	-
	वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	2	75,87,818	36,66,980
कुल योग			7,29,86,077	6,75,46,780
II	परिसंपत्ति			
	सावधि जमा			
	चिह्नित /विन्यास निधि से निवेश	3	6,50,00,000	6,27,41,921
	निवेश - अन्य			-
	वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	4	79,86,077	31,31,924
	विविध व्यय		-	-
कुल योग			7,29,86,077	6,58,73,845
ध्यान दें: वार्षिक लेखा, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरण के अनुसार हैं				

शशि भूषण
(शशि भूषण)
वित्तीय सलाहकार

(जी नरेन्द्र कुमार)
महानिदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान चिकित्सा संचित निधि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियां			
अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023 रु.	31-मार्च-2022 रु.
अनु. 5	शुल्क/सदस्यता (सीपीजीएस पाठ्यक्रम से)		
	1) प्रवेश शुल्क		
	2) वार्षिक शुल्क/सदस्यता		
	कर्मचारियों से सदस्यता	11,19,422	11,83,726
	पेंशनभोगियों से सदस्यता	4,32,000	10,01,589
	3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
	4) परामर्शी शुल्क	-	-
	5) अन्य	-	-
	कुल	15,51,422	21,85,315
अनु. 6	निवेश से आय (चिह्नित /विन्यास निधि से)		
	1) ब्याज		
	क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	41,91,929	9,36,709
	ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-
	2) लाभांश		
	क) शेयरों पर	-	-
	ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
	3) किराया	-	-
	4) अन्य	-	-
		41,91,929	9,36,709
अनु. 7	अर्जित ब्याज		
	1) सावधि जमा पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	2) बचत खातों पर		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	25,893	68,560
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) डाकघर बचत खातों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
	3) ऋण पर		
	क) कर्मचारी/स्टाफ		
	ख) अन्य		
	4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
		25,893	68,560
अनु. 8	स्थापना व्यय		
	क) वेतन और मज़दूरी		
	बी) भत्ते और बोनस		
	ग) भविष्य निधि में योगदान		
	घ) अन्य निधि में योगदान		
	ड.) कर्मचारी कल्याण व्यय		
	03 चिकित्सा		
	हैदराबाद	32,49,196	30,79,358
	च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवान्त लाभ पर व्यय		
	छ) अन्य		
		32,49,196	30,79,358

जारी...

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान चिकित्सा संचित निधि 31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां			
अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
अनु.1	पूँजीगत निधि / संचित निधि		
	पूँजीगत निधि - सामान्य		
	वर्ष की शुरुआत में शेष	638,79,800	187,68,574
	जोड़ें: संचित/पूँजी निधि में योगदान	(10,01,589)	450,00,000
	जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	25,20,048	1,11,226
	वर्ष के अंत में शेष	653,98,259	638,79,800
अनु- 2	वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
	क) वर्तमान देयताएं		
	1) स्वीकृतियां		-
	2) विविध लेनदार		
	क) सामान के लिए		
	ख) अन्य		-
	3) प्राप्त अग्रिम		-
	4) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं		
	क) सुरक्षित ऋण/उधार		
	ख) असुरक्षित ऋण/उधार		
	5) वैधानिक देयताएं		
	क) अतिदेय		
	ख) अन्य		-
	6) अन्य वर्तमान देयताएं		
	एनआईआरडी सामान्य लेखा में देय	75,87,818	36,66,980
	कुल (क)	75,87,818	36,66,980
	ख) प्रावधान		
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	75,87,818	36,66,980
अनु-3	चिह्नित निधि से निवेश		
	1) सरकारी प्रतिभूतियों में	6,50,00,000	4,42,78,537
	2) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		-
	3) शेयर		-
	4) डिबेंचर और बांड		-
	5) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम		-
	6) अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
	सावधि जमा में निवेश		1,84,63,384
	संचित निवेश - सावधि जमा में		-
	कुल	6,50,00,000	6,27,41,921
अनु - 4	वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम		
	क) वर्तमान परिसंपत्ति		
	1) सूची		
	क) भण्डार एवं पुर्जे		
	ख) ढीले उपकरण		
	ग) बिक्री के लिए माल		
	i) तैयार माल		-
	ii) कार्य प्रगति पर		-
	iii) कच्चा माल		-

जारी...

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान चिकित्सा संचित निधि 31 मार्च 2023 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ			
अनु. सं.	विवरण	31-मार्च-2023	31-मार्च-2022
	2) विविध देनदार		
	क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण		-
	ख) अन्य		-
	3) नकद शेष		-
	4) बैंक शेष		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खातों पर	72,86,421	-
	- जमा खातों पर (मार्जिन राशि शामिल)		-
	- बचत खातों पर		-
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
	- चालू खातों पर		-
	- जमा खातों पर (मार्जिन राशि शामिल)		-
	- बचत खातों पर		-
	5) डाकघर बचत खाते		-
	कुल (क)	72,86,421	-
	ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ		
	1) ऋण		
	क) कर्मचारी		
	ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य इकाइयाँ		-
	ग) अन्य		
	2) नकद या वस्तु के रूप में या मूल्य प्राप्त करने के लिए अग्रिम एवं वसूली योग्य अन्य राशियाँ		
	क) पूंजी खाते पर		
	ख) पुनर्भुगतान		
	ग) अन्य		
	i) कर्मचारी		
	ii) अन्य		
	3) अर्जित आय		
	क) चिह्नित /विन्यास निधि से निवेश पर	6,99,656	2,91,124
	ख) निवेश पर - अन्य		
	ग) ऋण और अग्रिम पर		
	घ) अन्य		
	4) प्राप्य दावे		10,000
	5) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		
	क) हितकारी निधि से प्राप्य	-	28,30,800
	ड.) स्टाम्प/फ्रैंकिंग	-	-
	कुल (ख)	6,99,656	31,31,924
	कुल (क+ख)	79,86,077	31,31,924

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियां

**अनुसूची - 24 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और
अनुसूची - 25 - आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां**

अनुसूची - 24 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

क) लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लागत परिपाटी और लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

ख) संस्थान के लेखे

संस्थान निम्नलिखित लेखों का रखरखाव करता है:

- i) एनआईआरडीपीआर लेखा
- ii) हितकारी निधि लेखा
- iii) भविष्य निधि लेखा
- iv) एनआईआरडीपीआर चिकित्सा संचित निधि लेखा

जैसा कि संस्थान के वित्तीय उपनियमों में निर्धारित है, संस्थान के लेखों को महानिदेशक द्वारा संकलित, तैयार और अनुमोदित किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित तीन विवरण दर्शाए जाते हैं और संकलित वार्षिक लेखे 30 जून से पहले लेखापरीक्षा के लिए संस्थान के लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत किए जाते हैं:

- i) प्राप्ति और भुगतान लेखा
- ii) आय और व्यय लेखा
- iii) तुलन पत्र

लेखों की लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंपा गया है।

2. सरकारी अनुदान: संस्थान को केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान से वित्त पोषित किया जाता है। सहायता अनुदान (सामान्य और वेतन) का लेखा-जोखा प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। वर्ष के अंत में उपयोग की गई सीमा तक पूंजीगत अनुदान पूंजीगत निधि में अंतरित कर दिया जाता है। ऐसे अप्रयुक्त अनुदानों की शेष राशि को तुलन पत्र में अनुदानों के समापन शेष के रूप में - देयताओं के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। निधियां सामान्य एवं वेतन के अंतर्गत अलग-अलग प्राप्त की जाती हैं तथा उनका अलग से लेखा-जोखा रखा जाता है।

3. परिसंपत्तियों का मूल्यांकन: अचल परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और वर्ष के अंत में तुलनपत्र में मूल्यहास को घटाकर दिखाया जाता है।

4. मूल्यहास: भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) द्वारा केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों के लिए निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के अनुसार, परिसंपत्तियों के मूल्य पर मूल्यहास प्रदान किया जाना है और तदनुसार आय और व्यय लेखा में इसका लेखा-जोखा रखा जाना है। तदनुसार और संस्थान की कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर अधिनियम में निर्धारित दरों पर लिखित मूल्य पद्धति पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में परिसंपत्तियों के मूल्य पर 100% लागू मूल्यहास दर प्रदान की जाती है।

वर्ष के दौरान अर्जित परिसंपत्तियों के लिए, 6 महीने से अधिक समय तक अर्जित और उपयोग की गई परिसंपत्तियों के लिए लागू दर के अनुसार पूर्ण मूल्यहास प्रदान किया जाता है, तथा छह महीने से कम अवधि के लिए मूल्यहास की लागू दर का 50% प्रदान किया जाता है। मूल्यहास अवधि के अंत में परिसंपत्तियों को 1 रुपए के नाममात्र मूल्य पर दिखाया जाता है। 5,000 रुपए या उससे कम लागत वाली परिसंपत्तियों को राजस्व व्यय (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर) माना जाता है।

5. दवाइयों, स्टेशनरी, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल्स आदि के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
6. संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं और प्रकाशनों के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बिक्री मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
7. अनुसूची एल3 में प्रदर्शित प्रायोजित और परामर्शी परियोजना खाता बही, परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान, एल4 परामर्शी परियोजनाएं, उनसे संबंधित अनुसूचियां और खाता बही, नकद आधार पर लेखाबद्ध की जाती हैं।
8. प्रायोजित और परामर्श परियोजना लेनदेन में परिसंपत्तियों की खरीद के लिए किए गए भुगतान शामिल हैं, जिन्हें संबंधित परियोजना के लिए व्यय के रूप में लिया जाता है और खरीदी गई ऐसी परिसंपत्तियों को अनुसूची 8 अचल परिसंपत्तियों में नहीं लिया जाता है। परिसंपत्तियों की खरीद के लिए व्यय, यदि कोई हो, को पूरा करने के बाद प्रायोजित और परामर्श परियोजना खातों का शेष, अनुसूची एल 3 परियोजनाओं के लिए विशिष्ट अनुदान के तहत प्रदर्शित किया जाता है।
9. एनआईआरडीपीआर समय-समय पर अनुमोदित दरों के अनुसार प्रायोजित और परामर्श परियोजनाओं के बही-खातों के लिए संस्थान शुल्क, संकाय शुल्क, सम्मेलन कक्ष, अतिथि गृह के कमरों आदि जैसी सुविधाओं का उपयोग शुल्क लेता है।
10. पीजी पाठ्यक्रमों (नियमित और दूरस्थ) की फीस – वास्तविक प्राप्ति के आधार पर ली जाती है।
11. सेवानिवृत्ति लाभ : कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेजुटी और अवकाश नकदीकरण जैसे सेवानिवृत्ति लाभ वास्तविक आधार पर प्रदान किए जाते हैं। कृपया नोट संख्या 18 (सी) और (डी) भी देखें।
12. वित्तीय प्रबंधन : संस्थान के वित्त का नियंत्रण और प्रबंधन सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
13. निवेश को लागत पर प्रदर्शित किया जाता है।
14. संस्थान के वित्तीय उप-नियमावली बजट, निवेश नीतियों, लेखों और लेखापरीक्षा आदि सहित वित्तीय और लेखांकन पहलुओं के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, जिनका संस्थान पालन कर रहा है।
15. आयकर: संस्थान को आयकर निदेशक (छूट), हैदराबाद के आदेश संख्या डीआईटी (ई) / 12 ए / एचवाईडी / 21 (04) / 07-08 दिनांक 20.09.2007 के अनुसार 01.04.2007 से धारा 12 ए के तहत आयकर की छूट दी गई है। इसके अलावा, एनआईआरडी को आयकर निदेशक (छूट), हैदराबाद के आदेश संख्या डीआईटी (ई) / एचवाईडी / 80 जी / 17 (06) / 09-10 दिनांक 17.07.2009 के अनुसार 01.04.2009 से 31.3.2011 तक एनआईआरडी को दिए गए दान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) (vi) के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया है। धारा 80जी (5)(vi) के अंतर्गत छूट को आदेश संख्या डीआईटी(ई)/एचवाईडी/80जी/20(05)11-12 दिनांक 26.08.2011 द्वारा अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग के दिनांक 06-04-2022 के दस्तावेज़ पहचान संख्या AAAAN4871BE2021101 के तहत, निर्धारण वर्ष 2022-23 से निर्धारण वर्ष 2026-2027 की अवधि के लिए धारा 12ए के तहत छूट प्रदान की गई है और दस्तावेज़ पहचान संख्या AAAAN4871BF2021101 के तहत निर्धारण वर्ष 2022-23 से निर्धारण वर्ष 2026-2027 की अवधि के लिए धारा 80जी के तहत छूट प्रदान की गई है। भवन निर्माण निधि का लेखा-जोखा "चिन्हित निधि" के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा सीईडीएफआई, एसआरएससी-एनआईआरडीपीआर, एफसीआरए और पीएमआरडीएफ देनदारियों का लेखा-जोखा भी "चिन्हित निधि" के अंतर्गत किया जाता है। इनमें से प्रत्येक निधि का शेष तुलन पत्र में देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 3 "चिन्हित निधि" के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। परिणामस्वरूप, संबंधित निधियों की प्राप्तियां और भुगतान केवल संबंधित निधियों के माध्यम से ही किए जाएंगे तथा इन्हें एनआईआरडीपीआर के आय और व्यय लेखा के माध्यम से नहीं किया जाएगा।

16. पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए बीमांकिक प्रावधानों को अनुसूची 7 (बी) प्रावधानों के अंतर्गत हिसाब किया जाता है।
- मूल्यहास आरक्षित निधि को अनुसूची 2 आरक्षित निधि और अधिशेष के अंतर्गत माना जाता है। संबंधित निधियों की प्राप्तियां और भुगतान केवल संबंधित निधियों के माध्यम से ही किए जाएंगे तथा इन्हें एनआईआरडीपीआर के आय और व्यय लेखा के माध्यम से नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त निधियों से अर्जित अचल परिसंपत्ति को एनआईआरडीपीआर की तुलनपत्र की अनुसूची 8 "अचल परिसंपत्ति" के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए इस पर मूल्यहास एनआईआरडीपीआर के आय और व्यय लेखा में लगाया गया। कॉर्पस निधि को देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 1 के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।
17. एनआईआरडीपीआर के पास वित्त और लेखा मैनुअल है।

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियाँ

18. लेखा टिप्पणियाँ

- सामान्य लेखा - आय एवं व्यय लेखा और तुलनपत्र के आंकड़े समग्र रूप से एनआईआरडीपीआर (एनईआरसी गुवाहाटी और दिल्ली केंद्र सहित) के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। संस्थान एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रायोजक एजेंसियों के साथ सहमत शर्तों और नियमों पर परामर्श प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन, परियोजनाएं आदि चलाता है। संस्थान प्रायोजक एजेंसी से ऐसे कार्यक्रमों/परियोजनाओं की लागत के लिए शुल्क लेता है तथा ऐसे परामर्श कार्यों पर व्यय उसी से किया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात् ग्रेच्युटी, पेंशन और अवकाश नकदीकरण के लिए आवश्यक प्रावधान का बीमांकिक मूल्यांकन एक प्रमाणित बीमांकिक (भारतीय जीवन बीमा निगम) के माध्यम से किया गया। 31 मार्च 2022 तक अनुमानित देयता 297.77 करोड़ रुपये (ग्रेच्युटी- 22.58 करोड़ रुपये, मौजूदा पेंशन- 116.65 करोड़ रुपये, मौजूदा कर्मचारियों को पेंशन- 140.13 करोड़ रुपये और अवकाश नकदीकरण- 18.41 करोड़ रुपये) थी। 30-04-2020 तक दिल्ली केंद्र से संबंधित देयता 12.50 करोड़ रुपये (निवल राशि) वार्षिक लेखा में प्रदान की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान 31-03-2022 की तुलना में 31-03-2021 तक बीमांकिक मूल्यांकन में अंतर वृद्धि 35.27 करोड़ रुपये थी। इसमें से 21.11 करोड़ रुपये उपलब्ध शेष के अनुसार अनुदान सहायता (वेतन) के रूप में वसूल किए गए। अतः 264.15 करोड़ रुपये की शुद्ध देयता अभी मंत्रालय से प्राप्त होनी बाकी है; इसे तुलनपत्र - अनुसूची-ए11- चालू परिसंपत्तियां और अग्रिम के अंतर्गत प्राप्य के रूप में मान्यता दी गई है।
- जीएफआर 2017 नियम संख्या 230(12)(ii) का संदर्भ मांगा जाता है, जिसमें कहा गया है कि "अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं या संगठनों को अपने या सरकारी खाते पर देयता उठाने के बजाय कर्मचारियों के लिए बाजार में उपलब्ध पेंशन या ग्रेच्युटी योजनाओं या समूह बीमा योजनाओं या गृह निर्माण ऋण या वाहन ऋण योजनाओं आदि का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए"। चूंकि संस्थान को इसकी सभी गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, इसलिए मंत्रालय से सेवानिवृत्ति लाभों की देयता के वित्तपोषण के लिए अलग से अनुदान जारी करने का अनुरोध किया गया था।
- इसके अलावा, चूंकि एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त निकाय है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2010-11 से पूर्व मूल्यहास के लिए 52,11,66,421 रुपये का घाटा अनुसूची 2 मूल्यहास आरक्षित निधि के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य के रूप में दर्शाया गया है।

5. आकस्मिक देयताएं

विवरण	राशि
(क) एच6 कार्टर नवीनीकरण सिविल कार्य	11,13,029
(ख) एच6 कार्टर नवीनीकरण विद्युत कार्य	4,31,431
कुल आकस्मिक देयताएं	15,44,460

कार्टर संख्या एच-6 का नवीनीकरण किया गया और कार्य और भुगतान 2018-2020 तक परिव्याप्त था। सिविल कार्यों के लिए शेष राशि रु. 11,13,029/- और एच6 कार्टर में विद्युतीकरण कार्य के लिए रु. 4,31,431/- का मामला न्यायाधीन हैं।

6. संगठन ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और जहां भी आवश्यक हो, पर्याप्त प्रावधान किए हैं और जहां भी लागू हो, अपने वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया है। संगठन को उचित रूप से यह उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ेगा।
7. निम्नलिखित बही-खाता शेष को एक साथ जोड़ दिया गया है:

विवरण	राशि (रु.)
देयताएं और प्रावधान (वार्षिक लेखा 2020-21-7.(एल6))	
कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रदर्शन, फराह, महाराष्ट्र	3,845
सरस आजीविका 2019	3,568,306
सरस आजीविका 2019 इंडिया गेट	6,740,255
सरस -आईआईटीएफ 2019 (14802288-7628406) –सूरजकुंड मेला	1,48,02,288
एमओआरडी (क) को कुल देय	2,51,14,694
वर्तमान परिसंपत्तियां एवं अग्रिम - ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	
दिल्ली - एमओआरडी से प्राप्य (वार्षिक लेखा 2020-21)	1,31,42,616
जनकपुरी भवन पर लाइसेंस शुल्क - 01 नवंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए एमओआरडी से नई दिल्ली को प्राप्य	59,88,125
एमओआरडी (ख) से कुल प्राप्य	1,91,30,741
एनआईआरडीपीआर द्वारा एमओआरडी को देय निवल (क - ख = ग) - अनुसूची-ए11	59,83,953

* इसके अतिरिक्त, मई 2020 से इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली बिल्डिंग में पूर्ववर्ती कपार्ट के कब्जे वाले स्थान के उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक निश्चित राशि प्राप्त की जानी है, जिसे पट्टा समझौते को अंतिम रूप दिए जाने पर वार्षिक लेखा में शामिल किया जाएगा।

8. संचित निधि को देयताओं के तहत अनुसूची 1 के तहत प्रदर्शित किया गया है।
9. अनुसूची 1 के अंतर्गत कॉर्पस निधि के अतिरिक्त उल्लिखित राशि, कॉर्पस निधि की प्राप्तियों (निवेशों पर आय, आईजीआर अंतरण) और परिपक्वता के समय प्रतिभूतियों के परिशोधन मूल्य, बैंक प्रभार और सीएफएमसी व्यय को घटाकर प्राप्त राशि है।
10. एनआईआरडीपीआर वित्त एवं लेखा मैनुअल बिंदु 8 (वार्षिक लेखा "8.7 xi के अंतर्गत) के अनुसार सभी समाप्त हो चुकी सुरक्षा जमा राशियाँ और दावा न की गई ईएमडी को विविध रसीद में परिवर्तित कर रसीद पक्ष में जमा कर दिया जाएगा। (जमाकर्ताओं/ठेकेदारों द्वारा भविष्य में किया जाने वाला कोई भी दावा संबंधित लेखा अधिकारी से पूर्ण सत्यापन के पश्चात निदेशक, वित्त-सह-वित्तीय सलाहकार द्वारा अधिकृत किया जाएगा)।" वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, उपरोक्त नीति के अनुसार, 3 वर्षों से अधिक समय से दावा न किए गए ईएमडी के रूप में 24,40,596-00 रुपये की राशि और 3 वर्षों से अधिक समय से दावा न किए गए एसडी के रूप में 86,95,516-00 रुपये की राशि को एनआईआरडीपीआर की विविध प्राप्तियों में अंतरित कर दिया गया है।
11. 1,72,69,243/- रुपये के अनुदान की परिसंपत्तियां और अप्रयुक्त शेष राशि को (एल9) ब्याज और सहायता अनुदान - ग्रामीण विकास मंत्रालय का अप्रयुक्त शेष के अंतर्गत चालू देनदारियों के रूप में प्रदर्शित किया गया है।
12. जहाँ भी संभव हो, अनुसूचियों/लेखा-बहियों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है। जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को तदनुसार पुनः समूहीकृत किया गया है। आंकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है। प्रभावी नियंत्रण और रिपोर्ट के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान वाउचर तैयार करने के तीन स्तरीय स्तर यानी निर्माण, सत्यापन और अनुमोदन शुरू किया गया। अनुमोदन के पश्चात, जर्नल को टैली में पास कर दिया जाएगा, जिसमें खाता कोड डेबिट किया जाएगा तथा विक्रेता/कर्मचारी/पार्टी को क्रेडिट किया जाएगा, तथा ऑटो भुगतान वाउचर बनाया जाएगा, जिसमें विक्रेता/कर्मचारी/पार्टी को डेबिट किया जाएगा तथा बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। इससे विक्रेता के अनुसार रिकॉर्ड के रखरखाव में मदद मिलेगी, सटीकता के लिए बैंक विवरण के साथ बैंक-वार, विक्रेता-वार भुगतान के लिए बैंक को भुगतान सलाह तैयार करने में मदद मिलेगी। हालाँकि, संकलन के दौरान और प्राप्तियों तथा भुगतान लेखों की आवश्यकताओं को पूरा

करने के लिए विक्रेता/कर्मचारी/पार्टी की पहचान की गई है और व्यय के संबंधित शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया गया है।

13. वार्षिक लेखा 2022-23 में केंद्रीय स्वायत्त निकायों (स्वायत्त निकायों के लिए समान प्रारूप) के लिए वित्तीय विवरण के प्रपत्र के अनुसार अनुसूचियां प्रस्तुत की गई हैं।

14. आय एवं व्यय लेखा - आय के अंतर्गत अनुसूची 12 से 19 में पूर्व अवधि से संबंधित प्राप्तियां भी शामिल हैं।

15. भूमि का विवरण:

- i. क्र.सं.91 द्वारा कवर की गई एसी.125.00 गुंटा की सीमा, प्रेमावधिपेट गांव, राजेंद्रनगर, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है।
 - ii. क्र.सं.91 द्वारा कवर की गई एसी.27.26 गुंटा की सीमा, प्रेमावधिपेट गांव, राजेंद्रनगर मंडल, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है।
 - iii. क्र.सं. 316 द्वारा कवर की गई एसी. 8.20 गुंटा की सीमा, बुदवेल गांव, राजेंद्रनगर मंडल, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है।
 - iv. क्र.सं. 273 द्वारा कवर की गई एसी. 3.03 गुंटा की सीमा, बुदवेल गांव, राजेंद्रनगर मंडल, हैदराबाद में स्थित है, जो वर्तमान में भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अधिग्रहण के अधीन है।
 - v. जवाहरनगर के प्लॉट नंबर 19 पर 5 बीघे का विस्तार, खानापारा गांव, गुवाहाटी, असम के दाग नंबर 341 और 346 के अंतर्गत आता है।
 - vi. खानापारा गांव, गुवाहाटी, असम के दाग नंबर 346 (1223) द्वारा कवर किया गया 1 बीघा 1 कट्टा का विस्तार।
 - vii. खानापारा गांव, गुवाहाटी, असम की दाग संख्या 341 (खा), 346 (खा), 348 (खा) की 2 बीघे की सीमा।
 - viii. जुलाई 2002 में कोटला रोड, राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एनआईआरडीपीआर को प्लॉट नंबर 14 भूमि 626.25 वर्ग मीटर विस्तार की भूमि आबंटित किया गया है। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि आबंटन की तारीख से उक्त भूमि पर अतिक्रमण है।
 - ix. प्लॉट संख्या 58, ब्लॉक डी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली 110046 में बिल्डअप एरिया 1408 वर्ग मीटर के साथ 1004 वर्ग मीटर की प्लॉट भूमि।
 - x. कंसल्टेंसी-कम-गाइडेंस (सीजीसी), वैशाली, बिहार द्वारा कब्जा की गई 6 एकड़ 92 डेको भूमि। जमीन का मालिकाना हक बिहार के राज्यपाल के नाम पर है। सीजीसी अपने उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने का हकदार है।
16. कोर 4बी, कोर5ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर (आईएचसी), लोधी रोड, नई दिल्ली में संस्थान के पास (पट्टे के आधार पर) 2532.95 वर्ग मीटर की एक इमारत है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आईएचसी और एनआईआरडीपीआर (तत्कालीन कपार्ट) के बीच पट्टे का त्रिपक्षीय समझौता अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।
17. तीसरे पक्ष से प्राप्तियां और परियोजनाओं/कार्यक्रमों के शेष से संबंधित परिसंपत्ति पुष्टि के अधीन हैं।
18. वर्ष 2022-23 के लिए परियोजनाओं और योजना पूंजी के शेष पर ब्याज की बचत दर को वर्ष के दौरान सामान्य खाते में अर्जित कुल ब्याज में से बचत खातों पर ब्याज और अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक जमा पर ब्याज जैसे खातों को डेबिट करके परियोजना खाता-बहियों में जमा किया गया।
19. जहां भी संभव हो, अनुसूचियों/खाता-बहियों को 31-03-2023 तक पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

शशि भूषण

(शशि भूषण)

वित्तीय सलाहकार

No.PDA(C)/CEA/NIRD&PR/SAR 2022-23 / 2023-24

Date: 23.11.2023

सेवा में
सचिव,
भारत सरकार,
शिक्षा मंत्रालय,

महोदय,

ववषय: Separate Audit Report on the Accounts of the National Institute of Rural Development and Panchayat Raj (NIRD & PR), Hyderabad, for the year 2022-23.

Separate Audit Report on the Accounts of the National Institute of Rural Development and Panchayat Raj (NIRD & PR), Hyderabad for the year 2022-23, Annexure thereof and one copy of the Annual Accounts for the year 2022-23, are forwarded herewith for placing before both the Houses of Parliament.

The dates of presentation of Separate Audit Report in both the Houses of Parliament may please be intimated.

Receipt of this letter along with the enclosures may kindly be acknowledged.

भवदीय,

संल:यथोपरि

Sd/-

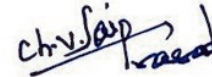
Principal Director of Audit (Central)

No.PDA(C)/CEA/NIRD&PR/SAR 2022-23 / 2023-24

Date: .11.2023

Copy to Shri G. Narendra Kumar, Director General, National Institute of Rural Development & Panchayati Raj, Hyderabad along with one copy of Annual Accounts for the year 2022-23 (English version), with a request to furnish Hindi version of the approved Annual Accounts 2022-23 (2 sets), to this Office.

संल:यथोपरि



(Ch.V. Sai Prasad)

Director/ Central Expenditure Audit
O/o Principal Director of Audit (Central)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद की संलग्न तुलनपत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षा 2022-23 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों में गुवाहाटी और नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय केंद्रों का लेखा शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल सर्वोत्कृष्ट लेखांकन व्यवहारों, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाता है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक मिथ्या कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
- इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय तथा व्यय लेखा और प्राप्त एवं भुगतान लेखा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।
- हमारी राय में, संस्थान के वित्त उपनियम 31 के तहत आवश्यक लेखों की उचित बहियों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को संस्थान द्वारा बनाए रखा गया है, यहाँ तक कि ऐसी बहियों की हमारे परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है।
- हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. लेखों पर टिप्पणियाँ

क.1 तुलन पत्र

क.1.1 पूंजी और देनदारियां

क.1.1.1 संचित निधि - ₹502.34 करोड़

संदर्भ संख्या: ओबीएस-972434

जीएफआर 2017 के नियम 229 (फ) के अनुसार मंत्रालय या विभाग किसी स्वायत्त निकाय के लिए कॉर्पस निधि बनाने पर केवल वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति से ही विचार कर सकता है यदि कॉर्पस बजटीय आबंटन से बनाया गया है। यदि कॉर्पस निकाय के आंतरिक संसाधनों से बनाया गया है, तो प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। संस्थान ने पिछले वर्ष

के लेखों से संबंधित लेखा टिप्पणियों में खुलासा किया कि आय और व्यय लेखे का अधिशेष अनुसूची 1 की पूंजी निधि से हटा दिया गया था तथा अनुसूची 3 में कॉर्पस निधि में जोड़ दिया गया था। इसके अलावा, चालू वर्ष के वार्षिक लेखों में यह खुलासा किया गया कि अनुसूची 1 के अंतर्गत कॉर्पस निधि के अतिरिक्त उल्लिखित राशियां कॉर्पस निधि की प्राप्तियों (निवेशों पर आय, आईजीआर हस्तांतरण, आदि) को घटाकर दी गई थीं। आय और व्यय लेखा का अधिशेष बजटीय आवंटन से बाहर था क्योंकि संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक पूर्ण रूप से वित्तपोषित स्वायत्त निकाय है, जैसा कि संस्थान ने लेखा टिप्पणियों में कहा है (क्रम संख्या घ)। इस प्रकार, 31.03.2023 तक कॉर्पस निधि लेखा में शेष राशि ₹ 458,21,29,177/- को ग्रामीण विकास मंत्रालय को वापस किया जाना चाहिए या कॉर्पस निधि बनाने के लिए मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी इस पर टिप्पणी की गई थी।

ए.1.1.2 आरक्षित और अधिशेष - ₹101.19 करोड़

ए.1.1.2.1 मूल्यहास आरक्षित - ₹49.07 करोड़ और मूल्यहास आरक्षित (एमओआरडी से प्राप्य) - - ₹52.12 करोड़ संदर्भ संख्या:ओबीएस-972496 और ओबीएस-9534255

पिछले लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बावजूद

- संस्थान ने ₹44,81,04,021 के संचित मूल्यहास को छद्म/काल्पनिक परिसंपत्ति (मूल्यहास आरक्षित निधि) मानते हुए अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ₹78,83,63,056 दर्शाना जारी रखा, जबकि शुद्ध परिसंपत्ति ब्लॉक का मूल्य ₹34,02,59,035 दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों के साथ-साथ रिजर्व और अधिशेष को ₹44.81 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया।
- 31.03.2023 तक मूल्यहास आरक्षित निधि के समापन शेष ₹101,18,89,260 के विरुद्ध ₹49,07,22,839 की राशि, जो वर्षों से संस्थान के अनुदानों पर लगाए गए गैर-नकद व्यय (मूल्यहास) का प्रतिनिधित्व करती है, को मूल्यहास आरक्षित निधि के रूप में दर्ज किया गया तथा सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश किया गया। चूंकि मूल्यहास रिजर्व के निर्माण के लिए भारत सरकार की मंजूरी नहीं थी, इसलिए अप्रयुक्त अनुदानों से किए गए ऐसे निवेश अनियमित हैं और उन्हें भारत सरकार को वापस किया जाना चाहिए। इस प्रकार, संस्थान के लेखों में पारदर्शिता अपर्याप्त है क्योंकि जो देयता मौजूद नहीं है उसे देयता (मूल्यहास रिजर्व) के रूप में दिखाया जा रहा है और संस्थान की मौजूदा देयता (अव्ययित अनुदान) को मंत्रालय को वापस किए बिना ही निधि लेखों में अंतरित कर दिया गया।

ए.1.1.3 वर्तमान देयताएं और प्रावधान ₹507.94 करोड़।

संदर्भ संख्या: ओबीएस-972460

जीएफआर 2017 के जीएफआर 230 (8) में निहित प्रावधानों के अनुसार, अनुदान की कोई भी राशि जो वित्तीय वर्ष/विशिष्ट अवधि के दौरान उस उद्देश्य के लिए खर्च नहीं की जाती है जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है, अप्रयुक्त राशि को उस पर अर्जित ब्याज के साथ भारत सरकार को अविलंब वापस कर दिया जाना चाहिए।

31.03.2023 तक अप्रयुक्त योजना अनुदान राशि ₹43,77,86,812/- (वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान जारी कुल अनुदान ₹110 करोड़ में से) मंत्रालय को वापस नहीं की गई। अप्रयुक्त अनुदानों को बनाए रखने/उपयोग करने के लिए मंत्रालय की मंजूरी रिकार्ड में नहीं मिलती है।

इसके अलावा, ₹1,72,69,243 का सामान्य अनुदान अप्रयुक्त शेष और ₹2,75,63,729 का बैंक सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज भी वापस किया जाना चाहिए/इसके उपयोग के लिए मंत्रालय से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

ए.1.2 परिसंपत्तियां

ए.1.2.1 अचल परिसंपत्तियां - ₹78.84 करोड़

(1) संदर्भ संख्या: ओबीएस-972660 और ओबीएस-979486

विभिन्न कार्यों/परिसंपत्तियों की खरीद पर किए गए व्यय के रूप में ₹12,08,491/- की राशि का विवरण अनुलग्नक-ए में दिया गया है, जिसे गलत तरीके से राजस्व व्यय के रूप में मान लिया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को अधिक दर्शाया गया तथा अचल परिसंपत्तियों और पूंजी निधि को ₹12.08 लाख कम दर्शाया गया।

(2) संदर्भ संख्या: ओबीएस-979761

वर्ष के दौरान क्रय की गई पुस्तकालय पुस्तकों का मूल्य (जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है) 8,21,551/- रुपये की राशि को परिग्रहण रजिस्टर के अनुसार गलत तरीके से राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अचल सम्पत्तियों को कम दर्शाया गया तथा पूंजीगत निधि को ₹8.22 लाख कम दर्शाया गया।

दिनांक	राशि ₹ में
30.5.22	4,931
2.5.22	17,765
8.6.22	17,120
27.6.22	476
5.7.22	1,150
22.10.22	925
16.11.22	43,451
3.3.23	2,866
24.3.23	995
25.3.23	1,69,620
25.3.23	2,15,039
27.3.23	1,93,746
27.3.23	1,93,746
25.3.23	1,53,467
कुल	8,21,551

ए.1.2.2 वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम-₹461.37 करोड़

संदर्भ संख्या: ओबीएस-972438 और संदर्भ संख्या: ओबीएस-979452

भारत सरकार से प्राप्त होने वाले दावों के रूप में ₹360,41,52,405/- (₹96,24,32,989/-) की राशि दर्शाई गई थी, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है, जबकि भारत सरकार की ओर से कोई आश्वासन या आदेश नहीं दिया गया था कि यह उनके द्वारा देय है। चूंकि भारत सरकार पेंशन लाभ सहित वार्षिक आधार पर अनुदान प्रदान करती है, इसलिए भारत सरकार से विशेष अनुमोदन के बिना प्राप्य राशि का खुलासा करना सही नहीं है। पिछली पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी इसी बात का उल्लेख किया गया था।

- कॉर्पस: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य: ₹44,12,66,569/-
- कर्मचारी लाभ: बीमांकिक: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य: ₹264,17,19,415/-
- मूल्यहास आरक्षित निधि: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य: ₹52,11,66,42/-

ए.2 आय और व्यय लेखा

ए.2.1 आय - ₹115.67 करोड़

ए.2.1.1 संदर्भ संख्या: ओबीएस -979499

वर्ष 2022-23 के लिए ₹3,23,35,525/- की राशि का मूल्यहास गलत तरीके से संस्थान की आय (आस्थगित राजस्व) के रूप में माना गया। इसके परिणामस्वरूप आय को अधिक दर्शाया गया और परिणामस्वरूप पूंजी निधि/कॉर्पस निधि को ₹3.23 करोड़ अधिक दर्शाया गया।

बी. सामान्य

बी.1 संदर्भ संख्या: ओबीएस - 972428

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 1/3/2016-पीआर दिनांक 31.01.2019 के माध्यम से केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों के लिए नियोक्ता के अंशदान को 1.4.2019 से 10% से बढ़ाकर 14% करने के आदेश जारी किए। ये आदेश भारत सरकार के दिनांक 26.8.2021 के आदेशों के तहत सभी केंद्रीय स्वायत्त निकायों पर लागू कर दिए गए, जिनकी प्रभावी तिथि 1.4.2019 है। संस्थान द्वारा नियोक्ता के अंशदान में वृद्धि के भुगतान की देयता नहीं बनाई गई। लेखा टिप्पणियों में इसका उपयुक्त रूप से खुलासा नहीं किया गया था।

बी.2 संदर्भ संख्या: ओबीएस-972742

उचित लेखा के अंतर्गत संचित राशि को स्पष्ट करने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है:

अनुसूची का विवरण	समूह विवरण	रकम ₹ में
अनुसूची-ए.6 - ऋण और अग्रिम क्र. सं. 28	एनईआरसी उचित (2017-18 से संचित)	2,98,50,645
अनुसूची-एल6- देयताएं एवं प्रावधान- क्र. सं. 48	दिल्ली शाखा उचित (2020-21 से संचित)	10,78,151

बी.3 संदर्भ संख्या: ओबीएस-972761

पिछले वर्ष से संबंधित ₹22,03,327/- का व्यय (जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है) प्रावधान न किए जाने के कारण चालू वर्ष के व्यय के रूप में दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष का व्यय अधिक तथा पूर्व अवधि का व्यय ₹22.03 लाख कम दर्शाया गया।

क्र.सं.	भुगतान की तिथि	रकम ₹ में	से संबंधित
1	01/04/2022	107000	05/17 to 06/17
2	19/05/2022	416630	01/2022
3.	20/05/2022	157569	11/2021 to 12/2021
4.	06/05/2022	86660	11/2021
5.	06/05/2022	53126	08/21 to 10/21
6.	25/05/2022	622871	12/21 to 03/22
7.	02/05/2022	27397	07/2021
8.	06/05/2022	25574	11/21 & 12/21
9.	23/05/2022	706500	11/21 & 12/21
10.	कुल	2203327	

बी.4 संदर्भ संख्या: ओबीएस-972769

आईआईटी मुंबई द्वारा संचालित किए जाने वाले सी- टीएआरए कार्यक्रम के लिए दिल्ली केंद्र द्वारा खर्च की गई ₹47,52,000/- की राशि को सी- टीएआरए के बहीखाते में दर्ज नहीं किया गया और इस लेनदेन को एनआईआरडीपीआर और दिल्ली केंद्र के बीच हस्तांतरण के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया है। इसे ठीक करने की आवश्यकता है।

सी. सहायता अनुदान: एनआईआरडी को वर्ष 2022-23 के दौरान ₹114.59 करोड़ (₹38.75 करोड़-सामान्य और ₹75.84 करोड़-वेतन) की सहायता अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹113.06 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया, जिससे 31.03.2023 तक ₹1.73 करोड़ का शेष रह गया।

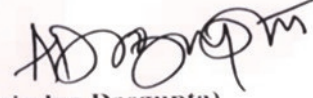
डी. प्रबंधन पत्र

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई कमियों को उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के ध्यान में लाया गया है।

- v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखा, तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तथा ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

क. जहां तक यह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के 31 मार्च 2023 तक के मामलों की तुलनपत्र से संबंधित है; और

ख. जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय लेखा से संबंधित है।



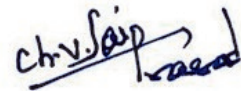
(Anindya Dasgupta)
Principal Director of Audit (Central), Hyderabad

परिशिष्ट - क

क्र.सं.	वाउचर संख्या और दिनांक	रकम ₹ में
1	20-4-2022/09.01.01.06.01 बोरवेल की ड्रिलिंग और सबमर्सिबल पंप सेट, एचडीपीई पाइप और सहायक उपकरण की खरीद	224500
2	पीपीए.सं.C12222279195 - 13.12.2022/पीएफएमएस/टीएसए - 162 - एनआईआरडीपीआर में कैटीन में छत, फॉल्स सीलिंग और अन्य कार्यों को बदलने के लिए मेसर्स डीपीएम सिविल कार्य को भुगतान	367619
3	पीपीए.सं.सी032354921688 - 20.3.2023/पीएफएमएस/टीएसए - 635- एचडीपीई पाइप और सबमर्सिबल पंप सेट और सहायक उपकरण की आपूर्ति और स्थापना के लिए श्री डीवीएसएन शर्मा के पक्ष में अग्रिम समायोजन और प्रतिपूर्ति।	65968
	पुस्तकालय पुस्तकें	
4	चालान 134992/401 - 15.06.2022 - मेसर्स संतोष बुक एंटरप्राइजेज को 8 पुस्तकों की खरीद हेतु भुगतान	4931
5	चालान 135059/542 - 12.07.2022 - दो चालानों के माध्यम से पुस्तकों की खरीद के लिए मेसर्स संतोष बुक एंटरप्राइजेज को भुगतान	34885
6	चालान 135121 /674- 03.08.2022 - मेसर्स संतोष बुक एंटरप्राइजेज को 2 पुस्तकों की खरीद के लिए भुगतान	1626
7	पीएफएमएस/टीएसए - 103- पुस्तकों की खरीद के लिए मेसर्स संतोष बुक एंटरप्राइजेज को भुगतान	925
8	पीपीए.नं.C012312536318/पीएफएमएस/टीएसए-228 - 10.01.2023 - सी.डी.सी. (पुस्तकालय) में नोबेल पुरस्कार विजेताओं पर पुस्तकों की आपूर्ति के लिए मेसर्स संतोष बुक एंटरप्राइजेज को भुगतान	43451
9	135351/1172 Amazon.com पर पुस्तक की खरीद	2866
	फर्नीचर	
10	पीएफएमएस/टीएसए - 500, वाउचर.नं.187136658 लकड़ी की बुकशेल्फ 2 और अलमारी की खरीद के लिए श्री साई श्रेष्ठ एंटरप्राइजेज को भुगतान	34000
11	PPA.सं.C032301861605 - 03.03.2023 - डीजी कार्यालय में एल3 नेटवर्क स्विच की आपूर्ति और स्थापना के लिए एसएस नेटवर्क सॉल्यूशंस को भुगतान। सी.सं.1254 पीएफएमएस/टीएसए - 566	187000
	ए.वी. उपकरण	
12	वाउचर संख्या 187136704- 24.02.2023 - मेसर्स कृतिक इन्फो सिस्टम को 2TB SSD हार्ड डिस्क 4 नग प्रत्येक की कीमत 20000/- रुपये, मेमोरी कार्ड 64GB 8 नग प्रत्येक की कीमत 8000/- रुपये, XD कैम बैटरी 4 नग प्रत्येक की कीमत 15000 रुपये PFMS/TSA - 520 की आपूर्ति के लिए भुगतान	240720

परिशिष्ट - ख

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:** वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। एनआईआरडीपीआर ने 2022-23 के लिए लेखों के आंतरिक लेखापरीक्षा का काम मेसर्स एन अदाबाला एंड एसोसिएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सौंपा है।
2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:** निम्नलिखित कारणों से आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे:
 - i. उच्चतम लेखों के अंतर्गत महत्वपूर्ण राशियाँ दिखाई गईं।
 - ii. आरटीजीएस प्राप्ति के तहत महत्वपूर्ण रकम दिखाई गई थी जो अवर्गीकृत थी।
 - iii. 31.3.2023 के अंत तक बैंक खातों में ₹66,56,57,315/- की राशि निवेश किए बिना पड़ी थी। इसके अलावा, संस्थान के पास कॉर्पस निधि के अलावा कोई निवेश नीति नहीं है। बिना निवेश के बड़ी रकम को ऐसे ही रखने से ब्याज की हानि हुई।
 - iv. अधिकांश परामर्शी परियोजनाएँ बंद कर दी गईं और उन्हें देनदारियों के रूप में दिखाया गया।
 - v. पूंजी अनुदान (योजना) को विभिन्न बैंक खातों में रखा गया था। कोई अलग बैंक खाता नहीं रखा गया था। इस प्रकार, अनुदान सहायता पर अर्जित ब्याज की पुष्टि नहीं की जा सकी।
 - vi. स्वीकृत संख्या के मुकाबले पदस्थ व्यक्ति खातों/रिकार्डों के उचित रखरखाव, विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं/परामर्श परियोजनाओं की निगरानी, बैंक खातों के रखरखाव, लेन-देन की प्रभावी आंतरिक जांच/आंतरिक लेखा परीक्षा आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वीकृत 640 पदों के मुकाबले कार्यरत कर्मचारी केवल 259 थे। कर्मचारियों की भारी कमी यह दर्शाती है कि आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर्याप्त नहीं है।
3. **अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:** अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। हालाँकि, अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन पर रिपोर्ट लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी।
4. **प्रविष्टि के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:** वर्ष 2022-23 के लिए प्रविष्टि का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया था।
5. **वैधानिक बकाया के भुगतान में नियमितता:** संस्थान वैधानिक बकाया के भुगतान में नियमित है।



(Ch.V. Sai Prasad)

Director/ Central Expenditure Audit
O/o Principal Director of Audit (Central)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर

पैरा का सार	उत्तर
हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद की संलग्न तुलनपत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षा 2022-23 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों में गुवाहाटी और नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय केंद्रों का लेखा शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।	कोई टिप्पणी नहीं
2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल सर्वोत्कृष्ट लेखांकन व्यवहारों, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक मिथ्या कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।	कोई टिप्पणी नहीं
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि: i. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे; ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय तथा व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है। iii. हमारी राय में, संस्थान के वित्त उपनियम 31 के तहत आवश्यक लेखों की उचित बहियों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को संस्थान द्वारा बनाए रखा गया है, यहाँ तक कि ऐसी बहियों की हमारे परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है। iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:	कोई टिप्पणी नहीं

पैरा का सार	उत्तर
क. लेखों पर टिप्पणियाँ क.1 तुलन पत्र क.1.1 पूंजी और देनदारियां क.1.1.1 संचित निधि - ₹502.34 करोड़ संदर्भ संख्या: ओबीएस-972434 जीएफआर 2017 के नियम 229 (फ) के अनुसार मंत्रालय या विभाग किसी स्वायत्त निकाय के लिए कॉर्पस निधि बनाने पर केवल वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति से ही विचार कर सकता है यदि कॉर्पस बजटीय आबंटन से बनाया गया है। यदि कॉर्पस निकाय के आंतरिक संसाधनों से बनाया गया है, तो प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। संस्थान ने पिछले वर्ष के लेखों से संबंधित लेखा टिप्पणियों में खुलासा किया कि आय और व्यय लेखों का अधिशेष अनुसूची 1 की पूंजी निधि से हटा दिया गया था तथा अनुसूची 3 में कॉर्पस निधि में जोड़ दिया गया था। इसके अलावा, चालू वर्ष के वार्षिक लेखों में यह खुलासा किया गया कि अनुसूची 1 के अंतर्गत कॉर्पस निधि के अतिरिक्त उल्लिखित राशियां कॉर्पस निधि की प्राप्ति (निवेशों पर आय, आईजीआर हस्तांतरण, आदि) को घटाकर दी गई थीं। आय और व्यय लेखा का अधिशेष बजटीय आवंटन से बाहर था क्योंकि संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक पूर्ण रूप से वित्तपोषित स्वायत्त निकाय है, जैसा कि संस्थान ने लेखा टिप्पणियों में कहा है (क्रम संख्या घ।	एनआईआरडीपीआर कॉर्पस का निर्माण 2008 में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली कार्यकारी परिषद की मंजूरी से किया गया था। चूंकि नियमों का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता, इसलिए जीएफआर 2017 का यह प्रावधान एनआईआरडीपीआर कॉर्पस पर लागू नहीं होता, जिसे 2008 में बनाया गया था। संस्थान के वार्षिक लेखा 2021-22 के टिप्पणियों से पूर्ण पैरा इस प्रकार है: पैरा (ध) "आय और व्यय लेखा का अधिशेष अनुसूची 1 की पूंजी निधि से हटा दिया गया और अनुसूची 3 में कॉर्पस निधि में जोड़ा गया, जो स्वायत्त निकायों के लिए वार्षिक लेखा के एक समान प्रारूप के अनुरूप है"। पारदर्शी लेखांकन प्रकटीकरण के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में पद्धति में परिवर्तन लाने के लिए लेखा टिप्पणियों में इसका सही खुलासा किया गया था। वर्ष 21-22 से पहले आय और व्यय के अधिशेष को दो-चरणीय प्रक्रिया में आय और व्यय विवरण से पूंजी निधि में और फिर पूंजी निधि से कॉर्पस निधि में अंतरित किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 21-22 से, अनावश्यक प्रविष्टियों को कम करने और पारदर्शिता के उपाय के रूप में, इस अधिशेष को घुमावदार मार्ग से जाने के बजाय आय और व्यय लेखा से कॉर्पस निधि में अंतरित कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 22-23 के लेखा टिप्पणियों के पैरा (i) की सही व्याख्या निम्नलिखित है: कॉर्पस निधि में वृद्धि = ब्याज आय + आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधन + प्रतिभूतियों के मूल्य में लाभ/हानि - (बैंक शुल्क + सीएफएमसी व्यय)। वित्तीय वर्ष 22-23 के लेखा टिप्पणियों के पैरा (घ) के प्रत्युत्पादन निम्नलिखित है: चूंकि एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त निकाय है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2010-11 से पूर्व मूल्यहास के संबंध में ₹ 52,11,66,421/- का घाटा अनुसूची 2 मूल्यहास रिजर्व के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य के रूप में दर्शाया गया है। उपरोक्त पैरा (घ) की गलत व्याख्या की गई है तथा उसे संदर्भ से बाहर उद्धृत किया गया है। पारदर्शिता के उपाय के रूप में उपरोक्त पैरा (घ) में यह औचित्य दिया गया है कि 2010-11 से पहले परिसंपत्तियों के मूल्यहास के लिए मंत्रालय से ₹52.11 करोड़ का घाटा क्यों प्राप्त किया जाना है, ताकि परिसंपत्तियों के मूल्यहास के लिए संस्थान की नीति के साथ संगतता बनाए रखी जा सके।

पैरा का सार	उत्तर
इस प्रकार, 31.03.2023 तक कॉर्पस निधि लेखा में शेष राशि ₹ 458,21,29,177/- को ग्रामीण विकास मंत्रालय को वापस किया जाना चाहिए या कॉर्पस निधि बनाने के लिए मंत्रालय की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी इस पर टिप्पणी की गई थी।	यद्यपि उपरोक्त पैरा में 2010-11 से पहले मंत्रालय से प्राप्तियों के लिए तर्क प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसे संदर्भ से बाहर उद्धृत किया गया है तथा कॉर्पस निधि पर लागू किया गया है। कॉर्पस निधि का आंकड़ा तुलनपत्र की अनुसूची 1 में है, दूसरी ओर, लेखा टिप्पणियों के पैरा (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त मूल्यहास आरक्षित-प्राप्तियों से संबंधित है, जिसे अनुसूची 2 के तहत दिखाया गया है। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के विपरीत, कॉर्पस निधि में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदान बजट से निधियां नहीं है। दूसरी ओर, कॉर्पस निधि संस्थान के आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों और उनसे प्राप्त आय से बनाई जाती है, जो संस्थान की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए एक व्यवस्था है। यह भारत सरकार की नीति के अनुरूप है कि स्वायत्त निकायों को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए, लेखापरीक्षा का यह तर्क कि यह कॉर्पस निधि बजटीय अनुदान से बनाई गई है, त्रुटिपूर्ण है। इसके अलावा, जीएफआर 2017 के नियम 229 (फ) के अनुपालन में एक कॉर्पस फंड बनाने के लिए मंत्रालय की सहमति प्राप्त करने के विषय की समीक्षा मंत्रालय द्वारा 05 जुलाई 2024 को अतिरिक्त सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में की गई थी जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि जीएफआर 2017 को एनआईआरपीडीआर की कॉर्पस निधि पर लागू नहीं किया जा सकता है, जिसे 2008 में बनाया गया था और उस समय जीएफआर 2005 लागू था। इसलिए, एनआईआरपीडीआर में एक कॉर्पस निधि के निर्माण के लिए प्रशासनिक मंत्रालय की पूर्वव्यापी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
ए.1.1.2 आरक्षित और अधिशेष - ₹101.19 करोड़ ए.1.1.2.1 मूल्यहास आरक्षित - ₹49.07 करोड़ और मूल्यहास आरक्षित (एमओआरडी से प्राप्य) - ₹52.12 करोड़ संदर्भ संख्या:ओबीएस-972496 और ओबीएस-953425 पिछले लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बावजूद, संस्थान ने ₹44,81,04,021 के संचित मूल्यहास को छद्म/काल्पनिक परिसंपत्ति (मूल्यहास आरक्षित निधि) मानते हुए अचल परिसंपत्तियों का मूल्य ₹78,83,63,056 दर्शाना जारी रखा, जबकि शुद्ध परिसंपत्ति ब्लॉक का मूल्य ₹34,02,59,035 दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों के साथ-साथ रिजर्व और अधिशेष को ₹44.81 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया।	एनआईआरपीडीआर के एमओए के नियम 4 (ज) में निम्नलिखित प्रावधान हैं: ज) सोसायटी की किसी भी संपत्ति या अधिकार के मूल्यहास, मरम्मत, सुधार, विस्तार या रखरखाव के लिए और/या नष्ट हो रही परिसंपत्तियों की वसूली के लिए और/या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिसके लिए सोसायटी/संस्था की विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए ऐसी किसी निधि/निधियों को बनाना या बनाए रखना समीचीन या उचित समझे, आरक्षित निधि, ऋण शोधन निधि, बीमा निधि, प्रौद्योगिकी निधि या कोई अन्य विशेष निधि बनाना।

पैरा का सार	उत्तर
• 31.03.2023 तक मूल्यहास आरक्षित निधि के समापन शेष ₹101,18,89,260 के विरुद्ध ₹49,07,22,839 की राशि, जो वर्षों से संस्थान के अनुदानों पर लगाए गए गैर-नकद व्यय (मूल्यहास) का प्रतिनिधित्व करती है, को मूल्यहास आरक्षित निधि के रूप में दर्ज किया गया तथा सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश किया गया। चूंकि मूल्यहास रिजर्व के निर्माण के लिए भारत सरकार की मंजूरी नहीं थी, इसलिए अप्रयुक्त अनुदानों से किए गए ऐसे निवेश अनियमित हैं और उन्हें भारत सरकार को वापस किया जाना चाहिए। इस प्रकार, संस्थान के लेखों में पारदर्शिता अपर्याप्त है क्योंकि जो देयता मौजूद नहीं है उसे देयता (मूल्यहास रिजर्व) के रूप में दिखाया जा रहा है और संस्थान की मौजूदा देयता (अव्ययित अनुदान) को मंत्रालय को वापस किए बिना ही निधि लेखों में अंतरित कर दिया गया।	तदनुसार, एनआईआरडीपीआर एक समान लेखा प्रारूप के अनुसार आय और व्यय लेखा में मूल्यहास लगाता रहा है और इसे एक दशक से अधिक समय से मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों में शामिल किया गया है। वर्ष 2019-20 में संचित मूल्यहास को भवन निधि में अंतरित कर दिया गया, जो निर्धारित निधियों की श्रेणी में आता है, ताकि बुनियादी ढांचे के पुनरुद्धार के लिए प्रावधान किया जा सके। यह पद्धति लेखांकन मानक 6 और जीएफआर के अनुरूप है और इससे लेखों एवं पिछली पद्धति के बीच एकरूपता आई है। मूल्यहास की स्वीकृत पद्धति का अनुपालन करने के लिए, परिसंपत्ति नवीकरण के लिए निर्धारित इन निधियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में भवन निधि से अलग कर दिया गया था। पृथक की गई निधियों को उचित बनाकर अनुसूची 3 निर्धारित निधियों के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया था और लेखा टिप्पणियों (पैरा-न) में उल्लेख किया गया था कि यह उचित वित्तीय वर्ष 2021-2022 में समाशोधित कर दिया जाएगा। इसके बाद, मामले की समीक्षा के बाद वित्त वर्ष 2021-2022 में इस उचित में राशि को 'आरक्षित और अधिशेष' शीर्ष के तहत प्रदर्शित किया गया ताकि यह दर्शाया जा सके कि ये मूल्यहास वाली परिसंपत्तियों के नवीकरण के लिए आरक्षित हैं। इससे मूल्यहास आरक्षित निधि का समेकन हुआ। इस उपाय से इन अलग-अलग लेखों की अलग-अलग मात्रा को दर्शाकर लेखा-बहियों में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली। उपरोक्त बातें गैर-लाभकारी संगठनों के लेखों के संकलन के लिए निर्देशों और लेखांकन सिद्धांतों (सीएबी के लिए लेखों का एक समान प्रारूप) पैरा 7 के अनुरूप हैं। संचित मूल्यहास आरक्षित राशियों को अलग-अलग वर्गीकृत करते समय, लेखा अधिकारियों द्वारा की गई समीक्षा से संकेत मिला कि मूल्यहासित परिसंपत्तियों की पूर्ण पुनः पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त शेष राशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि एनआईआरडीपीआर में एक दशक से अधिक पुरानी पद्धति है। मूल्यहास आरक्षित निधि का अर्थ मूल्यहासित परिसंपत्तियों की पुनः पूर्ति के लिए आरक्षित निधि होना है तथा 2010-2011 से ही इस उद्देश्य के लिए राशि एकत्रित की जा रही थी। हालांकि, एनआईआरडीपीआर की अधिकांश परिसंपत्तियाँ इस अवधि से बहुत पहले बनाई गई थीं। इसलिए, मूल्यहास आरक्षित निधि उपलब्ध कराने की वर्षों पुरानी स्वीकृत प्रथा के अनुरूप, देय राशि की गणना 1982 से निर्मित परिसंपत्तियों की पूर्ण पुनःपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु की गई, जिसके बिना मूल्यहास आरक्षित निधि मूल्यहास हो रही परिसंपत्तियों की पुनःपूर्ति के अपने पूर्ण उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगी। यह मामला मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है। मंत्रालय द्वारा एस एवं एफ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने मंत्रालय को सूचित किया कि मूल्यहास निधि के संबंध में निर्णय संस्थान के विघटन के समय लिया जाना चाहिए, क्योंकि एनआईआरडीपीआर के विघटन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 से इस निधि में योगदान बंद कर दिया जाएगा; तदनुसार एनआईआरडीपीआर ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 में निर्देशों का अनुपालन किया। और इस प्रकार मूल्यहास आरक्षित निधि में कोई योगदान नहीं किया गया है जो एक दशक से अधिक समय से संचित थी।

पैरा का सार	उत्तर
ए.1.1.3 वर्तमान देयताएं और प्रावधान ₹507.94 करोड़। संदर्भ संख्या: ओबीएस-972460 जीएफआर 2017 के जीएफआर 230 (8) में निहित प्रावधानों के अनुसार, अनुदान की कोई भी राशि जो वित्तीय वर्ष/विशिष्ट अवधि के दौरान उस उद्देश्य के लिए खर्च नहीं की जाती है जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है, अप्रयुक्त राशि को उस पर अर्जित ब्याज के साथ भारत सरकार को अविलंब वापस कर दिया जाना चाहिए। 31.03.2023 तक अप्रयुक्त योजना अनुदान राशि ₹43,77,86,812/- (वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान जारी कुल अनुदान ₹110 करोड़ में से) मंत्रालय को वापस नहीं की गई। अप्रयुक्त अनुदानों को बनाए रखने/उपयोग करने के लिए मंत्रालय की मंजूरी रिकार्ड में नहीं मिलती है।	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वर्ष 2010-11 में 67 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2011-12 में 43 करोड़ रुपए की योजना अनुदान राशि जारी की गई। इन दोनों राशियों में से 67 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं तथा शेष 43.77 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा रहा है। संस्थान ने वर्ष 2020 के दौरान एक आर्किटेक्ट मेसर्स माथुर उराम एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया और आर्किटेक्ट फर्म के साथ प्रारंभिक चर्चा की गई। इसके बाद कोविड के कारण आर्किटेक्चरल फर्म के साथ काम आगे नहीं बढ़ सका। संस्थान के शैक्षणिक और प्रशासनिक पदाधिकारियों की एक समिति गठित की गई है, जो आर्किटेक्चरल फर्म के साथ मिलकर निम्नलिखित ज़रूरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के काम पर काम करेगी: 1. सीजीएआरडी भवन 2. लड़कों का छात्रावास 3. आवासीय डी टाइप क्वार्टर 4. स्टूडियो अपार्टमेंट का निर्माण 5. इंटर्न के छात्रावासों का निर्माण 6. संकाय भवन का निर्माण 7. बाजार और सुविधा केंद्र का निर्माण 8. ग्रामीण विकास संग्रहालय का निर्माण 9. एनईआरसी गुवाहाटी में शैक्षणिक ब्लॉक एनआईआरडीपीआर का बुनियादी ढांचा बहुत खराब स्थिति में है जो एक राष्ट्रीय संस्थान के अनुरूप नहीं है, जो अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों और उच्च-स्तरीय राज्य पदाधिकारियों की मेजबानी करता है। संस्थान के बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता पर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों और विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। इसलिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है, जो अभी कई राज्य संस्थानों से पीछे है। आर्किटेक्चरल फर्म को भी इस मामले को अविलंब उठाने के लिए याद दिलाया गया है और आर्किटेक्चरल चित्र प्राप्त होने पर इन निधियों के साथ काम शुरू किया जाएगा, तथा आर्किटेक्चरल फर्म को भुगतान सहित शेष राशि का उपयोग किया जाएगा।

पैरा का सार	उत्तर																																
इसके अलावा, ₹1,72,69,243/- का सामान्य अनुदान अप्रयुक्त शेष और ₹2,75,63,729/- का बैंक सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज भी वापस किया जाना चाहिए/इसके उपयोग के लिए मंत्रालय से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।	जीएफआर 2017 का नियम 230(8) अनुदान-सहायता पर अर्जित ब्याज के प्रेषण से संबंधित है, न कि अप्रयुक्त शेष राशि की वापसी से। इस नियम के अनुसार, संस्थान ने पूंजी अनुदान पर ब्याज का भुगतान किया है।																																
ए.1.2 परिसंपत्तियां ए.1.2.1 अचल परिसंपत्तियां - ₹78.84 करोड़ (1) संदर्भ संख्या: ओबीएस-972660 और ओबीएस-979486 विभिन्न कार्यों/परिसंपत्तियों की खरीद पर किए गए व्यय के रूप में ₹12,08,491/- की राशि का विवरण अनुलग्नक-ए में दिया गया है, जिसे गलत तरीके से राजस्व व्यय के रूप में मान लिया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को अधिक दर्शाया गया तथा अचल परिसंपत्तियों और पूंजी निधि को ₹12.08 लाख कम दर्शाया गया।	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।																																
(2) संदर्भ संख्या: ओबीएस-979761 वर्ष के दौरान क्रय की गई पुस्तकालय पुस्तकों का मूल्य (जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है) 8,21,551/- रुपये की राशि को परिग्रहण रजिस्टर के अनुसार गलत तरीके से राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अचल सम्पत्तियों को कम दर्शाया गया तथा पूंजीगत निधि को ₹8.22 लाख कम दर्शाया गया। <table border="1"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th><th>राशि ₹ में</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>30.5.22</td><td>4,931</td></tr> <tr><td>2.5.22</td><td>17,765</td></tr> <tr><td>8.6.22</td><td>17,120</td></tr> <tr><td>27.6.22</td><td>476</td></tr> <tr><td>5.7.22</td><td>1,150</td></tr> <tr><td>22.10.22</td><td>925</td></tr> <tr><td>16.11.22</td><td>43,451</td></tr> <tr><td>3.3.23</td><td>2,866</td></tr> <tr><td>24.3.23</td><td>995</td></tr> <tr><td>25.3.23</td><td>1,69,620</td></tr> <tr><td>25.3.23</td><td>2,15,039</td></tr> <tr><td>27.3.23</td><td>1,93,746</td></tr> <tr><td>27.3.23</td><td>1,93,746</td></tr> <tr><td>25.3.23</td><td>1,53,467</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>8,21,551</td></tr> </tbody> </table>	दिनांक	राशि ₹ में	30.5.22	4,931	2.5.22	17,765	8.6.22	17,120	27.6.22	476	5.7.22	1,150	22.10.22	925	16.11.22	43,451	3.3.23	2,866	24.3.23	995	25.3.23	1,69,620	25.3.23	2,15,039	27.3.23	1,93,746	27.3.23	1,93,746	25.3.23	1,53,467	कुल	8,21,551	
दिनांक	राशि ₹ में																																
30.5.22	4,931																																
2.5.22	17,765																																
8.6.22	17,120																																
27.6.22	476																																
5.7.22	1,150																																
22.10.22	925																																
16.11.22	43,451																																
3.3.23	2,866																																
24.3.23	995																																
25.3.23	1,69,620																																
25.3.23	2,15,039																																
27.3.23	1,93,746																																
27.3.23	1,93,746																																
25.3.23	1,53,467																																
कुल	8,21,551																																

पैरा का सार	उत्तर
ए.1.2.2 वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम-₹461.37 करोड़ संदर्भ संख्या: ओबीएस-972438 और संदर्भ संख्या: ओबीएस-979452 भारत सरकार से प्राप्त होने वाले दावों के रूप में ₹360,41,52,405/- (₹96,24,32,989/-) की राशि दर्शाई गई थी, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है, जबकि भारत सरकार की ओर से कोई आश्वासन या आदेश नहीं दिया गया था कि यह उनके द्वारा देय है। चूंकि भारत सरकार पेंशन लाभ सहित वार्षिक आधार पर अनुदान प्रदान करती है, इसलिए भारत सरकार से विशेष अनुमोदन के बिना प्राप्य राशि का खुलासा करना सही नहीं है। पिछली पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी इसी बात का उल्लेख किया गया था। • कॉर्पस: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य: • ₹44,12,66,569/- • कर्मचारी लाभ: बीमांकिक: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य: • ₹264,17,19,415/- • मूल्यहास आरक्षित निधि: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य: ₹52,11,66,42/-	ये दावे संस्थान की नीति, भारत सरकार के निर्देशों और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक निधि प्रदान करने के लिए पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार किए गए हैं। कॉर्पस: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य: ₹44,12,66,569/- यद्यपि अनुदान जारी करने में काफी विलम्ब हुआ है, फिर भी संस्थान की गतिविधियों को रोका नहीं जा सका, क्योंकि संस्थान की क्षमता निर्माण गतिविधियां निर्धारित हैं। इसलिए भारत सरकार और अन्य हितधारकों के हितों को पूरा करने के लिए एनआईआरडीपीआर के आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों से गतिविधियां संचालित की गईं। अनुदान जारी करने में विलम्ब बढ़ने के कारण, प्रतिबद्ध गतिविधियों के लिए किए गए व्यय के सापेक्ष जारी अनुदान में कमी आई है। चूंकि आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधन, जो कि कॉर्पस निधि में एकत्रित होने वाले थे, को उपर्युक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया गया है, इसलिए भारत सरकार को सेवाएं प्रदान करने के लिए कॉर्पस फंड से उपयोग में लाई गई धनराशि को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है। कर्मचारी लाभ: बीमांकिक: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य: ₹264,17,19,415/- सीएजी पेंशन और पेंशनरी लाभों में व्यय को पूरा करने के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्रदान करने के लिए संस्थान पर लगातार टिप्पणियां कर रहा है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय कपार्ट को इस संस्थान में विलय कर दिया गया, जिसके पास बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ निधि थी, जिसे इस संस्थान को स्थानांतरित कर दिया गया। जब कपार्ट के लेखों को एनआईआरडीपीआर के लेखों में विलय कर दिया गया, तो पूर्ववर्ती कपार्ट खातों से इस मद के अंतर्गत ₹12.62 करोड़ की नकद प्राप्ति का ध्यान रखने के लिए एनआईआरडीपीआर खातों में सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन प्रणाली भी प्रदान की जानी थी। कपार्ट के सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार, जिसे एनआईआरडीपीआर के लेखों में एकीकृत किया गया था, बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार एनआईआरडीपीआर कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ की गणना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 264 करोड़ रुपये की गई। मूल्यहास आरक्षित निधि: ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य: ₹52,11,66,42/- संचित मूल्यहास आरक्षित राशियों को अलग-अलग वर्गीकृत करते समय, लेखा अधिकारियों द्वारा की गई समीक्षा से संकेत मिला कि मूल्यहासित परिसंपत्तियों की पूर्ण पुनः पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त शेष राशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि एनआईआरडीपीआर में एक दशक से अधिक पुरानी पद्धति है।

पैरा का सार	उत्तर
	संस्थान की मूल्यहास आरक्षित नीति को प्रभावी बनाने तथा संस्थान की मूल्यहासकारी परिसंपत्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान करने के लिए पिछली अवधि के मूल्यहास आरक्षित देयता की गणना की गई है। चूंकि उपरोक्त राशि संस्थान को देय है, इसलिए पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता के उपाय के रूप में इसे लेखों में दर्शाया गया है। किसी भी पक्ष से संस्थान की प्राप्तियों का खुलासा न करना सूचना को छुपाने के समान होगा। वार्षिक खातों में खुलासा न किए गए बकाया का दावा करना अनुचित होगा।
ए.2 आय और व्यय लेखा ए.2.1 आय - ₹115.67 करोड़ ए.2.1.1 संदर्भ संख्या: ओबीएस -979499 वर्ष 2022-23 के लिए ₹3,23,35,525/- की राशि का मूल्यहास गलत तरीके से संस्थान की आय (आस्थगित राजस्व) के रूप में माना गया। इसके परिणामस्वरूप आय को अधिक दर्शाया गया और परिणामस्वरूप पूंजी निधि/ कॉर्पोस निधि को ₹3.23 करोड़ अधिक दर्शाया गया।	आय और व्यय लेखा के अंतर्गत मूल्यहास को व्यय के रूप में दर्शाया गया है, तथा इसे गैर-नकद व्यय के रूप में संतुलित करने के लिए, पूंजी में कमी के कारण आय और व्यय विवरण में गैर-नकद आय के रूप में एक संगत प्रविष्टि की गई है। यह लेखाओं के एकसमान प्रारूप, पृष्ठ 34 टिप्पणियां - सामान्य क्रम संख्या 5 के अनुरूप किया गया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: वैकल्पिक रूप से, मूल्यहास योग्य अचल परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जा सकता है तथा ऐसी परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जा सकती है, अर्थात् ऐसे अनुदानों को उस अवधि में और उस अनुपात में आय में आवंटित किया जाना चाहिए जिसमें मूल्यहास लगाया जाता है। अतः, आय का कोई अतिकथन नहीं हुआ है और परिणामस्वरूप पूंजी निधि में 3.23 करोड़ रुपये का अतिकथन हुआ है।
बी. सामान्य बी.1 संदर्भ संख्या: ओबीएस - 972428 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 1/3/2016-पीआर दिनांक 31.01.2019 के माध्यम से केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों के लिए नियोक्ता के अंशदान को 1.4.2019 से 10% से बढ़ाकर 14% करने के आदेश जारी किए। ये आदेश भारत सरकार के दिनांक 26.8.2021 के आदेशों के तहत सभी केंद्रीय स्वायत्त निकायों पर लागू कर दिए गए, जिनकी प्रभावी तिथि 1.4.2019 है। संस्थान द्वारा नियोक्ता के अंशदान में वृद्धि के भुगतान की देयता नहीं बनाई गई। लेखा टिप्पणियों में इसका उपयुक्त रूप से खुलासा नहीं किया गया था।	मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2019 से केन्द्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों के लिए नियोक्ता के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने को मंजूरी दे दी है और इसे एनआईआरडीपीआर द्वारा कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि डीओई ने 2019 में एक आदेश जारी किया था, लेकिन प्रशासनिक मंत्रालय यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के आदेशों को मंजूरी दे दी है और चालू वित्त वर्ष में नियोक्ता के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने के लिए सूचित किया है, इसलिए पिछले वर्ष के लिए देयता का प्रावधान उत्पन्न नहीं होता है। हालाँकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेशों का अनुपालन किया गया है।

पैरा का सार	उत्तर																																												
बी.2 संदर्भ संख्या: ओबीएस-972742 उचित लेखा के अंतर्गत संचित राशि को स्पष्ट करने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है: <table><tr><th>अनुसूची का विवरण</th><th>समूह विवरण</th><th>रकम ₹ में</th></tr><tr><td>अनुसूची-ए.6 – ऋण और अग्रिम क्र. सं. 28</td><td>एनईआरसी उचित (2017-18 से संचित)</td><td>2,98,50,645</td></tr><tr><td>अनुसूची-ए.6- देयताएं एवं प्रावधान- क्र. सं. 48</td><td>दिल्ली शाखा उचित (2020-21 से संचित)</td><td>10,78,151</td></tr></table>	अनुसूची का विवरण	समूह विवरण	रकम ₹ में	अनुसूची-ए.6 – ऋण और अग्रिम क्र. सं. 28	एनईआरसी उचित (2017-18 से संचित)	2,98,50,645	अनुसूची-ए.6- देयताएं एवं प्रावधान- क्र. सं. 48	दिल्ली शाखा उचित (2020-21 से संचित)	10,78,151	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।																																			
अनुसूची का विवरण	समूह विवरण	रकम ₹ में																																											
अनुसूची-ए.6 – ऋण और अग्रिम क्र. सं. 28	एनईआरसी उचित (2017-18 से संचित)	2,98,50,645																																											
अनुसूची-ए.6- देयताएं एवं प्रावधान- क्र. सं. 48	दिल्ली शाखा उचित (2020-21 से संचित)	10,78,151																																											
बी.3 संदर्भ संख्या: ओबीएस-972761 पिछले वर्ष से संबंधित ₹22,03,327/- का व्यय (जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है) प्रावधान न किए जाने के कारण चालू वर्ष के व्यय के रूप में दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष का व्यय अधिक तथा पूर्व अवधि का व्यय ₹22.03 लाख कम दर्शाया गया। <table><tr><th>क्र.सं.</th><th>भुगतान की तिथि</th><th>रकम ₹ में</th><th>से संबंधित</th></tr><tr><td>1</td><td>01/04/2022</td><td>107000</td><td>05/17 से 06/17</td></tr><tr><td>2</td><td>19/05/2022</td><td>416630</td><td>01/2022</td></tr><tr><td>3</td><td>20/05/2022</td><td>157569</td><td>11/2021 से 12/2021</td></tr><tr><td>4</td><td>06/05/2022</td><td>86660</td><td>11/2021</td></tr><tr><td>5</td><td>06/05/2022</td><td>53126</td><td>08/21 से 10/21</td></tr><tr><td>6</td><td>25/05/2022</td><td>622871</td><td>12/21 से 03/22</td></tr><tr><td>7</td><td>02/05/2022</td><td>27397</td><td>07/2021</td></tr><tr><td>8</td><td>06/05/2022</td><td>25574</td><td>11/21 एवं 12/21</td></tr><tr><td>9</td><td>23/05/2022</td><td>706500</td><td>11/21 एवं 12/21</td></tr><tr><td colspan="2">कुल</td><td>2203327</td><td></td></tr></table>	क्र.सं.	भुगतान की तिथि	रकम ₹ में	से संबंधित	1	01/04/2022	107000	05/17 से 06/17	2	19/05/2022	416630	01/2022	3	20/05/2022	157569	11/2021 से 12/2021	4	06/05/2022	86660	11/2021	5	06/05/2022	53126	08/21 से 10/21	6	25/05/2022	622871	12/21 से 03/22	7	02/05/2022	27397	07/2021	8	06/05/2022	25574	11/21 एवं 12/21	9	23/05/2022	706500	11/21 एवं 12/21	कुल		2203327		लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोट किया गया है। चूंकि पैरा केवल व्यय से संबंधित है, इसलिए सहायता अनुदान से व्यय लेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
क्र.सं.	भुगतान की तिथि	रकम ₹ में	से संबंधित																																										
1	01/04/2022	107000	05/17 से 06/17																																										
2	19/05/2022	416630	01/2022																																										
3	20/05/2022	157569	11/2021 से 12/2021																																										
4	06/05/2022	86660	11/2021																																										
5	06/05/2022	53126	08/21 से 10/21																																										
6	25/05/2022	622871	12/21 से 03/22																																										
7	02/05/2022	27397	07/2021																																										
8	06/05/2022	25574	11/21 एवं 12/21																																										
9	23/05/2022	706500	11/21 एवं 12/21																																										
कुल		2203327																																											
बी.4 संदर्भ संख्या: ओबीएस-972769 आईआईटी मुंबई द्वारा संचालित किए जाने वाले सी- टीएआरए कार्यक्रम के लिए दिल्ली केंद्र द्वारा खर्च की गई ₹47,52,000/- की राशि को सी- टीएआरए के बहीखाते में दर्ज नहीं किया गया और इस लेनदेन को एनआईआरडीपीआर और दिल्ली केंद्र के बीच हस्तांतरण के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया है। इसे ठीक करने की आवश्यकता है।	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में उचित कार्यवाही की जायेगी।																																												

जारी...

पैरा का सार	उत्तर
सी. सहायता अनुदान: एनआईआरडी को वर्ष 2022-23 के दौरान ₹114.59 करोड़ (₹38.75 करोड़-सामान्य और ₹75.84 करोड़-वेतन) की सहायता अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹113.06 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया, जिससे 31.03.2023 तक ₹1.73 करोड़ का शेष रह गया।	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान के रूप में ₹114.59 करोड़ की राशि प्रदान की गई। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, एनआईआरडीपीआर ने ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली शुरू की, जो अक्टूबर 2022 में लागू हो गई और 01-04-2022 तक ₹5.3613 करोड़ के प्रारंभिक जीआईए शेष में से ₹1.7269 करोड़ की जीआईए राशि शेष जीआईए (टीएसए के बाहर) के रूप में बनी रही। जीआईए का यह शेष 2023-2024 के दौरान उपयोग किया गया।
डी. प्रबंधन पत्र पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई कमियों को उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) के ध्यान में लाया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखा, तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तथा ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं: जहां तक यह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के 31 मार्च 2023 तक के मामलों की तुलनपत्र से संबंधित है; और जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय लेखा से संबंधित है।	कोई टिप्पणी नहीं

परिशिष्ट

पैरा का सार	एनआईआरडीपीआर का उत्तर
आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। एनआईआरडीपीआर ने 2022-23 के लिए लेखों के आंतरिक लेखापरीक्षा का काम मेसर्स एन अदाबाला एंड एसोसिएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सौंपा है।	2022-23 के लिए एनआईआरडीपीआर के लेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा मेसर्स एन अदाबाला एंड एसोसिएट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया गया।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: निम्नलिखित कारणों से आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे:	
i. उच्चतम लेखों के अंतर्गत महत्वपूर्ण राशियाँ दिखाई गईं।	लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में उचित कार्यवाही की जायेगी।
ii. आरटीजीएस प्राप्ति के तहत महत्वपूर्ण रकम दिखाई गई थी जो अवर्गीकृत थी।	जहां कहीं भी निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण में उपकरणों में अपर्याप्त जानकारी के कारण उचित विवरण उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी रसीदों को S2237 अवर्गीकृत प्राप्तियों में ले जाया जाता है। जैसे ही विवरण प्राप्त हो जाता है, उसे संबंधित लेखा प्रमुख को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रस्तुत करना उचित है कि एनआईआरडीपीआर के बैंक खातों में ऋण की सख्त निगरानी के कारण, 2022-23 के दौरान बड़ी मात्रा में गैर-वर्गीकृत प्राप्तियों को वर्गीकृत किया गया और संबंधित खाते में जमा किया गया। पिछले वर्षों की अवर्गीकृत आरटीजीएस प्राप्तियां जो 31-03-2022 को ₹4,75,63,131/- थीं, 31-03-2023 को घटाकर ₹3,77,00,525/- कर दी गईं। इसलिए, 2022-23 के दौरान पहचानी गई और संबंधित खाता बही में जमा की गई राशि ₹98,62,606/- है, जो पिछले वर्ष के दौरान वर्गीकृत की गई राशि (18,86,907 रुपये) से बहुत अधिक है। इन अवर्गीकृत प्राप्तियों को और कम करने के प्रयास जारी हैं, जिनमें संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों के कारण लगातार गिरावट आ रही है।
iii. 31.3.2023 के अंत तक बैंक खातों में ₹66,56,57,315/- की राशि निवेश किए बिना पड़ी थी। इसके अलावा, संस्थान के पास कॉर्पस निधि के अलावा कोई निवेश नीति नहीं है। बिना निवेश के बड़ी रकम को ऐसे ही रखने से ब्याज की हानि हुई।	कॉर्पस निधि के अलावा अन्य निवेश नीति के अनुसार, तरलता का आकलन ₹60 करोड़ किया गया था। तरलता मूल्यांकन निम्नलिखित को ध्यान में रखकर किया गया था: 1. मंत्रालय से सहायता अनुदान की प्राप्ति में देरी 2. परियोजना व्यय को पूरा करना 3. पेंशन देयता और सेवानिवृत्ति देय ₹60 करोड़ की तरल निधि राशि भी ऑटो स्वीप खातों के अंतर्गत रखी जाती है और ब्याज दर अल्पकालिक एफडी ब्याज दर से थोड़ी ही कम होती है। इस प्रकार ब्याज में कोई हानि नहीं होती है। यह उल्लेख करना उचित है कि 60 करोड़ रुपये से अधिक की राशि नियमित और परियोजना कर्मचारियों के वेतन और मार्च 2023 के महीने के लिए पेंशन वितरित करने के लिए रखी गई है, जिसका भुगतान अप्रैल 2023 में किया जाएगा।

पैरा का सार	एनआईआरडीपीआर का उत्तर
iv. अधिकांश परामर्शी परियोजनाएँ बंद कर दी गईं और उन्हें देनदारियों के रूप में दिखाया गया।	केन्द्रों को निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रोफार्मा के अनुसार एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, ताकि निष्क्रिय परियोजनाओं को बंद करने के लिए अनुमोदन हेतु संसाधित किया जा सके और निष्क्रिय परियोजनाओं से शेष राशि/बचत को आईजीआर में ले जाया जा सके या पहचान होने पर प्रायोजक एजेंसी को वापस किया जा सके। हालाँकि, सभी अपेक्षित आंकड़ों के साथ केवल कुछ ही प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं और ऐसी परियोजनाएँ बंद कर दी गईं। शेष परियोजनाओं के लिए अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु संबंधित केंद्र के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी, ताकि उन्हें बंद करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया की जा सके तथा निष्क्रिय परियोजनाओं से शेष/बचत को आईजीआर में ले जाया जा सके।
v. पूंजी अनुदान (योजना) को विभिन्न बैंक खातों में रखा गया था। कोई अलग बैंक खाता नहीं रखा गया था। इस प्रकार, अनुदान सहायता पर अर्जित ब्याज की पुष्टि नहीं की जा सकी।	पूंजी अनुदान (योजना) को एक खाता बही के आधार पर दर्ज किया जाता है तथा उसे अर्जित ब्याज के सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाता है। तदनुसार, पी0025 योजना (पूंजी) के अंतर्गत अर्जित ब्याज ₹1,18,32,300/- को भारत कोष के माध्यम से भारत की समेकित निधि में भेज दिया गया है।
vi. स्वीकृत संख्या के मुकाबले पदस्थ व्यक्ति खातों/रिकार्डों के उचित रखरखाव, विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं/परामर्श परियोजनाओं की निगरानी, बैंक खातों के रखरखाव, लेन-देन की प्रभावी आंतरिक जांच/आंतरिक लेखा परीक्षा आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वीकृत 640 पदों के मुकाबले कार्यरत कर्मचारी केवल 259 थे। कर्मचारियों की भारी कमी यह दर्शाती है कि आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर्याप्त नहीं है।	विलय के बाद एनआईआरडीपीआर और कपार्ट की कुल कर्मचारी संख्या 640 है। हालाँकि, यह संख्या वर्ष 2000 से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में 10 गुना से अधिक की वृद्धि के अलावा अन्य क्षमता निर्माण गतिविधियों में वृद्धि को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 03 मई, 2019 के पत्र द्वारा भर्ती पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण एनआईआरडीपीआर में रिक्त पदों को भरा नहीं जा सका। मंत्रालय ने कार्यकारी परिषद के निर्णय के आधार पर दिनांक 3.5.2019 के अपने पत्र के माध्यम से संस्थान को शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए भर्ती नियमों को संशोधित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, दिनांक 07.01.2022 को आयोजित 133वीं कार्यकारी परिषद की बैठक में संशोधित भर्ती नियमों के अनुमोदन के लिए एक एजेंडा रखा गया और कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि ग्रुप-बी और सी के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी देने की शक्तियां संस्थान के पास हैं और ग्रुप ए के पदों के लिए, मसौदा भर्ती नियमों को ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए विधिवत गठित समिति के माध्यम से भर्ती नियमों को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से तैयार किए गए ग्रुप ए पदों, ग्रुप 'ए' शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के लिए संशोधित मसौदा भर्ती नियमों को 15.06.2023 को आयोजित इसकी 137वीं कार्यकारी परिषद की बैठक में रखा गया। कार्यकारी परिषद ने निर्णय लिया कि भर्ती नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इस स्तर पर केवल प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ही भर्ती की जा सके। भर्ती के अन्य तरीकों के बारे में नियम विलय के बाद नई इकाई द्वारा बनाए जाने चाहिए।

जारी...

पैरा का सार	एनआईआरडीपीआर का उत्तर
	इसके अनुसरण में महानिदेशक के अनुमोदन से ग्रुप बी और सी संवर्ग (लेखा, प्रशासन, आशुलिपिक संवर्ग) के भर्ती नियमों को संशोधित किया गया। इसके बाद, संस्थान ने सीधी भर्ती के आधार पर यूडीसी के 10 पदों और लेखाकार के 5 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। संस्थान की तत्काल आवश्यकताओं के आधार पर लेखा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी का एक-एक पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया। ग्रुप बी और सी के अन्य पदों के लिए भर्ती नियमों की समीक्षा भी प्रक्रियाधीन है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन्हें मंजूरी मिलने पर जनशक्ति बढ़ाने के लिए सीधी भर्ती की जाएगी। तथापि, संस्थान की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को चलाने के लिए रिक्त स्वीकृत पदों पर खुले बाजार के माध्यम से अनुबंध के आधार पर जनशक्ति की नियुक्ति की जाती है। इसलिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।
3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। हालाँकि, अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन पर रिपोर्ट लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी।	नामित समिति द्वारा 2022-23 के लिए प्रस्तुत अचल परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पहले ही 6 नवंबर, 2023 को ईमेल के माध्यम से पीडीए (सी) कार्यालय, हैदराबाद को जमा कर दी गई थी।
4. प्रविष्टि के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: वर्ष 2022-23 के लिए प्रविष्टि का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया था।	कोई टिप्पणी नहीं
5. वैधानिक बकाया के भुगतान में नियमितता: संस्थान वैधानिक बकाया के भुगतान में नियमित है।	कोई टिप्पणी नहीं



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030